

ISSN 0974-7265

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

AN INTERNATIONAL
REFEREED & PEER REVIEWED JOURNAL

Website : www.ijosss.com

Scientific Journal Impact Factor (2020) = 5.99

Volume 36, February 2024

Flash

Editor in Chief
Dr. Rishikesh Singh

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

(AN INTERNATIONAL REFEREED / PEER REVIEWED JOURNAL)

www.ijosss.com

Volume 36, February 2024

Editor in Chief

Dr. Rishikesh Singh

Published by

Flash Publication

Gonda / Varanasi

For

INDIAN LABORATORY OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

All rights reserved. No part of this publication including its style and presentation, may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means- electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written concern of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies”.

Volume 36, February 2024

Biannual

International Standard Serial Number: 0974-7265

Website – www.ijosss.com

Prints (with PDF Books) -1000 Copies.

Not for sale. Only for academic use .

Edited by: Professor (Dr.) Rishikesh Singh, Director, “ Indian Laboratory of Social Sciences and Societies.” Mob. 09415458974

DTP By : Gopi Nath, Mob. 9005856561.
Published By : Flash Publication
Basant Bihar, Janaki Nagar Colony,
Baharaich Road, Gonda-271003
Uttar Pradesh, India
Mob.: 09415458974

Editorial


I feel a deep sense of pleasure in presenting the 36th volume of “Indian Journal of Social Sciences and Societies” before you. This Journal is published by Flash Publication, Gonda (U.P.) for “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” a research institute. The purpose of the Laboratory is “latest research in social sciences and societies and it shall attempt to achieve this purpose by Organizing Workshops, Seminars, Debates, Exhibitions and Publication of a journal”. This journal is an attempt in achieving the purpose of the Laboratory.

There are so many research journals of various disciplines containing the research papers of only one concerned discipline and not of others. But this type of journals does not satisfy the requirements of Inter-disciplinary Approach which is world-wide tendency in the study and researches in recent years. This journal is an attempt to satisfy such said requirements. It is based on Inter-disciplinary Approach and it contains the research papers from various disciplines namely Political Science, Sociology, Education, Economics, Psychology, Geography, Military Science, Art Subjects, Commerce, Spiritual Sciences and Natural Sciences etc. with a view to represent perfectness and wholeness of knowledge in the field of research.

I can not part without acknowledging the wholehearted co-operation and steadfast devotion, I received from the members of Governing body, Executive body, Editorial board, Refereed Board, Advisory council of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” and above all from the honest researchers who sent their papers for publication and got them published here in.

I hope with firm belief that this volume will draw the attention and appreciation of learned scholars of various disciplines and the journal will, considerably, be prompting and promoting the latest researches in the field of study as a whole.

Positive and constructive suggestions are hereby heartedly invited.



Date: 29February, 2024.

Professor (Dr.) Rishikesh Singh

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शोध पत्र	शोधार्थी	पृष्ठ
01.	The Quest for Global Justice	Professor Anuradha Kumar Aparajita Kumar	01--19
02.	Brief study of simultaneous elections in India	Sudhanshu Ranjan Yadav	20--32
03.	यू० पी० बोर्ड एवं सी० बी० एस० ई० बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन	खडानन जी भावेश डॉ० गौरव सिंह	33--38
04.	भारत में भाषावाद एवं राज्यों का पुनर्गठन : एक विवेचना	प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह	39--44
05.	इण्टरनेट एवं सामाजिक परिवर्तन : एक अध्ययन	डॉ० आकांक्षा सिंह प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह	45--51
06.	भूमंडलीकरण और भारतीय नारी : एक समाज शास्त्रीय अध्ययन	अवन्तिका डॉ० आशाराम	52--55
07.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य की भूमिका : एक विश्लेषण	रचित कुमार यादव	56--63
08.	साहित्य की सशक्त विधा : उपन्यास	डॉ० अतुल कुमार यादव	64--67
09.	घेरण्ड संहिता: सम्पूर्ण परिचय	डॉ० दीपक कुमार प्रेमी	68-76
10.	आजमगढ़ नगर (उ० प्र०) में मलिन बस्तियों की समस्याएँ एवं नियोजन	डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप यादव	77--84



THE QUEST FOR GLOBAL JUSTICE

Professor Anuradha Kumar*
Aparajita Kumar**

ABSTRACT : Global justice is emerging as the most relevant ideal to mitigate the vagaries of a globalizing world. It is fully recognized now that globalisation has created its own inequalities within and among nations. It has failed to ameliorate problems like poverty, unemployment malnutrition and human under development. In this scenario the theory of global justice which extrapolates the idea of social justice to the international arena appears as a solution. This article tries to examine the various dimensions of global justice and its necessity in the current international order. It also tries to focus on the practical implementation of this theory the way possible hurdles and the way to create a more equitable world.

"A fat man eating quails while children are begging for bread is a disgusting sight."

George Orwell¹

"But among the traits characteristic of the human being is an impelling desire for fellowship that is for common life, not of just any kind, but a peaceful life, and organized according to the measure of his intelligence, with those who are of his kind... Stated as a universal truth, therefore, the assertion that every animal is impelled by nature to seek only its own good cannot be conceded."

Grotius²

Much of the past and current centuries have been embroiled in a highly contentious and widely publicised debate on the 'globalization of our world'. "Since its earliest appearance in
***Professor , Department of Political Science, University of Allahabad, Prayagraj .**
****Research Scholar, NALSAR Hyderabad .**

¹ George Orwell and Lionel Trilling, *Homage to Catalonia* (Harcourt Brace & Co. San Diego, 1980).

² Hugo Grotius. *On the Law of War and Peace* (1625).

the 1960s, the term 'globalization' has been used in both popular and academic literature to describe a process, a condition, a system, a force, an agent and an age. Given these competing labels have very different meanings, their indiscriminate usage is often obscure and invites confusion."³ However, all these myriad interpretations of the concept do agree on one fundamental fact of globalization, that it is a force to reckon with and its effect is all pervasive. It can be criticised or it can be applauded but it cannot be ignored.

In the past 30 years the sheer magnitude and ambit of global interconnectedness has become progressively apparent in all sectors from economic to the cultural. "Globalization is a historical process involving a fundamental shift or transformation in the spatial scale of human organization that links distant communities and expands the reach of power relations across regions and continents."⁴ Hyper-globalists even go to the extent of, claiming that globalization is bringing a demise of the nation states, as global forces undermine the ability of governments to control their own economies and societies. Anthony Giddens defines the phenomenon in the following words,

The intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice-versa.⁵

Contemporary information technologies and infrastructures of communication and transportation have propelled this process of globalization. The term globalization has become synonymous with time-space compression, literally a shrinking world, in which the sources of local developments, from unemployment to ethnic conflicts, maybe traced to distant conditions or decisions."⁶ Globalization is leading to de-territorialisation. The traditional distinction between intra-national and international issues is dissolving. There has been growth of new actors at the international stage from supranational agencies to multinational corporations and international non-governmental organizations. Nation states are co-existing and functioning along with these new international actors and their interactions are structured through highly complex systems of rules and practices, some with associated adjudication and enforcement mechanisms.

³ Manfred B Steger, Globalization. A Very Short Introduction?(Oxford University Press, 2008).

⁴ "Anthony McGrew, "Globalization and Global Politics", in John Baylis et al. (eds.) The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations 19 (Oxford University Press, 2011).

⁵ Anthony Giddens, The Consequences Of Modernity: Self And Society In The Late Modern Age (Polity Press, Cambridge, 1990).

⁶ "Supra note 4 at 18.

"These actors and rules powerfully influence the domestic life of national societies: through their impact on pollution and climate change, invasive diseases, conflict and violence, culture and information, technology, and (most profoundly) through market forces that condition access to capital and raw materials, export opportunities, domestic tax bases and tax rates, prices, wages, labour standards, and much else."⁷ Thus, in light of these transformational shifts in the arena of global relations, nation states can no longer be the only watersheds of morality. The reactions towards globalization may be appraised from a multiplicity of diverse perceptions, one of them is that of morality⁸ and central to the concept of morality is the concept of justice.

THE CONCEPT OF GLOBAL JUSTICE:

After Rawls seminal work on social justice⁹ the world again focussed attention on inequalities and the means to ameliorate them albeit within the liberal- capitalist- democratic mould. It is in this context that the idea of global justice becomes significant. Rawls theory was largely limited within national boundaries and he did not seek to discuss its international dimensions. However inequality has both a national and international dimension be it inequality among people or between nations of the world. Globalisation has given it this dimension. As stated earlier the euphoria over globalization has died down and people are become increasingly aware that it has not mitigated endemic poverty as it had purported to do. The gap between the rich and the poor (people and nations) has continued to grow. It is in this context that global justice is propagated as a desirable norm/value to end such injustices and bring about an equitable international order.

The concept of global justice started developing in the 1970's. It was influenced by two major changes in the international arena; one was the increasing inter-connectedness of the world and the other was the universalization of human dignity and human rights. Global justice theorists presume that the Westphalia world order has collapsed under the onslaught of globalization and technological interconnectedness of the world. Hence inequalities can no longer be limited to nation. states but have acquired international dimensions. On the other hand, the United Nations Universal Declaration of Human Rights has highlighted the basic minimum treatment to be meted out to all humans all over the

⁷ Thomas Pogge, *Politics as Usual: What Lies Behind the Pro-Poor Rhetoric* (Polity Press, Cambridge, 2010).

⁸ Laura Valentini, *Justice In A Globalized World A Normative Framework*, 1 (Oxford Publishing House, 2011).

⁹ Rawls, John "A Theory of Justice" Oxford, University, Press, 1972.

globe. Hence values and ideals too have acquired a universal aspect and are no longer nation specific or culture specific.¹⁰

Focussing on issues like poverty fertility, malnutrition, life expectancy etc., theorists of global justice focuses on a world without deprivation, where every human being has the basic amenities of life. One group of theorists such as Pogge,¹¹ Singer and Beitz¹² take up the issue of world poverty and put forward the cosmopolitan view of justice by pointing out that the governments and people of rich countries have a duty to reform the global order and compensate for its damaging effects but do not tell us the way to do so. Another view, propounded by Nagel focuses on the need to coercive authority of international institutions."¹³ Nagel accepts that we have a moral obligation to prevent people from starving or being harmed as part of a universal "humanitarianism" but claims that this is possible only if there are coercive institution to bring about large scale social coordination and cooperation.

In this way global justice theory is a reaction to the inequality bred by globalisation. It rejects traditional idioms based on national interest and primacy of individual states as grossly inadequate as it claims that global challenges can be met only by joint global action. Even though they have not yet come up with a joint action plan, global justice is a much needed value for human society.

THE NEED FOR GLOBAL JUSTICE :

Kant famously said,

[t]he peoples of the earth have thus entered in varying degrees into a universal community, and it has developed to the point where a violation of rights in one part of the world is felt everywhere.¹⁴

The advent of globalization has brought recognition to transnational problems requiring global regulation from environmental issues to poverty to human rights violation. As *humanity awakens to increased interconnectedness and interdependence, it also awakens to a need for justice that transcends national boundaries*. The emergence of a post Westphalian world has placed greater moral responsibilities on nation-states, corporations and persons.

¹⁰ Stark, A "Global Justice Historical Justice in Political Theory", October 2012, Vol. No. 5, pp. 543-572.

¹¹ Supra, note 7.

¹² Beitz C.R., Political Theory and International Relations (Princeton University Press, 1979).

¹³ Nagal, T., The Problem of Global Justice in Philosophy and Public Affairs, Vol. 33, No. 2, April 2005, pp. 113-147.

¹⁴ Immanuel Kant, "Perpetual Peace: A Philosophical Sketch", in Hans Reiss (ed.) Kant's Political Writings⁹³(Cambridge University Press, 1970).

The cry for transnational justice acquires utmost importance in face of the prevailing chronic economic disparity in the world. This overwhelming demand for justice is further motivated by the increasing consciousness that world poverty has surpassed war as the supreme source of preventable human misery.¹⁵

There has been a marked decline in the number of people living in absolute poverty globally from 1,237 million in 1990 to 1,100 million in 2000. But major credit for this significant progress goes to rapid development which happened in two very large countries, China and India, which are inhabited by 38 per cent of the world's population. The number of people living in poverty declined from 361million to 204 million in China itself. However, in sub-Saharan Africa, Europe and Central Asia, and Latin America and the Caribbean, poverty has increased by 82, 14, and 8 million, respectively.¹⁶

Poverty exists unrelentingly in the modern world. It can also be claimed that it is this so called modern world which is proving to be the biggest source of abject poverty worldwide. Approximately one third of all human deaths, 18 million annually, are caused because of poverty-related issues, which can be definitely avoided through better diet, clean drinking water, cheap rehydration packs, affordable medication and vaccination."¹⁷ The worst affected by global poverty are children, females and people of colour. Inherent in these blatant violations of social and economic human rights are further violations of civil and political rights. Thomas Pogge makes a compelling analysis of the deep-rooted injustices, which are the prominent source of abject poverty, in the contemporary economic scenario. He states that three fundamental facts render the current cataclysm of human poverty profoundly disturbing from a moral perspective:

First, it occurs in the context of unprecedented global affluence that is easily sufficient to eradicate all life-threatening poverty. A 2 percent shift in the distribution of global household income could wholly eradicate the severe poverty that currently blights the lives of nearly half the human population...

Second, the unprecedented global inequalities just described are still increasing relentlessly...

¹⁵ Supra note 7 at 11

¹⁶ "World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization: Creating Opportunities For All44(Academic Foundation, 2006)

¹⁷ WHO, Global Burden of disease, Table A1.

Third, conditions of life anywhere on earth are today deeply affected by international interactions of many kinds and thus by the elaborate regime of treaties and conventions that profoundly and increasingly shape such interactions. Those who participate in this regime, especially in its design or imposition, are morally implicated in any contribution it makes to ever-increasing global economic inequality and to the consequent persistence of severe poverty.¹⁸

These revelations make it starkly evident that there is a clear departure from the Westphalia model where nation states were the prime players and the fundamental units within which justice was applied. Thus, the newly integrated world wants a novel justice mechanism as well. There is a demand and a need for justice at a global level, where nation states are not the only pursuers of justice. No longer are the issues solely addressed to national governments nor are the claimants concentrating exclusively on fellow citizens. The entire language of the argument has changed. "Whether the issue is distribution or recognition, disputes that used to focus exclusively on the question of what is owed as a matter of justice to community members now turns quickly into disputes about who should count as a member and which is the relevant community. Not just 'the what' but also 'the who' is up for grabs"¹⁹

But how do you define justice in a pluralistic world, where different stakeholders may have different conceptions of justice? Moreover, it is even less apparent as to what meaning can be attributed to justice on the global level or where the quest for such justice would lead us in the arena of international or global institutions, and what purpose would one hope for such justice to serve.²⁰"Contemplating justice on a global scale in today's world can easily be seen as an almost impossible, Don Quixotic venture."²¹

JUSTICE, ITS EXISTENCE AT DOMESTIC LEVEL AND ITS IMPORT TO THE GLOBAL LEVEL :

An eminent authority on the problem of justice, John Rawls, in his majestic treatise, *A Theory of Justice*, put it this way:

Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought.

A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is

¹⁸ Supra note 7 at 12.

¹⁹ Nancy Fraser, "Reframing Justice in a Globalized World" 36 *New Left Rev* 4 (Nov-Dec 2005).

²⁰ Ibid

²¹ Stathis Banakas, "A Global Concept of Justice-Dream or Nightmare? Looking at Different Concepts of Justice or Righteousness Competing in Today's World" 67 (4) *Louis L. Rev.* 1021 (Summer 2007)

untrue; likewise, laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.²²

Justice is considered to be the sine qua non of any well-ordered society. Justice is the yardstick which is applied to measure whether a society is suitably governed and meets the basic requirements of its members. It is true that this general notion of justice may take different concrete manifestations when applied to particular societies, but when this domestic notion of justice is applied at the international level, a number of issues crop up:

First, there is a fundamental question of whether the international system of today is sufficiently welded to the notion of the world as "society" governed by a rule-based order, in the sense in which the notion has been understood in the context of *ubisocietas, ibi jus*. It is common knowledge that there is still a controversy about whether the world we live in is sufficiently "normative" to allow us to speak of an "international society" built on a common concept of justice that offers a solid foundation for public order based on shared values of this society qua society. Second, within the atomistic structure of the present international system, the independent sovereign states that compose it claim to be at the same time both the representative of the public interest of this community in a norm-creating capacity and the representative of private interests of their own in a norm-receiving capacity.²³

The problem with understanding justice in the global context is that in the domestic scenario nation-state is the primary locus of political legitimacy and pursuit of justice but there is no comparable institution at the global level. The international society is in a transitional form. It is highly debated, at the moment, whether it should be considered as an inter-national society, consisting of sovereign states, or a global society consisting of human individuals.²⁴ The notion of global justice would differ with the context in which it is finally applied. But whatever be the nature of the international society, the demand for global justice is clear, unyielding and ever growing.

Global justice is going to wield considerable influence on the future of global change and the re-shaping of development agendas. It symbolizes a transition from a

²² Supra Note 11, pp. 3-4

²³ Judge Hisashi Owada, "Some Reflections on Justice in a Globalizing World" 97 Am. Soc'y Int'l L. Proc. 181-82 (April, 2003)

²⁴ Ibid

"Hobbesian perspective on international development to a Kantian one".²⁵ Hobbes restricted justice to the domestic level and held that actual justice cannot be achieved at the international level due to the absence of a global state. Kant, on the other hand, in his Perpetual Peace argued that international justice is possible even in the absence of a global state. The other facet to justice is the dimension of equality. This is very well argued by John Rawls when he states that interwoven in the liberal requirement of justice is the concept of equality among citizen, but such egalitarian justice is a wholly political claim which "applies to the basic structure of a unified nation state... and cannot be extrapolated to different contexts which require different standards"²⁶"If Hobbes is right, the idea of global justice without a world government is a chimera. If Rawls is right, perhaps there can be something that might be called justice or injustice in the relations between states, but it bears only a distant relation to the evaluation of societies themselves as just or unjust: for the most part, the ideal of a just world for Rawls would have to be the ideal of a world of internally just states."²⁷

Contemporary proponents of global justice advocate adopting the Kantian cosmopolitan tradition reaching the benefits of distributive justice to the entire world. However, establishing the need for global justice and finding theoretical support for it is only work half done as it opens a Pandora box of questions about how to transform it from a mere a theoretical conception to a living reality.

SEEKING RESPONSES TO A PLETHORA OF QUESTIONS

The most fundamental questions which arise from a quest for global justice are what kind of justice: political, cultural or socio-economic? Justice for whom? What end should such justice serve? These questions give rise to further debates, resulting in highly divergent and conflicting opinions among the authors of today on the issue of global justice.

What kind of justice? To answer this question it is necessary to analyse the raging debate between cosmopolitans and statist. Cosmopolitans comprehend global justice essentially as domestic justice albeit on a bigger stage. They advocate the application of domestic egalitarian principles of justice at the global platform. Statists, on the other hand, argue that justice as equality has no place outside domestic frontiers. Cosmopolitans thus,

²⁵ Theo Papaioannou et al, "Global Justice: From Theory to Development Action", 44 IKD Working Paper1 (Feb 2009)

²⁶ Supra note 13 at 114-115

²⁷ Ibid

make a demand for distributive justice at the global stage, i.e., egalitarian distribution of liberties, opportunities and economic goods, whereas statist are content so long as basic human rights are met and people assist one another in difficult circumstances.²⁸ These different outlooks have varied implications and make it pertinent to draw a distinction between justice and humanity vis-à-vis global justice. "Unlike humanity, justice creates a system of rights (and consequently of duties and obligations)... and 'rights are protected fields for activity within which individuals or groups may pursue their interests.'²⁹ In light of this, one can conclude the debate between cosmopolitans and statist in the following words,

Cosmopolitans, who believe that liberal egalitarian justice should apply to the global arena, hold that the de facto system of entitlements defining people's respective 'fields for activity' across the world is unjust. For it to be just, it should conform to liberal principles of domestic justice, granting all human beings equal civil and political rights, and placing strict limits on permissible global socio-economic inequalities. This implies that at least part of what liberal citizens, and their governments, ought to do in order to improve the situation of the world's least advantaged is in principle owed to them.

For statist, on the other hand, liberal citizens and their governments, have a duty to help the poor meet their basic needs and develop viable social institutions. These international distributive obligations appear to be more akin to duties of humanity, thereby suggesting that, whatever resources the global privileged ought to invest to help the world's poor should be seen as rightfully theirs and not as belonging to the world's less fortunate nations in the first place.³⁰

Thus, what liberals envisage is a distributive justice mechanism at the global level to bring about equitable distribution of wealth and resources and reduce the compelling disparities. At this juncture, there is a need to briefly explain the concept of distributive justice as it has been propounded since decades. For the past four decades the most extensively discoursed theory of distributive justice has been the one proposed by John Rawls in his treatises -A Theory of Justice(1971), and Political Liberalism(1993). He puts forth the following two principles of justice:

²⁸ Supra note 8 at 2.

²⁹ W.D. Lamont, "Justice: Distributive And Corrective" 16(61) Philosophy 3 (1941).

³⁰ Supra note 8 at 9.

1. Each person has an equal claim to a fully adequate scheme of equal basic rights and liberties, which scheme is compatible with the same scheme for all; and in this scheme the equal political liberties, and only those liberties, are to be guaranteed their fair value.
2. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: (a) They are to be attached to positions and offices open to all under conditions of fair equality of opportunity; and (b), they are to be to the greatest benefit of the least advantaged members of society.³¹

Taking into account domestic theory of distributive justice and importing it to the global level cosmopolitans endeavour to answer the fundamental questions revolving around global justice. The foremost basic query that arises is who should fall within the ambit of a global theory of distributive justice? Answering it, cosmopolitans unequivocally assert that individuals and not states should be governed by a global theory of justice. This gives rise to the second vital question as to what should be fairly distributed among the individuals. On this issue, there is lesser concurrence among the cosmopolitans. Some of them contend that resources should be fairly distributed, while others contend that global ideologies of distributive justice should focus on welfare. Further a third group asserts that global justice should be viewed in regard to the ability of people to perform. This leads to the last important question- how should it be distributed? Answering the third question, cosmopolitan thought presents three views, as to whether resources should be disseminated likewise to all or in accordance with merit or in relations to subjective wants."³² "For instance, Pogge defends a 'global resource dividend' that requires that people should be taxed for using natural resources and the proceeds spent on global poor. Beitz, on the other hand, maintains that John Rawls's 'difference principle' according to which 'social and economic inequalities are to be arranged

³¹ Julian Lamont & Christi Favor, "Distributive Justice" in Edward N. Zalta (ed.) Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014), available at: <http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/> (Visited on Sept. 17,2015)

In case of conflict between the rules, Rawls states that Principle (1) has etymological precedence over Principle (2), and Principle (2a) has etymological precedence over (2b). As a result of the precedence rules, Rawls' principles do not allow sacrifices to basic liberties in order to generate greater equality of opportunity or a higher level of material goods, even for the worst off. While it is possible to think of Principle (1) as governing the distribution of liberties, it is not commonly considered a principle of distributive justice given that it is not governing the distribution of economic goods per se.

³² Supra note 21 at 3

so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all' should be extended to the global level.³³

Global justice is, therefore, for the people of this globe not for a state or an organization. It will mostly be an import of domestic distributive justice system. It will majorly represent a justice that aims to reduce the predominant socio-economic injustices in the world. Thus, the quest for global justice stumbles upon some fundamental answers albeit a number of related issues still remain unanswered.

GLOBAL POLITICAL AWAKENING: AN OUTCOME OF THE QUEST FOR GLOBAL JUSTICE :

Critics might contend that global justice is largely a theoretical conception and its practical implications in the current world continue to be a distant dream. Nothing could be further from the truth. The rising consciousness regarding the prevalent chronic economic, political and social disparities, have set into motion a number of events worldwide, aimed at curtailing the growing inequalities and restoring human dignity to its prized position. Right from the Arab Spring to the emergence of new Left ideology in the West, all these events have at the centre of their genesis the quest for an international order which is based on justice. This major upheaval in the established world order has been termed as the "global political awakening". The term was propounded by Zbigniew Brzezinski. He states:

For the first time in history almost all of humanity is politically activated, politically conscious and politically interactive. Global activism is generating a surge in the quest for cultural respect and economic opportunity in a world scarred by memories of colonial or imperial domination."³⁴

This colossal 'global political awakening' puts before the organized powers of globalization and the global political economy: nation-states, multinational corporations and banks, central banks, international organizations, military, intelligence, media and academic institutions, their greatest and most formidable challenge. The presence of an integrated and globalized Transnational Capitalist Class has galvanized the global population, which is seething from the unjust treatment meted out to them by the global elite."³⁵ "The worldwide yearning for

³³ Ibid.

³⁴ "Zbigniew Brzezinski, "The Global Political Awakening" The New York Times Dec 16, 2008, available at <http://www.nytimes.com/2008/12/16/opinion/16jht-YEbrzezinski>. 1.18730411.html (Visited on September 17, 2015)

³⁵ "Andrew G Marshall, "The Global Political Awakening and the New World Order. The Technological Revolution and the Future of Freedom, Part 1" Global Research June 24, 2010, available

human dignity is the central challenge inherent in the phenomenon of global political awakening."³⁶

"It is no overstatement to assert that now in the 21st century the population of much of the developing world is politically stirring and in many places seething with unrest. It is a population acutely conscious of social injustice to an unprecedented degree, and often resentful of its perceived lack of political dignity. The nearly universal access to radio, television and increasingly the Internet is creating a community of shared perceptions and envy that can be galvanized and channelled by demagogic political or religious passions. These energies transcend sovereign borders and pose a challenge both to existing states as well as to the existing global hierarchy..."³⁷

The Arab Spring can be held to be one of the biggest manifestations of this awakening. Arab spring refers to a series of anti-government agitations, upheavals and armed rebellions that engulfed the Middle East and North Africa (MENA) in 2011. It started in Tunisia and soon spread like wildfire to Egypt, Libya, Syria and Yemen and in a milder form to Bahrain, Jordan and Saudi Arabia. At the heart of these uprisings were repressive dictatorial regimes, rampant corruption, crippling social and economic inequalities, blatant denial of civil rights and of course, an angry and disillusioned population. The sheer scale, rapidity and might of these events can be traced to the forces of globalization. Most of these protests began on social media, which aided not only in the dissemination of idea but also in the galvanization of the masses. It won't be wrong to contend that the Arab Spring reflects that dark side of globalization. High rates of unemployment ranging from 10 to 25 per cent, rising cost of living, poverty and corruption, despite the illusion of plenty, led to the Arab spring. It was a result of the persistent denial of justice to the masses, a justice which was denied to them not only by their domestic overlords but also by the global hierarchy in general"³⁸, and the compounding of that denial with an increased consciousness of it. It is true

at <http://www.globalresearch.ca/the-global-political-awakening-and-the-new-world-order/19873> (Visited on September 17,2015)

³⁶ Zbigniew Brzezinski, "The Dilemma of the Last Sovereign" 1(1) The American Interest (Sept 2005), available at <http://www.the-american-interest.com/2005/09/01/the-dilemma-of-the-last-sovereign/> (Visited on September 18,2015)

³⁷ Ibid.

³⁸ The region does not lack natural resources, capital and labour. However, much of the natural resources and the capital accumulated from their export are under Western control. All major oil exporters of the region - the members of the Gulf Cooperation Council that comprises the richest Arab States depend on the US. for their very existence and security. The Saudi kingdom is actually behind the full in oil prices and they are doing that at their own cost for strategic reasons benefitting the U.S. The bulk of Saudi

that the Arab Spring couldn't achieve all that it had aspired to and lamentably, gave way to the Arab Winter³⁹ which brought further unrest to the region, yet the upheaval that it caused in the global order can't be undermined at any cost.

A by-product of the uniformity propagated by cultural globalisation was the meteoric rise of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Much has already been written about the nature, growth and functioning of this radical organization. It has been asserted that radicalisation of the World and lack of educational and employment opportunities are responsible for the growth of this terror outfit. However, the fact is that a huge number of ISIS's recruits hail from countries which are supposed to be paragons of modernisation and development.⁴⁰ "Hence, it would be delusional to use social background and education as yardsticks by which to judge a person's propensity for political radicalism. More often than not the roots of extremism lie not in poverty or lack of knowledge, but in the desire to dismantle the existing socio-cultural and political models."⁴¹ It can be submitted that one of the causes behind the emergence and success of terror groups like the ISIS is the prevailing fear among the masses that globalization is increasingly eroding traditional territorial, cultural and economic barriers. While to some extent increased interconnectedness is appreciated, the fact that it benefits the capitalist and elitist classes more and gives them the immense power of moulding far- flung localities to suit their needs, doesn't go ignored either. People have started to realise that the global order is not being fair to the common man and their

money abroad is invested in U.S. treasury bonds and U.S. banks. All this is pure loss for the whole region. Western imperialism has created the regional system of Gulf monarchies in order to guarantee its exploitation of their resources, and this may remain the case until the last drop of oil has been sucked out of the region." Vidya Venkat, "Arab Spring has now turned into a Winter" The Hindu December 25, 2014, available at: <http://www.thehindu.com/opinion/interview/arab-spring-has-now-turned-into-a-winter/article6716540.ece> (Visited on September 18, 2015)

³⁹ "The Arab Winter is a term for the wide-scale violence and instability evolving in the aftermath of the 2011 Arab Spring protests in Arab League countries. The term Arab Winter refers to the events across the Arab World, including the Syrian Civil War, the Iraqi insurgency, the Egyptian Crisis, the Libyan Crisis and the Crisis in Yemen. The Arab Winter is characterized by the emergence of multiple regional civil wars, mounting regional instability, economic and demographic decline of Arab countries, and ethno-religious sectarian strife. According to a study by the American University of Beirut, since summer 2014 the Arab Winter resulted in nearly a quarter of a million deaths and millions of refugees. Arab Winter, available at https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Winter#cite_note-telegraph-1 (Visited on September 18, 2015)

⁴⁰ Many citizens of Europe are abandoning European values and swearing allegiance to "Islamic State" (whose geographical association with Iraq and Syria is becoming increasingly nebulous). According to a study by British university King's College, ISIS has more than 3,000 citizens of the West in its ranks, including 320 from Germany and about a thousand from France. Others came from across Europe." The Side Effects Of Globalization, Or Why Russian Students Join ISIS, available at: <http://www.russia-direct.org/opinion/side-effects-globalization-or-why-russian-students-join-isis> (Visited on September 18, 2015)

⁴¹ Ibid.

increasing resentment against the global elite, is at times being channelized by organizations like the ISIS to further its agenda.

Another recent development which is taking the West by storm is the emergence of a new Left ideology. The landslide victory of Jeremy Corbyn as the Leader of the Labour Party and Leader of the Opposition in the United Kingdom has left political pundits reeling. Bernie Sanders, another surprising entry, had proved to be Hilary Clinton's most formidable challenger in her bid for presidential candidature from the Democratic Party in the United States. Syriza's impressive rise in Greece, support garnered by the Five Star Movement in Italy and Podemos success in breaking the two party hegemony in Spain are all reflections of a new Left-ward shift in Western politics. "To understand this populist Left-ward shift, we need to consider the crippling effects of rising inequality. While economic growth has varied, the U.K., U.S., China and India have experienced exceptionally large rises in inequality since the 1980s, underwritten by forces of globalisation, technological change, and financial liberalisation. Liberal democracies, once the embodiment of a contented society, are increasingly failing to deliver what citizens want for individual opportunity - equitable economic growth, quality public services and personal security. As Francis Fukuyama states, today's liberal democracies are increasingly undergoing repatrimonialisation- the capture of independent state institutions by powerful elites. The egalitarian ethos, tempered by the idea of a society, has dissolved."⁴²

From a perusal of the above-mentioned events it can be submitted the quest for global justice is very much on its way. The havoc that the "other" face of globalizations is wrecking on the global masses is becoming more and more evident. People are realising that they are not only being denied their share in global prosperity but are also facing a threat to their cultural, economic and social identities.

The presence of gigantic inequalities is making people question the intentions of the global elite. The rising discontent is giving way to rebellions, radicalisation and emergence of new ideologies to curtail the growing gap between the elite and the masses. Moreover, neither the origin nor the implications of these events are local in nature. They include within their ambit the entire global citizenry. However, none of these events can single-handedly bring about a more egalitarian and just global order. Terror outfits like the ISIS are creating their own exploitation and discriminations. The question that now arises is

⁴² Fukuyama, F., *The end of History and the Last Man* (Penquin, Hammonds worth, 1992).

who can bring about a just global order. At the domestic level, it's the national government which has to shoulder the responsibility; at the global level there is no world government and whether there ever will be is another highly contentious debate. What does exist at the world stage, today, is a global institutional order and perhaps, it can serve as the starting point in mankind's search for global justice.

GLOBAL INSTITUTIONAL ORDER AND RAWLSIAN INSTITUTIONAL ANALYSIS :

Rawls has never directly approached the topic of global justice⁴³; yet, contemporary philosophers like Pogge and Beitz insist that a global theory of justice can only be Rawlsian in its institutional principles. "Through this grand work, Rawls has firmly established social institutions as a distinct domain of moral assessment and has marked this domain terminologically by associating it with the term (social) justice. So the term justice is now predominant in the moral assessment of social rules (laws, practices, social conventions and institutions) and used only rarely in the moral assessment of the conduct and character of individual and collective agents. In the wake of Rawls the distinction between institutional and interactional moral analysis has come to be marked as a distinction between justice and ethics."⁴⁴

It is true that Rawlsian analysis is confined to domestic justice, whereas global justice deals with the welfare of individuals. But it is also true that there exists a global institutional order today comprising of various supranational agencies governed by intricate transnational regimes and this institutional order is not doing all good and is contributing to global injustices to a large extent. The global institutional order is furthering the prevalent global injustices in two main ways:

First, its rules may affect individuals indirectly, by co-shaping the national institutional order under which they live.

Secondly, the rules of the global institutional order may affect people more directly. Consider, for example, the current WTO treaty system, which permits countries to protect their markets against cheap imports (agricultural products, textiles and apparel, steel, and much else) through tariffs, anti-dumping duties,

⁴³ In his two major treatises, *The Theory of Justice* and *Law of Peoples*, he addressed the issues of domestic justice and the governing principles of the foreign policy of a liberal society respectively. He further in his *Law of Peoples* explicitly rejects the cosmopolitan relationship between global and domestic political theory.

⁴⁴ *Supra* note 7 at 16.

quotas, export credits, and huge subsidies to domestic producers. Such protectionist measures reduce the export opportunities from poor countries by constraining their exports into the affluent countries and also, in the case of subsidies, by allowing less efficient rich-country producers to undersell more efficient poor-country producers in world markets.⁴⁵

Therefore, it can be submitted that the Rawlsian analysis can be applied at the global level as well as there exist transnational institutions, laws, covenants, regimes etc. which are capable of directly or indirectly affecting the lives of the global common. Although there is no global society as of now, Rawlsian principles can be applied to the multitude of transnational organization and regimes and these can be then tested at the altar justice. If these organizations and regimes qualify to be just, then they would be in a position to bring about some measure of global justice and thus, work for the welfare of the individuals.

GLOBAL JUSTICE IN THE FORESEEABLE FUTURE :

The biggest obstacle, maybe even an insurmountable one, in the path of global justice it seems is the lack of a global sovereign power at the world stage. "According to Hobbes, in the absence of the enabling condition of sovereign power, individuals are famously thrown back on their own resources and led by the legitimate motive of self-preservation to a defensive, distrustful posture of war. They hope for the conditions of peace and justice and support their creation whenever it seems safe to do so, but they cannot pursue justice by themselves."⁴⁶ Rawls, on the other hand, dissents from the view that a world government is necessary for the application of his principles. As he says, 'Here I follow Kant's Perpetual Peace (1795) in thinking that a world government by which I mean a unified political regime with legal powers normally exercised by central governments - would either be a global despotism or else would rule over a fragile empire torn.....'⁴⁷ Thomas Nagel provides another view when he states, "...the requirements of justice themselves do not... apply to the world as a whole, unless and until, as a result of historical developments...the world comes to be governed by a unified sovereign power."⁴⁸

Global sovereignty at the moment is a remote idea. Whether a global state would emerge and develop into a full-fledged world government is a speculative concept to say the least. There

⁴⁵ Supra note 7 at 20.

⁴⁶ Supra note 13 at 116.

⁴⁷ "John Rawls, Law of Peoples with "the Idea of Public Reason Revisited "36 (Harvard University Press, 1999).

⁴⁸ Supra note 13 at 121.

are myriad obstacles in the formation of a unified global sovereign authority, foremost being, the primal instinct of nation states to avoid any dilution of their sovereignty. Thus, what exists today is the global institutional order and it is this order on which the responsibility of bringing about a just world order has to be fastened. There are deep rooted injustices in the formation and organization of this global institution order and to bring about world justice, the first task is to evaluate and analyse the world institutional order. "Current international rules and institutions may be the thin end of a wedge that will eventually expand to seriously dislodge the dominant sovereignty of separate nation- states, both morally and politically, but for the moment they lack something that according to the political conception is crucial for the application and implementation of standards of justice: they are not collectively enacted and coercively imposed in the name of all individuals that carries with it a responsibility to treat all those individuals in some sense equally."⁴⁹ For only when the institutions purported to impart justice are just that they can do any justice in the world.

"The task of global justice is a shared responsibility. It is a constructive exercise that calls for many distinct economic, social and political reforms, including tangible progress...in enhancing the participation of developing countries in international economic decision-making."⁵⁰ Global justice may have been a utopian idea a decade ago, but today it is very much a living reality albeit largely a theoretical one. Contemporary political and social events are making it evident that the world has awakened to the reality of global injustices. The lack of a redressal mechanism is propelling the masses to take matters into their own hands, which is in no way adequate enough to curb the growing inequalities. What is needed is that, the very global institutional order which originated due to globalization, takes steps to bring about a more just globalization. This institutional order, in the very first instance, needs to start reforming itself so that it stops catering to the needs of a few and looks beyond to the needs of the masses. Remedial measures have to be initiated. Policies have to be broadened. Institutions have to be restructured. No longer can the leaders of the world sit around and wait for global justice to arrive. "For if justice, like truth, be the daughter of time it cannot be fully known until all time ends"⁵¹ and then what purpose would such justice serve if it is brought to realisation only at the end of time.

⁴⁹ Supra note 13 at 138.

⁵⁰ Amartya Sen, "Interdependence and Global Justice", available at: www.un.org/esa/documents/GI.O-UNGA.pdf (Visited on September 9, 2014)

⁵¹ Supra note 17 at 1041

REFERENCE

- Amartya Sen, "Interdependence and Global Justice", available at: www.un.org/esa/documents/GLO-UNGA.pdf (Visited on September 9, 2014)
- Andrew G Marshall, "The Global Political Awakening and the New World Order. The Technological Revolution and the Future of Freedom, Part 1" Global Research June 24, 2010, available at: <http://www.globalresearch.ca/the-global-political-awakening-and-the-new-world-order/19873> (Visited on September 17, 2015) Also refer Supra note 13.
- Anthony Giddens, *The Consequences Of Modernity: Self And Society In The Late Modern Age* (Polity Press, Cambridge, 1990).
- Anthony McGrew, "Globalization and Global Politics", in John Baylis et. al. (eds.) *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* 19 (Oxford University Press, 2011)
- Stark, "Global Justice Historical Justice in Political Theory", October 2012, Vol. No. 5, P. 543-572
- C.R., Beitz, *Political Theory and International Relations* (Princeton University Press, 1979)
- Fukuyama, Francis, "The End of History and the Last Man" (Penguin Hammondsworth, 1992)
- George Orwell and Lionel Trilling, *Homage to Catalonia* (Harcourt Brace & Co, San Diego, 1980)
- Immanuel Kant, "Perpetual Peace: A Philosophical Sketch", in Hans Reiss (ed.) *Kant's Political Writings* (Cambridge University Press, 1970).
- John Rawls, *A Theory of Justice* 3-4 (Harvard University Press, 1971)
- John Rawls, *Law of Peoples with "the Idea of Public Reason Revisited"* 36 (Harvard University Press, 1999).
- Judge Hisashi Owada, "Some Reflections on Justice in a Globalizing World" 97 *Am. Soc'y Int'l L. Proc.* 181-82 (April, 2003)

- Julian Lamont & Christi Favor, "Distributive Justice" in Edward N. Zalta (ed.) Stanford Encyclopaedia of Philosophy (Fall 2014), available at:<http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/> (Visited on Sept. 17,2015).
- Laura Valentini, Justice In A Globalized World: A Normative Framework, 1 (Oxford Publishing House, 2011)
- Manfred B Steger, Globalization: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2008)
- Nancy Fraser, "Reframing Justice in a Globalized World" New Left Review Vol. 36 No. 4(Nov-Dec 2005).
- StathisBanakas, "A Global Concept of Justice-Dream or Nightmare? Looking at DifferentConcepts of Justice or Righteousness Competing in Today's World" 67 (4) Louis. L. Rev. 1021 (Summer 2007)
- Supra, note 7.
- Thomas Nagel, "The Problem of Global Justice"33(2) Phil. & Pub. Affairs (April, 2005)
- Thomas Pogge, Politics as Usual: What Lies Behind the Pro-Poor Rhetoric (Polity Press, Cambridge, 2010).
- W.D. Lamont, "Justice: Distributive And Corrective" 16(61) Philosophy (1941).
- World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization: Creating Opportunities For All (Academic Foundation, 2006)
- Zbigniew Brzezinski, "The Dilemma of the Last Sovereign" 1(1) The American Interest (Sept 2005), available at: <http://www.the-american-interest.com/2005/09/01/the-dilemma-of-the-last-sovereign/> (Visited on September 18,2015)
- Zbigniew Brzezinski, "The Global Political Awakening" The New York Times Dec 16, 2008, available at: <http://www.nytimes.com/2008/12/16/opinion/16iht-YEbrzezinski.1.18730411.html> (Visited on September 17, 2015)



A BRIEF STUDY OF SIMULTANEOUS ELECTIONS IN INDIA

Sudhanshu Ranjan Yadav*

ABSTRACT: ‘Simultaneous Election’ is defined as struggling the Indian election cycle in a manner such that elections to Lok Sabha and State Assemblies are synchronised together. Indian polity is perennially in an election mode. On an average 5-7 Assembly elections happen every year. Such frequent electoral cycles end up negatively impacting administrative and developmental activities in the poll-bound States and impacts the larger governance process in general. There is a serious need to evolve a mechanism to end this frequent cycle of elections. A strategy known as ‘One Nation, One Election’ has the potential to stop India from being in an election state during the whole year. It has the ability to provide a new framework for the election process that is being used in India. The elections for the Lok Sabha and the Legislative Assemblies are now scheduled to take place concurrently according to this strategy. In 1999, in its 170th report, the Law Commission argued in favour of holding elections for the Lok Sabha and the Assemblies at the same time. After that, in December of 2015, the Law Commission issued a report with the title “One Nation, One Election”. It has been reported that the government may save millions of rupees in election costs if the elections for the Lok Sabha and the Vidhan Sabha were to be held at the same time. It was proposed that the country hold elections at the same time all around the country in the light of the aforementioned factors.

The Commission noted that simultaneous elections cannot be held within the existing framework of the Constitution. Simultaneous elections may be conducted to Lok Sabha and State Assemblies through appropriate amendments to the Constitution, the

***NET-JRF**

Representative of the People Act 1951, and the Rules of Procedure of Lok Sabha and State Assemblies. The Commission also suggested that at least 50% of the states should ratify the constitutional amendments. In this paper, the author investigate the concept of “One Nation, One Election” as it pertains to India.

LITERATURE REVIEW:

-The Book “**An Undocumented Wonder- The Making of the Great Indian Election**” by former Chief Election Commissioner S.Y. Quraishi gives insights into the “biggest management event of the world”. This book has been instrumental in understanding how the world’s largest democracy works.

-The Book “**How India Votes**” by V.S Ramadevi and S.K. Mendiratta incorporates all the aspects relating to the elections in India. It provides detailed information on the practices and procedures relating to elections for the post of the President and Vice- President, the Indian Parliament and State Legislatures.

-**All You Want to Know About Indian Elections**” by S.K Mendiratta contains all salient provisions of the Constitution, electoral laws and a plethora of directions and instructions of the Election Commission of India on various aspects of electoral exercise. It is updated with the amendments made to election law, judicial pronouncements of the Supreme Court and High Courts as well as the Election Commission’s directions and instructions.

-“**Chawla’s Elections: Law and Practice**” authored by V.S. Deshpande and Kiran Jain provides for intensive details regarding the conduction of elections in India. The book helps in understanding the election procedures of almost every political election that occurs in India.

-The discussion paper titled as **Analysis of Simultaneous Elections: The “What”, “Why” and “How”** written by Bibek Debroy and Kishore Desai provides an insight into the concept of simultaneous elections, why are they needed, what are the criticisms and counter arguments regarding them and how they should be implemented.

RESEARCH METHODOLOGY:

The present study is a Doctrinal study. The researcher has adopted this method based on the study of different books, reports ,and articles published in a systematic and logical manner. The help has also been taken from different internet sources also. The information is collected from various sources which includes the various legislations, statutes, rules and regulations of various administrative bodies. The various legislations relating to elections such as

Constitution of India, Representation of the People Act, 1951 and Conduct of Election Rules, 1961 are being referred. Moreover, various books by eminent scholars, published articles, newspapers, research articles, internet sources and various reports of the Law Commission of India are also being referred.

INTRODUCTION:

“Elections are the barometer of democracy and the contestants the lifeline of the parliamentary system and its set up.”

~ Former Chief Justice of India, RC Lahoti In S.R. Chaudhuri v. State of Punjab

Indian elections, the name itself creates an awe, owing to sheer scale, unfettered consistency, and uninterrupted continuity. There is always a sense of mystery as “how India votes”. Democracy has been firmly established in the country and it is looked upon as one of the most stable democracies on the globe by the whole comity of nations around the world. The Apex Court of the land has rightly described it as an “oasis of democracy” as we look around and compare the record of its democratic functioning with that of the other nations who also got freedom from foreign rule more or less around the same time. The abstraction of democracy as envisioned by the Constitution makers postulate the representation of the people in Parliament and State Legislative Assemblies through the medium of elections. Democracy is one of the inalienable basic features of the Constitution of India which forms part of its basic structure. Elections are our pride. They have operationalized for us a fundamental goal of our freedom struggle, namely popular representation.

The Supreme Court observed In Kihoto Hollohan Zachillu and ors :

“Democracy is a basic feature of the Constitution. Whether any particular branch or system of Government by itself has this attribute of a basic feature, as long as the essential characteristic that entitle a system of government to be called democratic are otherwise satisfied is not a necessary to be gone into. Election conducted at regular, prescribed intervals, is essential to the democratic system envisaged in the Constitution. So is the need to protect and sustain the purity of the electoral process. That may take within it the quality, efficacy and adequacy of the machinery for resolution of electoral disputes.”

Elections in India can be termed as the festival of democracy. Conducting elections in a large country like India which has a huge voter base is a mammoth task. India is a federal country with three tiers of government, namely the Centre, the State and the Local Bodies. India has 28 States and 8 Union Territories. As per the 1991 Census of India, there

are 3255 Urban Local Bodies in the country which are further classified into the four major categories namely Municipal Corporation (Nagar Nigam), Municipality (Nagar Parishad), Town Area Committee and Notified Area Committee. Considering the number and the statistics, elections are conducted frequently in India as different bodies and assemblies have varying terms.

As per the essential requirements of the Democratic Form of Government, the Constitution allows for determining the important constitutional offices to be filled through the practice of free and fair elections. The important constitutional offices include, Lok Sabha, Rajya Sabha, President's office, Vice President's office, different State Legislatures. In most of the cases, these constitutional institutions are time specific and have fixed term of five years. The Model Code of Conduct is always applied in our country, some or the other part of the nation is always electorally alert.

The members to Lok Sabha, also called as the House of the People and the State Legislative Assemblies, also known as Vidhan Sabha are elected by the process of direct voting. The voting is done on the basis of universal adult suffrage, wherein all the citizens of the country who are above the age of eighteen are allowed to vote without any discrimination.

In the case of filling of offices of the President, Vice-President and Rajya Sabha, such offices are filled as per indirect voting. For the purpose of election to the post of President, Vice-President or the members of Rajya Sabha, an electoral college is constituted on the basis of existing provisions provided in the Constitution and relevant election provisions such as the Representation of the People Act, 1951. The kind of electoral exercise that we witness in India is unparalleled in the world. Due to the sheer size and magnitude of electorate and the expanse of our democracy, this electoral exercise doesn't only assume gigantic proportions; it also leads to huge electoral expenditure. To add to the existing woes, the elections to the Lok Sabha and the Vidhan Sabha are held in fragments. This way the country is always electorally active. The Election Commission of India is on its foot throughout the year because of this. This is the situation when we are not taking account of local elections for Panchayat and Urban Municipalities. The ever-rising electoral expenditure on the country because of this can prove detrimental to our governance and developmental goals.

India is mostly in a polling phase as the Model Code of Conduct is applied in some or the other part of the country. The 16th Lok Sabha Elections were held from March 2014 to May 2014. Along with this, elections to the state legislatures of 4 states namely Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim and Odisha were also conducted at the same time. Soon after the General Elections, the elections for Maharashtra and Haryana State Legislative elections were held in September 2014 – October 2014. The elections to Jharkhand and Jammu & Kashmir Legislative Assemblies were conducted from October 2014 to December 2014. Then came the elections of NCT of Delhi in January 2015. Bihar had to go for polling in September 2015 – November 2015. And then from March 2016 to May 2016, elections were held in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. Considering the expenditure of resources this is indeed a grave situation which needs some reform. Apart from Lok Sabha elections in 2014, elections to 15 state assemblies were held in the next two years. And if we were to add the elections of third tier of government comprising of Municipality and Panchayati Raj and Bye-Elections, then we can analyse how many times people are undergoing an electoral process. Frequent electoral cycles affect the administrative and developmental activities negatively in poll bound states.

One of the pillars of Indian democracy is the periodic organisation of free and fair elections. The nature of our elections to be free and fair is threatened by the rising cost of elections as political parties and candidates who contest look out for other sources to cover these costs. It is an open secret that this contributes to political corruption as pointed out by many studies. The elections conducted separately add burden to the administration of the Election Commission of India (ECI).

Frequent elections have become an area of concern and many intellectuals have voiced their concerns regarding this. The need has arisen to come up with an electoral reform to curb the never-ending electoral cycle.

Taking such issues in cognizance, the Prime Minister Mr. Narendra Modi emphasized on “Ease of Living” in his final address on the Law Day Celebrations in the year 2017 arranged by Law Commission of India at Vigyan Bhawan, New Delhi. Mr. Modi talked about the costs and expenditures incurred by the exchequer on the account of frequent elections. Other than the expenditure, he mentioned about the other issues such as diversion of security forces and civil staff and effect on development programmes. He called for constructive decision on the possibility of holding simultaneous elections for the Union and

the State Governments. Since then a debate has arisen whether simultaneous elections are feasible for a large country like India. The social and political atmosphere was lit up with the prospect of conducting simultaneous elections. The people expressed their opinions either in favour or against this notion on different platforms. Owing to this uproar, the Law Commission of India also presented a Draft Report on the issue of “Simultaneous Elections” in August 2018.

But prior to this report, there have been mentions of simultaneous elections in various report works and speeches. Simultaneous elections have been seen as a one of the electoral reforms that the present system needs.

-The Law Commission of India presented its 170th Report on Reform of Electoral Laws in the year 1999. The commission was headed by Hon’ble Justice B.P Reddy. The Report dealt with the issue of premature and incessant elections. The Report made certain recommendations, out of those one was to hold simultaneous elections to the House of the People and the different State Legislative Assemblies. The Commission also made suggestions on introducing the concept of ‘constructive vote of no-confidence’ inspired from the German model.

-The Department related to Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice presented its 79th Report in the year 2015. The report specifically talked about the “Attainability of Holding Simultaneous Elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies”. The Committee recommended an alternative and practicable method of holding elections.

-The former President of the country Shri Ram Nath Kovind voiced out his opinion regarding elections. Addressing the Joint Session of the Parliament, the President opined that separate and frequent elections to Lok Sabha and various State Legislative Assemblies disturb the developmental activities, interrupt the day-to-day life of the public and affects the importance services of the country. Frequent elections also cause burden to the human resources as they are deployed on the election duty for longer periods of time. He also expressed his views regarding the fact that the current government was open to the constructive and healthy debate on the topic of holding of simultaneous elections to the House of the People and various State Legislative Assemblies. The address by President mentioned “With some election or the other throughout the year, normal activities of the government come to a stand-still because of code of conduct. This is an idea the political leadership should think of.

If political parties collectively think, we can change it.... The Election Commission can also put in their idea and efforts on holding the polls together and that will be highly beneficial”

-The Law Commission of India chaired by Justice B.S. Chauhan had prepared the Draft Report on Simultaneous Elections in 2018 . The report analysed the issues that might crop up when the simultaneous elections are held in the country. The report examined the constitutional aspect of conducting synchronised elections and looked into the legal background so as to find the necessary legal backing for conducting simultaneous elections.

MEANING OF SIMULTANEOUS ELECTION:

There is no legal definition of the term “simultaneous election” but if we look at the words distinctively, we find that “simultaneous” means ‘occurring, happening, operating or being done at the same time’ and “elections” refer to ‘a formal and organised choice by vote of a person for a political office or other position’. According to Webster’s dictionary ‘election’ means the act or process of choosing a person for an office, position or membership by voting. In the Representation of the People Act, 1951, the word ‘election’ is defined as: “election means an election to fill a seat or seats In either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State”. The word ‘election’ implies persons who are to elect, (called the “electors”), the office to which election is to be made, and the person who is to be elected, (called the “candidate”). By combining the terms and the meanings we narrow down the definition as ‘conducting elections to the centre, state and local bodies at the same time’. In simpler terms, people will have to cast their vote on the same day for all the tiers of government.

Simultaneous Elections refer to those elections in which the voting for all the three levels of the Government is conducted on the same day in a systematic and concurring manner. A voter gets the opportunity to cast his vote on the same day to elect members for all the three levels of the government.

India is a larger country with three tier democracy system, namely Centre, State and Local Bodies. India has 28 States, 8 Union Territories and 3255 Urban Local Bodies (according to 1991 Census Report). The third tier of government in India is way too large and also the holding of elections to the third level is mainly a State subject as per the Directive Principle of the State Policy. The State is expected to take some initiatives to arrange for the Village Panchayats and provide them with necessary powers and functions as may be required to fulfil the goal of the self-government. It is extremely difficult and challenging to align the

election schedules of third tier with that of Lok Sabha and Vidhan Sabha. Therefore, when we talk about simultaneous elections in India, we are focussing only on Centre and State elections. As including the third tier will make it more complicated. The question arises as to why do we need the simultaneous elections? The answer lies in the fact that conducting elections in a populous country like ours is a huge task. It is expected that if elections were to be held simultaneously in India then following outcomes are possible.

-Curtailed in colossal expenses that are being incurred for holding of separate and fragmented elections. It is a well-known fact that Indian elections are one of the costliest elections in the world. Huge expenditure is incurred in the form of logistics, security personnel and cash.

-The delays in development programs and poor implementation of policies due to Model Code of Conduct would reduce.

-The essential services would be provided more suitably by the incumbent government and they would not have any excuse to avoid their duties.

-The leadership of the national political parties and of those parties who have presence in more than one state is always engaged in the election campaigns. The leadership is more concerned with conquering seats and elections in different states rather than focusing on the administration and the governance. So, with the introduction of simultaneous elections, there is a possibility that such leadership would work for the welfare of the people.

-The Government frames the policies in a certain way so as to appease the majority to win more votes and seats. The focus on the governance is diminished and more appeasement policies are framed. The exercise of 'political populism' results in major ignorance of the durable sustainable development. The situation would change if simultaneous elections are introduced.

-A shattered polity emerges because of the difference in the election timings of the different states. If synchronised elections are conducted, then there is a chance that the mandate is secured in favour of one national party.

-Simultaneous election would also reduce the burden on the manpower in the form of security personnel's that are deployed during elections. The Election Commission utilises the government employees from various arenas as they do not have their permanent staff in adequate numbers. This impacts the administration and governance of the nation.

In the present system, our country witnesses' elections to about five to seven state legislative assemblies every year. The country is almost in perpetual election mode. The continuous elections affect the stakeholders involved in the elections. The stakeholders involved in the elections are-:

- The Government at both the levels that is the Centre and the State.
- The Government employees and officials who are posted on the election duty.
- The General Public who has to exercise their right to vote.
- The Political Parties and the Candidates who contest the elections.

The need for simultaneous elections could be understood by looking at the problems that the current system faces due to various factors such as impact of imposition of Model Code of Conduct, huge expenditure incurred by the government in conducting of elections, the illegal money used by the political parties for election campaigning which is beyond the permissible limit, deploying of security personnel for election duty and other logistical issues.

Conducting elections is a gigantic task and requires a huge expenditure for different purposes. Huge sum of money is incurred on various election related activities, such as putting the polling stations in the required places, arranging for basic essentialities at the polling stations and the counting centres, remitting of travelling allowances and dearness allowances for the staff engaged in the polling and counting duty, arranging for necessary transportation facilities for the staff, safeguarding the election material and ballot boxes, setting up of temporary telephone and electrical facilities and buying of election material such as indelible ink, ammonia paper, basic stationary etc

CONCLUSION:

India is a democratic, federal and republic country. The periodic elections have been an integral part of the democratic set-up. Indian democracy is one of the most distinguishing features which sets India apart from other countries in the world. Free and fair elections had been envisioned by the Constitution makers. For the said purpose, Constitution contained the provisions relating to setting up of the independent, autonomous body for the superintendence and control of the elections and election related activities.

India is a large country with respect to both population and territory. Conducting elections in a country like ours with diverse climatic conditions and variant terrains is not an easy task. There is always a sense of curiosity among the international media as to how the elections are

conducted in India. The voting for General Elections in India is the single largest activity done by such a huge population among all the civilisations of the present and the past.

India has a Parliamentary Form of the Government. The federal set-up in India establishes the government at three tiers namely the centre, state and the local bodies. The election system is extensive in our country. The Election Commission of India holds direct and indirect elections to the offices of President, Vice-President, Rajya Sabha, Lok Sabha, State Legislative Assemblies, Panchayats and Urban Local Bodies. The Constitution of India provides for Universal Adult Franchise wherein the right to elect is guaranteed to each and every citizen above the age of eighteen, without any discrimination.

Owing to the large democracy, the elections are held at the Centre, State and the Local level frequently. Our country is perpetually in election mode. Conducting elections at such a scale is not an easy task and Election Commission of India is on its foot throughout the year. Also, the expenditure for holding elections rises day by day. Frequent elections are a matter of concern for the growing democracy like ours. The large sum of money spent in conducting fragmented elections can be better used in the developmental work. The notion of holding synchronised elections has been endorsed by Prime Minister, Shri Narendra Modi which has been backed up by two Presidents, former President Shri Pranab Mukherjee and Shri Ram Nath Kovind. The idea of synchronised elections gets support from two former Chief Election Commissioners also, Shri N. Gopalaswami and S.Y. Quraishi respectively.

The present government appears to be in mood of implementing simultaneous elections. The ruling government has come up with the slogan of ‘One Nation, One Election’ to show their support to the implementation of synchronised elections at the centre and the state level. Various governmental organisations such as NITI Aayog, Election Commission of India and Law Commission of India also supports the notion of synchronised elections.

The first two decades after the independence saw the practice of simultaneous elections being held in the country. But this was possible because of the presence of only one National Party at the large level and not because the country had specific organised plans to hold the elections concurrently. The regional parties were not that much active and popular among the masses. However, this practice too saw its fall due to the indiscriminate use of emergency provisions. The state legislative assemblies were dissolved prior to the completion of their terms. This interrupted the cycle of simultaneous elections. The stability of the Houses at both centre and state level was disturbed and it took some time to gain the stability

back. In order to preserve the stability of government, various laws and judgments came up such as Anti-defection laws, S.R. Bommai vs Union of India etc.

It can be said that the House of the People and the State Legislative Assemblies are stable and complete their full term thereby respecting the mandate given to them by the people but the cycles of elections have got fragmented and separated. The people of India are the driving force behind the success of democracy and election procedure in the country. The Election Commission of India is one of the ‘integrity institution’ of the country and works tirelessly to make elections a success story. The commission derives its authority from the Part XV of the Constitution.

The current system of holding elections is flawed and presents with many problems. The hindrances that the country faces have pushed the intellectuals into rooting for simultaneous elections for the centre and the state level. According to the political experts, frequent elections hamper the long-term policy making because every decision is seen as the reason for votes. Also, the separate elections affect the stability and economic development as announcements are more for the vote bank than the development of the nation. These are the practical problems that are faced by the people of India when separate and fragmented elections are conducted.

The problems in holding synchronised elections are many. First, conducting elections in India is a cumbersome task and requires huge sum of money to the public exchequer. The holding of centre and state elections separately puts a huge expenditure block on the backs of the public exchequer. Second, contesting elections also costs a lot of money to the parties and the candidates involved. The political parties leave no stone unturned when it comes to contesting the elections as for them it is a mere investment, for when they come into power, they have the adequate means to get the returns from their investment. Holding fragmented elections also increases the chance of involving black money into the system and thereby affecting the economy adversely. Third, the ruling party also gets busy in preparation for the elections way before the official notification is issued. The focus shifts from the administration and governance to the calculations of winning the next elections. The incumbent Ministers holding important portfolios devote less time to the administration and instead take decisions keeping in mind the dates of the upcoming elections. Fourth, the security forces are deployed for the major part to the election duty. Security forces inclusive of central police forces and state police forces are deployed to maintain the internal security

and look into the smooth and effective functioning of the elections. This also adds to the expenditure and also diverts the security personnel from focusing on their primary duty. Fifth, the frequent imposition of Model Code of Conduct hampers the day to day activities of the common man which affects the productivity of the nation as well. Sixth, the voters have to go out for vote frequently which affects the voting turn-out pattern. People tend to be careless if the elections are conducted frequently.

These issues have propelled the discussion for the holding of synchronised elections to the House of People and the State Legislative Assemblies. The mood for this discussion was set up by the ruling party and then came the 79th Report of Parliamentary Standing Committee on the topic of “Feasibility of Holding Simultaneous Elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies” which talked about conducting simultaneous elections to the Lok Sabha and the Vidhan Sabha. Other than the support from various visionaries, the Law Commission of India published a Draft Report on the topic of “Simultaneous Elections” in August 2018. The Commission was chaired by Dr. Justice BS Chauhan. The commission asked for the inputs from all the stakeholders of the elections and presented a detailed analysis on the applicability of simultaneous elections. The report is suggestive of holding synchronised elections in India. Concluding all the facts above-mentioned we can say that conducting the synchronised elections in India is the need of an hour.

REFERENCES

BOOKS:

The Constitution of India.

The Representation of the People Act, 1951.

Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha

S. Y. Quraishi, An Undocumented Wonder- The Making of the Great Indian Election (Rainlight Rupa Publications, New Delhi, 2014).

V. S. Ramadevi and S.K. Mendiratta, How India Votes (Lexis Nexis, Gurgaon, 4th edn., 2008).

P. C. Jain and Dr. Kiran Gupta, Chawla’s Elections Law and Practice (Bahri Brothers, Delhi, 10th edn., 2014).

Bibek Debroy and Kishore Desai, ‘Analysis of Simultaneous Elections: The “What”, “Why” and “How”

S.K.Mendiratta, All You Want to Know About Indian Elections”

REPORTS:

170th Report of Law Commission of India on “Reform of Electoral Laws”, 1999.

255th Report of the Law Commission of India on “Electoral Reforms”, 2015.

79th Report of Parliamentary Standing Committee, 2015.

Draft Report by the Law Commission of India on “Simultaneous Elections”, 2018.

ARTICLES AND NEWSPAPERS:

Inderjeet Badhwar, “Will Simultaneous Polls Help Democracy?”, India Legal.

Krishandas Rajgopala, “Law Commission Favours Simultaneous Elections”, The Hindu.

Meghnad Desai, “Out of My Mind, All Together Now”, The Indian Express.

Mukesh Ranjan, “Law Panel Releases Draft Working Paper on Simultaneous Elections”, The Tribune.

Swadesh Singh and Sushant, “A Case for Simultaneous Elections”, India Foundation.

WEBSITES:

[https://www.prsindia.org/report-summaries/feasibility-holding-simultaneous-elections-lok-sabha-and-state-legislative\(date-1/4/2023,time-8:39am\)](https://www.prsindia.org/report-summaries/feasibility-holding-simultaneous-elections-lok-sabha-and-state-legislative(date-1/4/2023,time-8:39am))

[https://adrindia.org/content/india's-election-reboot---great-divide\(date-1/4/2023,time-10:12am\)](https://adrindia.org/content/india's-election-reboot---great-divide(date-1/4/2023,time-10:12am))

[http://lawcommissionofindia.nic.in/SE-Summary.pdf\(date-2/4/2023,time-11:30am\)](http://lawcommissionofindia.nic.in/SE-Summary.pdf(date-2/4/2023,time-11:30am))

[https://www.drishtiiias.com/summary-of-important-reports/simultaneous-elections-law-commission-of-india-draft-report-2018\(date-2/4/2023,time-2:45pm\)](https://www.drishtiiias.com/summary-of-important-reports/simultaneous-elections-law-commission-of-india-draft-report-2018(date-2/4/2023,time-2:45pm))

[https://blog.ipleaders.in/constitutional-analysis-simultaneous-elections/\(date-3/4/2023,time-12:45pm\)](https://blog.ipleaders.in/constitutional-analysis-simultaneous-elections/(date-3/4/2023,time-12:45pm))

[https://blog.forumias.com/article/simultaneous-elections-an-analysis\(date-3/4/2023,time-3:56pm\)](https://blog.forumias.com/article/simultaneous-elections-an-analysis(date-3/4/2023,time-3:56pm))

[https://www.livelaw.in/time-has-come-for-india-to-revert-to-simultaneous-elections-in-the-greater-national-interest-law-commission-suggests-inevitable-constitutional-amendments-read-the-report/\(date-5/4/2023,time-10:34am\)](https://www.livelaw.in/time-has-come-for-india-to-revert-to-simultaneous-elections-in-the-greater-national-interest-law-commission-suggests-inevitable-constitutional-amendments-read-the-report/(date-5/4/2023,time-10:34am))

[https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/law-commission-endorses-proposal-for-simultaneous-lok-sabha-assembly-polls-in-draft-report/articleshow/65610275.cms\(date-5/4/2023,time-2:45pm\)](https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/law-commission-endorses-proposal-for-simultaneous-lok-sabha-assembly-polls-in-draft-report/articleshow/65610275.cms(date-5/4/2023,time-2:45pm))



यू० पी० बोर्ड एवं सी० बी० एस० ई० बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन

खडानन जी भावेश
डॉ० गौरव सिंह

शोध सारांश—

वास्तव में सृजनात्मक शिक्षा समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इस प्रतिस्पर्धात्मक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक युग में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने तथा आधुनिकतम वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों का लाभ उठाने तथा रचनात्मकता के विकास में शिक्षा अनिवार्य हो जाती है। वास्तव में शिक्षा का विकास सृजनात्मकता, मानवीय मूल्य की पूर्णता के लिए हुआ है। शिक्षा व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकसित होने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। सृजनात्मक शिक्षा व्यक्ति में वह योग्यता उत्पन्न करती है कि जिससे वह प्रयोग व निरीक्षण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करके जीवन के प्रत्येक पक्ष का भली-भाँति संयोजन कर सके। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के शाश्वत मूल्यों व आदर्श चरित्र की प्राप्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों से अवगत कराना है। सृजनात्मक शिक्षा से जहाँ व्यक्ति का संतुलित विकास होता है वहीं व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं का शाश्वत दिग्दर्शन भी होता है। वस्तुतः शिक्षा एक सतत गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें साध्य के साथ साधन भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह प्रत्येक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का यह कार्य होना चाहिए कि वह अनाधिकारिक रूप से बालकों की मानसिक अविवृद्धि को प्रभावित न करे ताकि उनमें सृजनात्मकता का विकास हो सके, जिसके द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही शिक्षा के द्वारा बालक की शारीरिक व मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है ताकि उनमें वाह्य जगत से सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति उत्पन्न हो सके, साथ ही साथ उनके जीवन में रचनात्मकता का विकास हो और वह पूर्ण ज्ञाता बनकर अपनी शक्ति के अनुसार उनमें भाग लेने के लिए तत्पर हो जाय, यही सृजनात्मकता का वास्तविक कार्य है।

बीज शब्द—

यू०पी० बोर्ड एवं सी०बी०एस०ई० बोर्ड के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी, सृजनात्मकता, सृजनशीलता, रचनात्मकता।

प्रस्तावना—

शिक्षा के द्वारा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक एवं जन्मजात शक्तियों का विकास करके उनमें ज्ञान एवं कला के द्वारा सृजनात्मकता में वृद्धि की जाती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करके उसे सभ्य सुयोग्य बनाकर समाज का उपयोगी नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास करके उसकी सृजनात्मकता में वृद्धि की जाती है। सृजनात्मकता को कुछ समय पूर्व तक वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, कलाकारों को बुद्धिजीवियों की निधि एवं बुद्धि का अंग मन जाता था, किन्तु विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह अवधारणा त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो गयी है। सृजनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होती है, किन्तु उसकी मात्रा में अंतर हो सकता है। सृजनात्मकता मानव की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। किसी राष्ट्र का उत्थान उस राष्ट्र के नागरिकों की सृजनात्मक शक्ति पर आधारित है। इसलिए सृजनात्मक विकास, विकासशील देश की अमूल्य निधि एवं सामाजिक-आर्थिक तथा व्यक्तिगत उन्नति का अमोघ अस्त्र है।

‘शोधार्थी, कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर

‘सह आचार्य, कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर

विद्यार्थियों का सर्वोत्तम बहुमूल्य आभूषण उसकी रचनात्मक क्षमता होती है। यदि हम बालक की रचनात्मक क्षमता का उचित विकास करें तो अवश्य ही हमारे देश की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं, और देश उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है। सृजनशीलता का विकास जहाँ तक एक ओर माता-पिता व बच्चों के पारिवारिक संबंधों पर निर्भर करता है, वहीं दूसरी ओर परिवार के सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर होता है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति से तात्पर्य बच्चों के माता-पिता और भाई-बहन व अन्य सदस्यों की शिक्षा, देश व समाज के प्रति सेवाएं, उधर व नकद जमा धनराशि, समाज में माता-पिता का स्थान तथा भौतिक साधनों व सुविधाओं से है।

शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों व गुणों का विकास करती है। साथ ही साथ बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बालक की अनौपचारिक शिक्षा उसके जन्म से ही शुरू होती है, जबकि औपचारिक शिक्षा का मुख्य दायित्व शिक्षक पर होता है। बालक जैसे-जैसे ज्ञान अर्जित करता जाता है उसमें नवीन वस्तुओं के निर्माण एवं चिंतन क्षमता का विकास होता जाता है, जबकि नवीन वस्तुओं के निर्माण व चिंतन क्षमता का संबंध सृजनात्मकता से होता है। बालक की सृजनात्मकता पर उसकी शैक्षिक उपलब्धि का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है ? शोधकर्ता को यही जानने की जिज्ञासा हुई।

शिक्षार्थियों में सृजनशीलता की मात्रा कुछ सीमा तक विद्यमान रहती है किन्तु वैयक्तिक भेदों के कारण उनमें सृजनशीलता की मात्रा में अंतर भी पाया जाता है। सृजनशीलता का महत्व प्रकट करते हुए स्किकनर ने कहा है कि- हमारे युग में यदि सबसे बड़ी कोई मनोवैज्ञानिक उपलब्धि प्राप्त हुई है जिसने कि शैक्षिक प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया है तो वह इस तथ्य की खोज है कि बालक में सृजनात्मक क्षमता होती है तथा विद्यालय इन शक्तियों के विकास में बालक की सहायता कर सकता है। स्टेन ने भी सृजनशीलता के संबंध में कहा है कि- कार्य का परिणाम नवीन है, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनशीलता कहलाता है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व-

सृजनशीलता एक मानवीय योग्यता है उसकी मौलिकता, नवीनता एवं प्रवाह को अभिव्यक्त करती है। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में प्रत्येक देश एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में सतत प्रयासरत हैं ऐसे में सृजनात्मकता का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि सृजनात्मकता ही नवीन ज्ञान, विचार व कौशल प्रदान कर मानव सभ्यता के बेहतर कल का सृजन करेगी। सृजनात्मकता मानव के क्रियाकलापों एवं निष्पत्ति के लिए आवश्यक है। सृजनात्मकता का अर्थ वैज्ञानिक या कलात्मक सृजन से ही मात्र नहीं है यह प्रत्येक बालक तथा बालिका में पृथक-पृथक पायी जाती है। सृजनात्मकता किसी भी व्यक्ति की क्रिया में पायी जाती है। समाज में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय में सृजनात्मकता के दर्शन होते हैं। सोरेन्सन का मत है- अमूर्त बुद्धि का उच्चतम पक्ष संभवतः कल्पनाशील, मौलिक व सृजनात्मक कार्य में विद्यमान होता है, निम्नतम पक्ष सरल क्रियाओं के मात्र अनुकरण में।

विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन स्तर ज्ञानात्मक एवं रचनात्मक मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो दोनों ही प्रक्रियाओं में गत अनुभवों का महत्वपूर्ण स्थान होता होता है। सृजनात्मकता का संबंध सृजन या रचना करने की योग्यता एवं शक्ति से होता है। यह सृजन विविध प्रकार का हो सकता है, नवीन वस्तुओं या विचारों का सृजन, पुराने वस्तु से नवीन वस्तु का निर्माण, ये सभी सृजन के रूप हैं। आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने में सृजनात्मकता का बहुत बड़ा योगदान है। विविध शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के तौर तरीके में बदलाव, नवीन शिक्षण तकनीकी का प्रयोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक, रुचिकर व ज्ञानवर्धक बनाना सृजनात्मकता का ही परिणाम है। इसका महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है, यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर नजर डालें तो यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक दिन हम कुछ न कुछ नई वस्तुओं में बदलाव एवं नई परिस्थिति, समस्या, नए विचारों से सामना होता रहता है। सृजनशीलता किसी भी प्रकार की प्रगति का आधार होती है।

भारत जैसे विकासशील देश में पाश्चात्य देशों की तुलना में सृजनशीलता या रचनात्मकता पर कम कार्य हुए हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इसपर विशेष बल देने की आवश्यकता है। अतः विद्यार्थियों में रचनात्मक शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रक्रिया औपचारिक हो या अनौपचारिक उसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना होना चाहिए। इसके लिए अध्यापकों व अभिभावकों को अपनी भूमिका का निर्वहन पूर्णतया ईमानदारी से करना आवश्यक है। सृजनात्मक बालकों की पहचान उसके गुणों व उसके कार्यों के आधार पर किया जा सकता है। इनके कार्यों में प्रवाह, विविधता, मौलिकता व विस्तारण जैसे तत्त्व परिलक्षित होते हैं। इसलिए घर पर अभिभावक द्वारा एवं विद्यालय में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति के समुचित विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि सृजनशीलता कलाकारों के जीवन में अधिक व्यापक रूप में पायी जाती है। लेखक, चित्रकार, कवि, विद्वान, अभिनेता आदि सभी में सृजनशीलता विद्यमान रहती है। यह मानव प्रकृति में विद्यमान सार्वभौम प्रवृत्ति है। यदि वातावरण इस युग के विकास के अनुकूल हो तो व्यक्ति की क्षमता का मौलिक विकास होता है। भारत में छात्रों में निहित

सृजनशीलता के गुण का विकास न होने से हजारों लाखों प्रतिभाएं अविकसित रह जाती हैं और उनमें राष्ट्र को हानि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मक स्थिति अन्वेषणात्मक होती है। सृजनात्मकता ज्ञान, सूचना तथा कौशल के क्षेत्र में पायी जाती है। नवीन तथ्यों, सिद्धांतों का प्रतिपादन, सूचना ग्रहण करने तथा कराने की नवीन प्रणालियों तथा नवीन वस्तु, विचार की प्रस्तुति सृजनात्मकता के अंतर्गत आती है। रूश नामक विद्वान ने भी कहा है कि सृजनात्मक मौलिकता वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। सृजनात्मकता का महत्व प्रकट करते हुए स्किनर ने भी इस कथं का समर्थन किया है— हमारे युग में यदि सबसे बड़ी कोई मनोवैज्ञानिक उपलब्धि प्राप्त हुई है जिसने कि शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है तो वह इस तथ्य की खोज है कि प्रत्येक बालक में सृजनात्मक क्षमता होती है तथा विद्यालय इन शक्तियों के विकास में इनकी सहायता कर सकता है। इसलिए सृजनात्मकता का अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है।

संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन—

संबंधित साहित्य से तात्पर्य शोध समस्या से संबंधित उन तथ्यों का अनुशीलन है जिसके आधार पर शोधार्थी शोध समस्या, शोध प्रविधि, शोध उद्देश्य एवं परिकल्पना के निर्माण में सहायता प्राप्त करता है। प्रस्तुत शोधकार्य के लिए अध्ययन किये गए शोध साहित्यों में से प्रमुख कार्य जिसमें **यादव, नरसिंह (2000)** ने माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्षों में पाया कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के प्रवाह का टी मूल्य सार्थक नहीं रहा। शहरी व ग्रामीण विद्यार्थी नमनीयता में सार्थक अंतर रखते हैं। ग्रामीण एवं शहरी मौलिकता में भी सार्थक अंतर नहीं रखते हैं। सम्पूर्ण सृजनात्मक क्षमता पर कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **कुमार, डॉ. अरुण (2018)**, ने मेरठ में यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० बोर्ड के छात्रों की रचनात्मक अधिगम एवं अध्ययन की आदतों के बीच संबंधों का अध्ययन पर शोध कार्य किया। उद्देश्य में यू० पी० बोर्ड के माध्यमिक छात्रों के बीच रचनात्मक अधिगम एवं अध्ययन की आदतों के संबंधों का अध्ययन करना था। निष्कर्ष में पाया गया कि यूपी बोर्ड की तुलना में सी० बी० एस० ई० बोर्ड के छात्रों में अधिक अध्ययन आदतें पाई गईं जबकि यूपी बोर्ड के छात्रों में सी०बी०एस०ई०बोर्ड के छात्रों की तुलना में रचनात्मक अधिगम अधिक देखने को मिला। **माला, मणि (2018)**, ने माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत दिव्यांग एवं सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध किया। इन्होंने सृजनात्मकता की विमा प्रवाहता, विविधता, एवं मौलिकता का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह देखा गया कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत दिव्यांग एवं सामान्य विद्यार्थियों के सृजनात्मकता की विमा प्रवाह, विविधता, एवं मौलिकता में अंतर है। **सिंह, लव कुश (2019)** ने सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य किया। प्रस्तुत शोध में उद्देश्य के रूप में सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। निष्कर्ष में पाया गया कि सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों की सृजनात्मकता में काफी अंतर है। **कुमार, झा दिलीप (2019)** ने "परंपरागत और आधुनिक छात्र एवं छात्राओं की सृजनात्मकता तथा शैक्षिक आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन" पर शोध कार्य किया और निष्कर्ष में पाया कि परंपरागत तथा आधुनिक छात्रों की सृजनात्मकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध समस्या का चयन—

शोधार्थी ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सृजनात्मकता की आवश्यकता और उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित शोध समस्या का चयन किया—

"यू०पी० बोर्ड एवं सी०बी०एस०ई० बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन"

शोध अध्ययन के उद्देश्य —

1. यू०पी० बोर्ड एवं सी०बी०एस०ई० बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. यू०पी० बोर्ड एवं सी०बी०एस०ई० बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना—

1. यू०पी० बोर्ड एवं सी०बी०एस०ई० बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की सृजनात्मकता में सार्थक अंतर नहीं है।

2. यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की सृजनात्मकता में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध अध्ययन के चर—

प्रस्तावित शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्वतंत्र एवं आश्रित चर के रूप में निम्न चरों को लिया गया है—
स्वतंत्र चर – यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के छात्र एवं छात्राएं।
आश्रित चर – सृजनात्मकता।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त प्रविधि एवं उपकरण—

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने वर्णात्मक शोध की सर्वेक्षण प्रविधि का प्रयोग किया है जिसमें विद्यार्थियों के सृजनात्मकता का मापन करने के लिए डॉ0 बाँकर मेहदी (नई दिल्ली) द्वारा निर्मित 'शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन स्तर परिसूची' परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त जनसंख्या—

प्रस्तुत शोध के लिए शोधार्थी ने शोध जनसंख्या के लिए यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर के कक्षा 12 के छात्रों को शोध जनसंख्या के रूप में चयनित किया गया है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त न्यादर्श—

शोधार्थी ने प्रस्तुत शोधकार्य के लिए निर्धारित समस्त जनसंख्या से न्यादर्श के रूप में साधारण यादृच्छिक विधि के द्वारा यू0पी0 बोर्ड के 200 छात्र और सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के 200 छात्रों को लिया गया है। इसी प्रकार से यू0पी0 बोर्ड के 200 छात्राओं एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के 200 छात्राओं को चयनित किया गया है।

न्यादर्श तालिका

बोर्ड	छात्र	छात्राएं	योग
यू0पी0 बोर्ड	200	200	400
सी0बी0एस0ई0 बोर्ड	200	200	400
योग	400	400	800

आकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या—

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध उपकरणों के प्रयोग से प्राप्त किया गए आकड़ों को निम्न रूपों में विश्लेषित किया गया है—

तालिका संख्या 1

यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन

क्र0 स0	शोध अध्ययन के चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	माध्य अंतर	टी- मूल्य
1	यू0पी0 बोर्ड के छात्र	200	40.40	2.66	0.642	2.29	3.566
2	सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के छात्र	200	40.58	6.40			

स्वतंत्रांश मान = 198 के सार्थकता स्तर 0.01 के मान = 2.59 पर सार्थक

तालिका निर्वचन—

यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन में यू0पी0 बोर्ड के छात्रों का मध्यमान 40.40 तथा मानक विचलन 2.66 प्राप्त हुआ, साथ ही सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के छात्रों का मध्यमान 40.58 तथा मानक विचलन 6.40 प्राप्त हुआ। दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के प्राप्त मानों की विवेचना करने पर दोनों वर्गों के मध्यमानों की मानक त्रुटि 0.642 तथा माध्य अंतर 2.29 प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर दोनों वर्गों यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के छात्रों के सृजनात्मकता का टी- मूल्य 3.566 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रांश मान 198 के सार्थकता स्तर 0.01 के मान 2.59 से कम है। जिसके आधार पर परिकल्पित शून्य परिकल्पना सार्थकता के 0.01 स्तर पर अस्वीकृत हो जाती है और स्पष्ट हो जाता है कि यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के छात्रों की सृजनात्मकता में सार्थक अंतर है।

तालिका संख्या 2

यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की सृजनात्मकता

क्र0 स0	शोध अध्ययन के चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	माध्य अंतर	टी- मूल्य
1	यू0पी0 बोर्ड की छात्राए	200	36.50	8.298	0.490	0.18	0.367
2	सी0बी0एस0ई0 बोर्ड की छात्राए	200	38.79	7.830			

स्वतंत्रांश मान = 198 के सार्थकता स्तर 0.01 के मान = 2.59 पर सार्थक

तालिका निर्वचन-

यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन में यू0पी0 बोर्ड की छात्राओं का मध्यमान 36.50 तथा मानक विचलन 8.298 प्राप्त हुआ। साथ ही सी0बी0एस0ई0 बोर्ड की छात्राओं का मध्यमान 38.79 तथा मानक विचलन 7.830 प्राप्त हुआ। दोनों वर्गों की छात्राओं के प्राप्त मानों की विवेचना करने पर दोनों वर्गों के मध्यमानों की मानक त्रुटि 0.490 तथा माध्य अंतर 0.18 प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर दोनों वर्गों के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के छात्राओं के सृजनात्मकता का टी-मूल्य 0.367 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रांश मान 198 के सार्थकता स्तर 0.01 के मान 2.59 से कम है। जिसके आधार पर परिकल्पित शून्य परिकल्पना सार्थकता के 0.01 स्तर पर स्वीकृत हो जाती है।

शोध निष्कर्ष -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जिसमें यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यार्थियों के सृजनात्मकता की प्रभावशीलता में समानता पायी गयी साथ ही छात्राओं के सृजनात्मकता की प्रभावशीलता छात्रों की अपेक्षा उच्च स्तर की पायी गयी। अतः स्पष्ट हो जाता है कि यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के सृजनात्मकता के विकास से अधिगम स्तर में वृद्धि तथा विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन को विकसित किया जा सकता है।

संदर्भ

1. शुक्ला, मधू (2004). भारत में शिक्षा का विस्तार, प्रकाशन योजना- सितम्बर माह, पृ0 स0 13-14
2. आलतेकर, ए0 एस0 (2008). प्राचीन भारत में शिक्षा, वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर, पृ0 स0 13-15
3. पाण्डेय, राम सकल (2010). भारत में शिक्षा का विकास, प्रकाशन- श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पृ0 स0 17-19

4. सक्सेना, सरोज (2009). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, प्रकाशन– साहित्य प्रकाशन आगरा, पृ0 स0 13–19
5. शर्मा, आचार्य श्रीराम (2015). शिक्षण प्रक्रिया में सर्वांगपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता, प्रकाशन– युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि मथुरा, पृ0 स0 3–9
6. श्रीवास्तव, कान्ति मोहन (2010). प्रगतिशील भारत और शिक्षा, प्रकाशन– साहित्य प्रकाशन आगरा, पृ0 स0 9–13
7. भार्गव, उर्मिला (2016). शिक्षक सिद्धांत एवं शिक्षण कला, प्रकाशन– अमित प्रकाशन आगरा, पृ0 स0 14–17
8. तोमर, लज्जाराम (2010). विद्या भारती की अभिनव पंचपदी शिक्षण पद्धति, प्रकाशन– विद्या भारती संस्कृति भवन कुरुक्षेत्र हरियाणा, पृ0 स0 14–17
9. उत्तम, हनुमान प्रसाद (2011). गुरु बिन जीवन नाही– मासिक पत्रिका संकल्प, अंक जुलाई 2019, प्रकाशन– राजकीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प0, पृ0 स0 11–12
10. सतगुरु (2010). शिक्षा एक सेतु है, एक संभावना, प्रकाशन– राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश, पृ0 स0 24–25
11. ओशो (2010). सतगुरु नूर तमाम, प्रकाशन– ओशो इन्टर नेशनल नई दिल्ली, पृ0 स0 18–19
12. जाफरी, अली सरदार (2009). कबीर बानि, प्रकाशन– राजकमल पेपर वेक्स प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पृ0 स0 121–122
13. गुप्ता, एस0 पी0 (2017). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान दृ सिद्धांत एवं व्यवहार, शारदा पुस्तक भवन, पृ0 स0 602–604
14. माला, मणि (2018). माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विकलांग एवं सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन, वॉल्यूम–4, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलजी, पृ0 स0 1954–1959
15. सिंह, अरुण कुमार (2018). शिक्षा मनोविज्ञान, भारती भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ0 स0 120–122
16. सिंह, लव कुश (2019). सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन. वॉल्यूम 8, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल, पृ0 स0 1–6



भारत में भाषावाद एवं राज्यों का पुनर्गठन : एक विवेचना

प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह

भारत एक बहुभाषी राज्य है। यहां आठ सौ से भी अधिक भाषायें बोली जाती हैं और देश के संविधान ने बाइस भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। यहां हिन्दी बोलने वाले लोग लगभग 46 प्रतिशत हैं। अतः हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने जो अनेक दुरूह समस्याएं आयी, उनमें से किसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अथवा संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न सर्वाधिक जटिल प्रश्न सिद्ध हुआ। अंत में अनु0 343 में शामिल किए गए एक मध्यमार्गी सूत्र के अधीन देवनागरी लिपि वाली हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और कहा गया कि भारतीय अंको का रूप, अंको का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह अनुमति दी गई कि 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा के या अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग का उपबन्ध किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कर सकेगी।¹

राज्यों में भाषा की समस्या उस समय गंभीर बन जाती है जब वहां एक से अधिक भाषायें बोलने वाले समुदाय रहते हों और राज्य की भाषा संबंधी नीति प्रत्येक समुदाय को संतुष्ट न कर सके तथा वे असुरक्षा का अनुभव करें। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भाषा-भाषी समुदाय अपने लिये अलग राज्य की मांग करने लगता है। स्वतंत्रता के बाद निर्मित राज्यों में अनेक बार इस प्रकार की मांग की गई। इसके लिए आंदोलन, हड़तालें, आमरण अनशन, आत्मदाह आदि तरीके अपनाये गये। अनेक अवसरों पर सरकार को यह मांग स्वीकार करनी पड़ी फलतः देश में नये राज्यों का जन्म हुआ।

जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो प्रान्तों की प्रशासनिक इकाइयां तथा प्रेसीडेन्सी या देशी राज्यों का गठन राजनीतिक सुविधा के लिये होता था। सम्बन्धित इकाइयों की भाषायें उनकी स्थापना में कोई योगदान नहीं करती थी। जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो भाषा के आधार पर प्रान्तों की स्थापना की मांग ने जोर पकड़ा। भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन करने का सुझाव अंग्रेजों ने सबसे पहले माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में स्वीकार किया। रिपोर्ट में कहा गया था, “हमें संदेह नहीं है कि यदि प्रशासनिक इकाइयां छोटी और समरस बने तो सरकार का कार्य सरल हो जायेगा। सरकार की इकाइयां भाषा अथवा जातीयता पर संगठित होने से व्यवस्थापन के कार्य में अंग्रेजी नहीं जानने वाले लोग भी भाग ले सकेंगे।” भारतीय राष्ट्रवाद के पनपने के साथ-साथ भाषायी प्रान्तों का तर्क अधिक मुखर होता गया। इसे कांग्रेस ने बार-बार दोहराया। 1921 में कांग्रेस ने कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन वांछनीय है क्योंकि भाषा एक विशेष संस्कृति, परम्परा और साहित्य का प्रतीक होती है। इसके दो वर्ष बाद साइमन कमीशन ने ‘प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, श्री लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोण्डा, उत्तर प्रदेश एवं प्राचार्य, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश.

भाषायी राज्यों के पक्ष में अपने विचार प्रकट किया कि “इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य भाषा का प्रयोग प्रान्तीय व्यक्तित्व का मजबूत और स्वाभाविक आधार है।”

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनता का ध्यान भाषायी प्रान्तों की मांग की ओर केन्द्रित हुआ। संविधान सभा में भाषण देते हुये 27 नवम्बर 1947 को पं० जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की कि उनकी सरकार भाषायी प्रान्तों के सिद्धान्तों को स्वीकार करती है। इस नीति के अनुसार ही संविधान सभा की प्रारूप समिति ने प्रान्तों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश एस० के० दर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की।¹ 10 दिसम्बर 1948 को दर आयोग ने अपनी 56 पृष्ठीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें भाषाई आधार पर नहीं वरन् प्रशासकीय सुविधा के आधार पर भारतीय संघ की अंगीभूत इकाइयों के पुनर्गठन का समर्थन किया गया। परन्तु भाषायी प्रान्त बनाने के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है। यदि इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो जनता में कड़वाहट, निराशा और असंतोष फैलेगा। इसके विपक्ष में कहा गया कि अभी भारत विदेशी आक्रमणों के खतरे से पूरी तरह नहीं उबर सका है। नये प्रान्तों की रचना से उत्पन्न वित्तीय और प्रशासनिक वजन को सहने के लिए अभी सरकार सक्षम नहीं है। यद्यपि आयोग से आन्ध्र, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र में नये प्रान्तों के गठन पर विचार करने के लिये कहा गया था, किन्तु उसने सिफारिश की कि तत्काल कोई नया प्रान्त नहीं बनाया जाना चाहिए। आयोग ने प्रान्तीय रचना के भाषायी आधार को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। उसका कहना था कि केवल अथवा मुख्य रूप से भाषायी आधार पर प्रान्त बनाना भारतीय राष्ट्र के हित में नहीं है, इसलिये यह नहीं होना चाहिए।

दुर्भाग्यवश विवेक पर राजनीति हावी हुई और दर आयोग के प्रतिवेदन के प्रति तीव्र विरोध के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में भाषायी आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के मामलों पर दुबारा विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल और पट्टाभिसीता रमैया के नेतृत्व में एक समिति (जे०बी०पी०) का गठन कर दिया। इस समिति ने विचार-विमर्श के बाद कहा कि मुख्य बात भारत की सुरक्षा एकता और आर्थिक सम्पन्नता हैं। प्रदेश बनाते समय किसी प्रकार की पृथकतावादी और विध्वंसक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अनुसार भाषा न केवल बांधने वाली शक्ति है। वरन् यह अलग करने वाली ताकत भी है। इसलिये कांग्रेस की पुरानी नीति कि भाषाओं के आधार पर राज्यों की स्थापना की जाये, केवल गंभीर चिन्तन और विचार विमर्श के बाद ही कार्यान्वित की जा सकती है।

यद्यपि सरकार राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर भाषा को आधार बनाने को लेकर अपनी अरुचि प्रदर्शित करती रही, लेकिन इसके बावजूद केन्द्रीय सरकार को हमेशा राज्यों के पुनर्गठन के लिए बाध्य किया गया। इस प्रक्रिया का आरम्भ आंध्र में आन्दोलन तथा पोट्टी श्रीरमालु के आमरण अनशन द्वारा हुआ। आरम्भ में प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने उनके तरीके को बाध्यकारी बताया। किन्तु जब श्रीरमालु ने भूख के कारण प्राण त्याग दिये तो संसद में प्रधानमंत्री ने उनके त्याग की प्रशंसा की। इसके तुरन्त बाद ही सरकार ने चेन्नई राज्य के तेलगू भाषी क्षेत्रों का एक अलग राज्य आन्ध्र प्रदेश के रूप में गठित करने की घोषणा कर दी, इसके तहत 01 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषायी राज्य आन्ध्र प्रदेश का गठन हुआ।³

आन्ध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात् भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण हेतु भानुमति का पिटारा खुल गया और अनेक प्रदेशों में भाषाई राज्यों की मांग की जाने लगी। फलतः भारत सरकार ने 29 दिसम्बर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कर दी। यह तीन सदस्यीय आयोग था। एस० फजल अली इसके अध्यक्ष एवं के०एम० पाणिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। यह आयोग राज्य पुनर्गठन के नाम से लोकप्रिय है।⁴ राज्य पुनर्गठन

आयोग को नियुक्त करते हुए सरकार ने आयोग को यह स्वविवेकाधिकार प्रदान किया था कि वह किसी भी प्रकार का प्रस्ताव देने के लिये स्वतंत्र है। आयोग को निम्नवत दिशा-निर्देश दिये गये थे⁵ –

1. भारत की एकता एवं सुरक्षा की रक्षा एवं दृढ़ीकरण
2. भाषायी एवं सांस्कृतिक एकरूपता
3. वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक सुविधा
4. राष्ट्रीय योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन

उक्त निर्देशों का पालन करते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया। अतः सामान्य तौर पर जैसा कि कहा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया, पूर्ण सत्य नहीं है। स्वयं आयोग ने भी स्वीकार किया है कि एक भाषा एक राज्य बनाने के गम्भीर दुष्परिणाम हो सकते हैं।

आयोग ने स्पष्ट कहा है कि *If any section of people living in one state is encouraged to look upon another state as its true home land and protection on the sole ground of language. Then this would out at the very root of the national idea.*⁶

एक अन्य स्थान पर आयोग ने स्पष्ट कहा है कि *We have come to conclusion that it is neither possible or desirable to recognize states on the basis of the single test of either language or Culture National Unity.*⁷

आयोग ने अक्टूबर 1955 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसने अनेक पृथक भाषाई राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया, जैसे— पंजाबी सूबा, अलग आगरा एवं हरियाणा प्रान्त, झारखण्ड प्रान्त, मरुप्रदेश, पृथक् महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि। आयोग ने मुम्बई और पंजाब को संयुक्त तथा द्विभाषी बनाए रखने पर बल दिया। इसने हिमाचल प्रदेश तथा पेप्सू को पंजाब में मिलाने की सिफारिश की तथा मध्यप्रान्त को हिन्दी भाषी क्षेत्र, मध्य भारत संघ तथा विन्ध्य प्रदेश संघ को मिलाकर मध्यप्रदेश बनाने का सुझाव दिया। आयोग ने हैदराबाद को तीन भागों में बांटने को कहा कि दो भाग क्रमशः मुम्बई तथा मैसूर में मिला दिये जायें और तीसरे भाग को तेलंगाना में। तेलंगाना द्वारा पांच वर्ष बाद यह निर्णय लिया जाये कि वह आन्ध्र प्रदेश में मिलना चाहता है या नहीं। आयोग ने मध्यप्रान्त के मराठी भाषी क्षेत्रों को एक अलग विदर्भ प्रान्त बनाने की भी सिफारिश की। इसने मद्रास के कुछ भागों, कोचीन तथा त्रावणकोर को मिलाकर केरल राज्य बनाने का सुझाव दिया। आयोग ने बिहार के कुछ जिलों को पश्चिमी बंगाल में मिलाने का समर्थन किया ताकि उत्तरी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का भौगोलिक सम्बन्ध स्थापित हो सके। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के साथ-साथ प्रशासनिक तथा आर्थिक पहलुओं पर भी विचार किया था, किन्तु पुनर्गठन करते समय भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व मानी गयी थी इसलिये यह एक आम धारणा बन गई कि पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि आयोग ने जिन प्रदेशों को द्विभाषी रहने दिया था, उनमें भी अलग-अलग राज्य बनाने हेतु आन्दोलन छिड़ गये।

अन्ततः 01 नवम्बर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केन्द्र शासित क्षेत्रों की स्थापना की गई⁸ :-

राज्य

1. आन्ध्र प्रदेश— आन्ध्र का नाम अब आन्ध्र प्रदेश हो गया जो कि तेलंगाना क्षेत्र तथा हैदराबाद के कुछ हिस्सों को मिलाकर विस्तृत किया गया था।
2. आसाम
3. बिहार

4. बम्बई— यह राज्य सौराष्ट्र और कच्छ से मिलकर बना।
5. जम्मू कश्मीर
6. केरल—मद्रास के मालाबार क्षेत्र तथा द्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर बना।
7. मध्य प्रदेश—मध्य भारत, विन्ध्यप्रदेश और भोपाल से मिलकर बना तथा मराठी भाषी नागपुर को बम्बई राज्य में स्थानांतरित किय गया।
8. मद्रास—इसे मालाबार क्षेत्र को केरल राज्य में स्थानांतरित करके बनाया गया। 1969 में इसका नाम तमिलनाडु हो गया।
9. मैसूर— कुर्ग और बम्बई के दक्षिणी कन्नड़ भाषी क्षेत्र और हैदराबाद के पश्चिमी क्षेत्र से मिलकर बनाया गया जिसका नाम 1973 में कर्नाटक हो गया।
10. उड़ीसा
11. पंजाब—पेप्सू PEPSU (Patiala and East Punjab States Union) को पंजाब में मिला दिया गया।
12. राजस्थान— पुराने राजपूताना का नाम राजस्थान हो गया जो कि अजमेर तथा मेवाड़ राज्य को मिलाकर बनाया गया।
13. उत्तर प्रदेश
14. पश्चिम बंगाल

संघ शासित क्षेत्र

1. अण्डमान निकोबार द्वीप
2. दिल्ली
3. हिमाचल प्रदेश
4. लक्षद्वीप
5. त्रिपुरा
6. मणिपुर

इसके बाद भारत में कई नये राज्यों का निर्माण हुआ। आज भारत 28 राज्यों तथा 08 केन्द्र शासित क्षेत्रों से बना हुआ एक यूनियन है।

लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से राज्यों में राजनीतिक विवाद उग्र होते रहते हैं। लोग भाषा के आधार पर अलग राज्यों के निर्माण का नारा लगाते रहते हैं। इस प्रकार भाषायी आधार पर राज्यों के टुकड़े करने का एक सुनियोजित अभियान देश में चलाया जा रहा है जो निश्चय ही देश की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए घातक है। भाषा के आधार पर भारत में उत्तर और दक्षिण भारत की संकुचित मनोवृत्तियां पनपी हैं। दक्षिण भारत ने हिन्दी का जोरदार विरोध किया है और हिन्दी के उत्साही समर्थकों के लिए भी यह मुश्किल है कि वे चुपचाप बैठे रहें। इस प्रकार भाषा के आधार पर भारत दो टुकड़ों में विभाजित है— उत्तर और दक्षिण। भारतीय राजनीति में भाषागत दबाव गुटों का उदय हुआ है।⁹ नये भाषायी राज्यों के निर्माण के उपरान्त भी भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में उर्दू का सवाल, कर्नाटक में मराठी भाषा—भाषियों का सवाल, पंजाब में हिन्दी भाषा—भाषियों की स्थिति भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याएं उत्पन्न करती है। भाषा सम्बन्धी समस्याओं का ही परिणाम है कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 76 वर्षों के उपरान्त भी किसी ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण नहीं कर सके हैं जिसे हम अपना कह सकें। भाषागत

राजनीति के परिणामस्वरूप “धरती के पुत्रों को ही” अर्थात् केवल उन्हीं लोगों को जो प्रादेशिक भाषा बोलते हैं, सरकारी व गैर-सरकारी पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए, धारणा का प्रचलन हुआ।

निष्कर्षतः भाषा विषयक तनावों ने भारत की राष्ट्रीय एकता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज एक भाषा-भाषी व्यक्ति अपने आपको अन्य भाषा-भाषियों से भिन्न एक स्वतंत्र समुदाय मानने लगे हैं तथा अपने लिए एक अलग राज्य अथवा अलग प्रशासकीय इकाई की मांग करने लगे हैं। अनेक अवसरों पर राजनीतिक दलों ने भाषायी समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयत्न किये हैं और वर्तमान समय में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति जारी है। भारत राष्ट्र की एकता, अखण्डता और शिक्षा व्यवस्था के हित में भाषा के प्रश्न को दलीय राजनीति से अलग रखना होगा।

सन्दर्भ

1. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 1965, पृ0– 269.
2. जे0 सी0 जौहरी, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1965, पृ0– 336.
3. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 1965, पृ0– 265.
4. विश्वनाथ मिश्रा, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद एवं नृजातीयता, वि0वि0 प्रकाशन, सागर, मध्य प्रदेश, 2006, पृ0– 45.
5. Report of the state Recognition Commission, Govt. of India, 1955, para- 93.
- 6 Report of the state Recognition Commission, Govt. of India, 1955, para-155.
7. Report of the state Recognition Commission, Govt. of India, 1955, para- 162.
8. D.D. Basu, Comentaries on the Indian Constitution, Calcutta, Prentice Hall of India Pvt Ltd., 1963, p-75.
9. Morris Jones, Government and Politics in India, London, Huthchinson & Co. Ltd., 1971, p-96.



इण्टरनेट एवं सामाजिक परिवर्तन : एक अध्ययन

डॉ० आकांक्षा सिंह

प्रो० तेज बहादुर सिंह

आधुनिक युग इण्टरनेट का युग है। आज इण्टरनेट की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना करना निरर्थक साबित होता दृष्टिगत हो रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के मनुष्य को इण्टरनेट ने अपने वश में कर लिया है। आज पूरा ब्रह्माण्ड इण्टरनेट के इशारों पर गतिमान है। आज इण्टरनेट की अनुपस्थिति में कोई भी कार्य सम्भव नहीं हो सकता है। इण्टरनेट ने लोगों को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करता दिखायी दे रहा है। इण्टरनेट के सकारात्मक प्रभावस्वरूप आज लोग घर बैठे धन का अर्जन कर सकते हैं। शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इण्टरनेट सबके लिए है जो किसी में भी भेद नहीं करता है।

इण्टरनेट देखते-देखते एक ऐसा भण्डार बन गया है कि जिसमें कुछ भी दुनिया में है, वह सब मौजूद है। राजनीति, विज्ञान, कला, खेल आदि किसी भी क्षेत्र की सूचना चाहिए तो वहाँ है। विशाल से विशालन्तर पुस्तकालय है। आप फिल्म देखना चाहे या गाना सुनना चाहें तो वह भी वहाँ मिलेगा। नेट पर दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे दूसरे नेट उपभोक्ता से सम्पर्क कर सकते हैं, एवं अगर विचार मिले तो दोस्ती भी कर सकते हैं। युवक-युवतियों की ऐसी कई दोस्ती शादी में बदल चुकी है। यानि वर्तमान परिवेश में यह रिश्ते जोड़ने का माध्यम भी बन चुका है। यह व्यापार एवं कारोबार के भी मजबूत एवं व्यापक माध्यम के रूप में उभर कर आया है, विज्ञापन का खास जरिया बन चुका है, लोग इण्टरनेट का इस्तेमाल करके खूब धन कमा रहे हैं।¹

इण्टरनेट का इस्तेमाल अपने उत्पादों के बारे में सूचना व उनसे सम्बन्धित सेवायें देने, अपनी कारपोरेट पहचान को कायम रखने, अपने ब्राण्ड के नाम के प्रति जागरूकता लाने व उसके प्रति वफादार ग्राहक बनाने, ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवायें देने, एवं बिक्री सम्बन्धी लेन-देन व अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। निर्यातकों एवं छोटे कारोबारियों को इण्टरनेट से काफी लाभ पहुँच रहा है। कुछ वर्ष पहले तक नेट पर विज्ञापन करना उतना फायदेमंद नहीं था लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दरअसल अब नेट पर मौजूद कम्पनियों के लिए सिर्फ प्रतिष्ठा की बात नहीं रह गयी है बल्कि यह उनकी अनिवार्यता बन गयी है। कम्पनियाँ अब अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाती दिखाई दे रही है। इस पर विज्ञापन के कई फायदे हैं— कम से कम खर्च पर आपका विज्ञापन दुनिया भर में पहुँच जाता है, फौरन उस पर प्रतिक्रिया मिल जाती है, साथ ही आप अपने ग्राहक से संवाद कायम कर उसके मन में उठ रही शंकाओं का निवारण भी कर सकते हैं।

इण्टरनेट सिर्फ व्यापारियों, कारोबारियों एवं विज्ञापन एजेंट्सियों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि ज्ञान एवं विज्ञान से जुड़ी संस्थाएँ भी अपने उद्देश्यों के लिए इसका प्रभावशाली उपयोग कर रही है या कर सकती हैं।² इण्टरनेट समुदाय 'सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र,, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, बिल्हौर, कानपुर।

“प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

ऐसे व्यक्तियों एवं समूहों से बना है जो नेट पर एक-दूसरे से संवाद बनाये रखने के लिए काफी समय एवं मेहनत खर्च करते हैं। अब एक समुदाय के रूप में इण्टरनेट की अपनी संस्कृति विकसित हो रही है। इसकी अपनी नैतिक कसौटी एवं आचार संहिता बन रही है। जैसे-जैसे सदस्यों के बीच सम्पर्क बढ़ेगा, सम्पर्क अधिक निरन्तर होता जायेगा एवं इसमें लिखित सामग्री से ध्वनि एवं इससे भी आगे वीडियो शामिल होते जायेंगे, इण्टरनेट समुदाय का ढाँचा ज्यादा ठोस एवं सुपरिभाषित रूप ले लेगा। जैसे टी0वी0 आकर एक दौर में हमारी जीवन शैली, परिवार व समाज पर असर डाला, वैसा ही अब इण्टरनेट कर रहा है। कुछ हफ्तों या महीनों तक इण्टरनेट का इस्तेमाल करने के बाद ही हम अपने कम्प्यूटर को एक ऐसा स्रोत मानने लगते हैं, जो आपके मांगने पर हर तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करवा सकता है। वह दिन दूर नहीं है जब खबरों या खेल प्रतियोगिताओं की ताजा जानकारी के लिए लोग टी0बी0 या रेडियो के बजाय इण्टरनेट पर ही निर्भर हो जायेंगे। भविष्य में इण्टरनेट सबको उपलब्ध हो सकेगा, आज की तारीख में यह एक अनुमान ही है। आज की वास्तविकता तो यह है कि यह चन्द लोगों को ही उपलब्ध है एवं इससे उनकी सफलता की सम्भावनाएँ उज्ज्वल हो गयी हैं। बाकी लोगों के लिए विफलता का अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर आज गम्भीरता से विचार किये जाने की जरूरत है।

आज इण्टरनेट को सिर्फ वे लोग ही अपना सकते हैं, जो पर्याप्त पढ़े-लिखे हैं एवं जिनके पास पर्याप्त पैसा है। औसत आमदनी वाले लोगों के लिए यह नहीं है। यही वजह है कि कई कम्पनियों के विज्ञापन एजेन्सियों ने इण्टरनेट को एक उच्चवर्गीय माध्यम की श्रेणी में रखा हुआ है।³ कई लोगों का मानना है कि इण्टरनेट धीरे-धीरे टी0वी0 एवं अन्य दूसरे संचार माध्यमों को खत्म कर देगा। इण्टरनेट वे सभी सेवाएँ अकेले देने की स्थिति में हैं, जो अलग-अलग संचार माध्यम मिलकर देते रहे हैं, परन्तु ज्यादातर जानकार इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि परम्परागत संचार साधनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। रेडियो के आने से पत्र-पत्रिकाएँ खत्म नहीं हुईं एवं टी0वी0 के आने से रेडियो खत्म नहीं हुआ। हर नवीन संचार के माध्यम ने अपने लिए अलग एवं खास स्थिति एवं पहचान बनायी है। इसीलिए इण्टरनेट भी पहले के सभी संचार माध्यमों की जगह नहीं ले सकेगा। बल्कि यह उन माध्यमों के साथ मिलजुलकर नयी सूचना आधारित दुनिया बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा।³ इण्टरनेट अपने फैलाव एवं बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ कई विवादों में भी फंसा है। इसमें एक खास विवाद इसकी सेंसरशिप से जुड़ा हुआ है। फरवरी 1996 में अमेरिका में दूरसंचार कानून पास हुआ। इसमें यह तय करने की कोशिश की गई कि इण्टरनेट पर सार्वजनिक उपयोग के लिए क्या भेजा जा सकता है एवं क्या नहीं। चूँकि अशिष्ट एवं अश्लीलता जैसे शब्दों की अपनी-अपनी समझ होती है, इसलिए इनको लेकर तीखी बहस हुई। आखिरकार इस कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि यह अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित करता है। इसके बावजूद यह सच है कि इण्टरनेट पर ऐसी बहुत सी सामग्रियां भेज दी जाती हैं, जो आहत कर सकती हैं। फर्जी अनुसंधान पेपर एवं नग्न साहित्य इसमें शामिल हैं। इनसे बचाव का एक ही उपाय मौजूद है। वह यह है कि आखिर क्या चुनना चाहिए, यह अधिकार पूरी तरह से उपभोक्ता के पास है। विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ता आत्मसंसरशिप को अपनाये, यह सबसे अच्छा तरीका है। कानून एवं सरकारें इस दिशा में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती।⁴

इण्टरनेट कोई जनसेवा करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि अब यह अरबों डालर का उद्योग है। इस पर आप जो चाहें वह मिलेगा। अन्तिम चयन व्यक्ति को करना है। इसलिए इण्टरनेट उद्योग से जुड़े लोगों में इस पर लगभग आमराय बन चुकी है कि इण्टरनेट में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। दरअसल इण्टरनेट की मूल भावना ही स्वतंत्रता है। इस पर अनगिनत साइट या ठिकाने अलग-अलग रुचियों के लोगों के लिये है। किसे किस साइट पर जाना है, यह वह खुद तय कर सकता है। इण्टरनेट हमारी असली दुनिया जैसा ही है। जैसे यहाँ अच्छे और बुरी चीजें दोनों हैं, वैसा ही वहाँ पर भी

है। अगर वहाँ शोध पत्र है, तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले विश्वविद्यालयों के पत्र भी हैं। अगर अश्लील साहित्य है तो धर्म एवं संस्कृति की सूचनाएँ भी हैं। ऐसा तो हर आविष्कार एवं नवीन तकनीकी के आने के साथ हुआ है कि अगर उनसे फायदे हुए हैं तो समाज पर उनके बुरे असर भी पड़े हैं। बुद्धिमानी की बात हमेशा यही रही कि अच्छाई को अपना लिया जाये एवं बुरी चीजों को जाने दिया जाए। इसीलिए अब इस पर सहमति बनती दिख रही है कि इण्टरनेट के नियमों को तय करने का भार इण्टरनेट समुदाय पर ही छोड़ दिया जाये।

इण्टरनेट के बढ़ते प्रयोग ने समाज में तीव्र गति से परिवर्तन घटित होते दिखायी दे रहे हैं। इण्टरनेट की मदद से पूरी दुनिया एक वैश्विक समाज में बदल सकी है। जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ बात एवं कार्य कर सकता है। इण्टरनेट रिमोट क्लास आयोजित करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की सूचना सामग्री उपलब्ध कराता है और एक ऐसा माहौल बनाता है, जहाँ पर छात्रों को साझा शिक्षा का अनुभव मिलता है। इस प्रकार इण्टरनेट समाज के विकास एवं परिवर्तन में शक्तिशाली ताकत के रूप में सेवा प्रदान कर सकता है तथा सूचना प्राप्त करने वालों की संचार संबंधी छोटी-बड़ी सभी समस्याओं के निराकरण में मदद करता है। 1988 से इण्टरनेट की सदस्यता प्राप्त करने वालों की संख्या हर साल लगभग दो गुनी होती जा रही है।

सारणी संख्या – 1

इण्टरनेट के उपयोग से सामाजिक सम्बन्धों के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन से सम्बन्धित विवरण

इण्टरनेट के उपयोग के फलस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	180	60
न्हीं	120	40
योग	300	100

सारणी संख्या 1 के माध्यम से इण्टरनेट के उपयोग के फलस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों के प्रति महिलाओं के बदलते दृष्टिकोण से सम्बन्धित तथ्यों के विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि 60 प्रतिशत उत्तरदात्री मानती हैं कि दृष्टिकोण में बदलाव आया है, जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का मानना है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि सामाजिक सम्बन्धों के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन घटित हो रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इण्टरनेट के कारण हमारी आधी आबादी की सोच में बदलाव दृष्टिगत हो रहे हैं।

सारणी संख्या – 2

इण्टरनेट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि से सम्बन्धित विवरण

इण्टरनेट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि से सम्बन्धित विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
--	---------	---------

हाँ	210	70
न्हीं	90	30
योग	300	100

सारणी संख्या 2 के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इंटरनेट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि को 70 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया है। 30 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने इस संबंध में उत्तर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा है कि जहाँ इंटरनेट के कारण सूचनाएँ सम्प्रेषित करने में आसानी हुई है जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अपराध से सम्बन्धित गतिविधियों की सूचनाएँ एवं इससे संबंधित रणनीतियों को बनाने में इंटरनेट के कारण आसानी हुई है। इंटरनेट के माध्यम से लोग इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों को आसानी से सीखकर इससे सम्बन्धित गतिविधियों को सम्पादित करने का कार्य कर रहे हैं। इन्हीं सब कारणों के परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि इंटरनेट के कारण आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है या यह सब इसमें सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

सारणी संख्या – 3

इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी

इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के सम्बन्ध में ज्ञान	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	240	80
न्हीं	60	20
योग	300	100

सारणी संख्या 3 के माध्यम से जब उत्तरदात्रियों से इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये तो 80 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का मानना था कि इंटरनेट के कारण सूचनाएँ प्राप्त करने में आसानी हुई है। मात्र 20 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने कहा कि इंटरनेट के कारण सूचनाओं को प्राप्त करने में किसी प्रकार लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण इन लोगों का मानना था कि नेटवर्क की समस्या है। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक 80 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया है कि इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तक लोगों की पहुँच आसान हुई है जो इंटरनेट के कारण स्पष्ट रूप से सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है।

सारणी संख्या – 4

यदि हाँ तो प्राप्त होने वाली सूचनाओं का विवरण

प्राप्त हो रही सूचनाओं का ज्ञान	आवृत्ति	प्रतिशत
घर बैठे खरीदारी	48	20
अध्ययन से सम्बन्धित सामग्री	96	40
देश-विदेश से सम्बन्धित समाचार	48	20
उपरोक्त सभी	48	20
योग	240	100

सारणी संख्या 4 के माध्यम से जब उत्तरदात्रियों से इण्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का विवरण जानने का प्रयास किया गया तो 20 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया कि घर बैठे खरीदारी के अवसर बढ़े हैं। 40 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया कि इसके कारण अध्ययन से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त करने में आसानी हुई है। 20 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने माना है कि इसके कारण देश-विदेश तक के समाचारों को प्राप्त करने के अवसर आसान हुए हैं, वहीं 20 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का मानना था कि इण्टरनेट के कारण उपरोक्त सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इण्टरनेट के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इण्टरनेट के कारण सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अवस्थित क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन घटित हो रहे हैं।

सारणी संख्या – 5

इण्टरनेट आधारित शिक्षा का महिलाओं पर प्रभाव का विवरण

इण्टरनेट आधारित शिक्षा का महिलाओं पर पड़ रहे प्रभाव का विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
अच्छा	120	40
बुरा	90	30
छोनों	90	30
योग	300	100

सारणी संख्या 5 के विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि इण्टरनेट आधारित शिक्षा का महिलाओं पर

प्रभाव पड़ा है। 40 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का मानना है कि इण्टरनेट पर आधारित शिक्षा का महिलाओं पर अच्छा प्रभाव दिखायी दे रहा है। 30 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का मानना है कि इण्टरनेट पर आधारित शिक्षा का महिलाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दृष्टिगत हो रहा है। जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने इण्टरनेट पर आधारित शिक्षा के प्रभाव के बारे में स्पष्ट जवाब देने के बजाय उपरोक्त दोनों प्रकार के अच्छा एवं बुरा प्रभावों को स्वीकार किया है। उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इण्टरनेट आधारित शिक्षा का प्रभाव महिलाओं पर पड़ता दिखायी दे रहा है। अधिकतर उत्तरदात्रियों का मानना है कि इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार इण्टरनेट पर आधारित शिक्षा के प्रभाव स्वरूप समाज की आधी आबादी में परिवर्तन घटित हो रहे हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इण्टरनेट के कारण समाज में अनेक प्रकार के बदलाव घटित हो रहे हैं। समाज की आधी आबादी महिला इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होती दिखायी दे रही हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इण्टरनेट के कारण समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आते दिखायी दे रहा है।

सन्दर्भ

1. Acharya, J.P., Acharya, I., Waghrey, D. (2013). A study on some of Common Health Effects of Cell-phones amongst college students. *Journal of Community Medicine & Health Education*, 3(4).
2. Allison, S.E., Von Wahlde, L., Shockey, T., Gabbard, G.O. (2006). The development of the self in the era of the Internate and role playing fantasy games. *The American Journal of Psychiatry*, 163, 381-385.
3. Bailey, K., West, R. Anderson, C.A. (2010). A Negative Association between video game experience and proactive cognitive control. *Psychophysiology*, 47, 34-42.
4. Banjara, S.K., Bhukya, K.D. (2015). The role of Internet and its addiction among medical students in a tertiary care teaching hospital. *Medical Science*, 4(8).
5. Bholra, R.M. and Mahakund, G.C. (2014). A Qualitative analysis of social networking usage. *International Journal of Research of Research and Development of Health*, 2(1), 34-44.
6. Bogardus, E.S.; 'The Development of Social Thought', 1940, 1947, Longmans, Green and Company, New York, p. 89.

7. Brandstrom, C (2011) Using the Internate in Education- Strengths and weaknesses. Retrieved June 25, 2015, from <http://www.divaportal.org/smash/get/divaz:438827/FULLTEXT01.pdf>.
8. बघेल, संजय सिंह (2008) संचार, समाज और साहित्य, प्रकाशक के०एल० पचौरी प्रकाशन, 8/डी ब्लॉक, एक्स इन्द्रापुरी लोनी, गाजियाबाद-201102, पृ०सं० 13-16
9. Chebbi, P., Kong, K.S., Liu, L. (2000), Some observation on Internate Addiction Disorder Research, Journal of Information System Education, 11, 3-4.
10. Clair and Salish (1960). Research methods in Social Relations, Surjeet Publishers, New Delhi



भूमंडलीकरण और भारतीय नारी : एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

अवन्तिका*

डॉ० आशाराम**

सारांश -आज स्त्री प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानताकी बात कर रही है और इसके लिए वह आवश्यक होने पर आंदोलन भी कर रही है। वैश्वीकरण और औद्योगीकरण के इस युग में स्त्री पुरुषों के समानांतर अपनी स्थिति बनाने का प्रयास कर रही है और इन प्रयासों की सफलता के उपरान्त वह प्रगतिशील नारी बन रही है। नारी अधिकारों की दृष्टि से यह स्थिति अवश्य ही सकारात्मक है, परन्तु स्थितिके दूसरे पक्ष पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। प्रगतिशील नारी आधुनिक दौड़ में कहीं-कहीं भटक भी रही है। यह बात भारतीय नारी के संदर्भ में भी सत्य है। समानता की दौड़ में कतिपय स्त्रियों ने पुरुषों के समकक्ष अधिकारों को प्राप्त करने के अतिरिक्त उसके साथ पूर्णतः बराबरी करना आरंभ कर दिया है। ऐसा करने में प्रायः वह उचित-अनुचित को भी अनदेखा कर रही है। एक व्यक्ति के रूप में अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का भोग करने वाली स्त्री कभी-कभी स्वच्छंदता की ओर भी उन्मुख हो रही है। वह अपनी जैविक विभिन्नता को भूलकर स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के मध्य अंतर नहीं कर पा रही है। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि विवाह और परिवार जैसी आधारभूत संस्थाएँ खतरे में पड़ रही हैं।

कुंजीशब्द— भूमंडलीकरण, प्रगतिशील, जैविक, स्वच्छंदता, महत्त्वाकांक्षा, संतति, समाजशास्त्रीय, स्वाभाविक।

इस सृष्टि में ब्रह्मा एवं उसकी मानस संतति के अतिरिक्त ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जो बिना स्त्री-जाति के सहयोग से उत्पन्न हुआ हो। स्त्री ही भूलोक के अस्तित्व का मूल है। स्त्री से संतति, संतति से समाज और समाज से संसार का निर्माण हुआ है। अतः सृष्टि का मेरुदंड बनी नारी भी पुरुषों के समान 21वीं सदी में प्रवेश करते हुए कुछ न कुछ पाने की प्रतिस्पर्धा में चरमसीमा तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। सही अर्थों में तो आजकी नारी पुरुष का अर्धांश बनकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ समान रूप से कार्यरत होने की दिशा में अग्रसर है। अधिकारों के प्रति जैसी सजगता आज के भूमंडलीकरण युग की नारी में देखी जा सकती है वैसी सजगता इससे पूर्व के वर्षों में उसमें नहीं थी, किंतु इतना होते हुए भी उस समय नारी को युगानुकूल कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में तथा माता के रूप में अधिकार प्राप्त थे। यह बात अवश्य है कि उस समय की नारी अपने अधिकारों को मनवाने की अपेक्षा कर्तव्यों का निर्वाह करने में अधिक निष्ठावती रहती थी। भूमंडलीकरण

* (शोधछात्रा-समाजशास्त्र), डॉ० रा० म० लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उ०प्र०

** (प्रोफेसर-संस्कृत), मा० प्र० त्रि० राजकीय महिला महाविद्यालय खलीलाबाद, संक० न०, उ०प्र०

की संस्कृति अब धीरे - धीरे भारतीय महिलाओं पर आरोपित हो रही है । इस भूमंडलीकरण ने भारत में नए आधुनिकतावाद को जन्म दिया है । अतः आधुनिक विचारों वाली नारी का यह दृष्टिकोण प्रमुख रहता है कि वह आर्थिक दृष्टि से पुरुष की बराबरी करे और अपनी आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर न रहे । पुरुष से प्रतिस्पर्धा का यही भाव जब प्रतिद्वंद्विता बन जाता है तो नारी और पुरुष के बीच एक दरार पड़ जाती है , जो समाज के लिए किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं हो सकती है ।

अपने देश का वर्तमान नारी समाज इस समय दो भागों में विभाजित है । शिक्षा, संस्कार, प्रवृत्तियों और विचारों के मामले में उन्हें परस्पर दो विरोधी वर्गों में रखा जा सकता है । **पहला वर्ग** वह है जो पिछले समय से चला आ रहा है और घर परिवार के बाहर की बात उसके लिए गौणहीनहीं, अनावश्यक और वर्जनीय भी है । गांव और शहरों के अनपढ़, अशिक्षित, परंपरावादी परिवार की स्त्रियों को आज भी उन स्थितियों में रहना पड़ता है, जिनमें वे पहले से ही रहती चली आ रही हैं । उन्हें अपने पतिवर्णपरिवार के अन्य सदस्यों तथा बच्चों की सेवा-सुश्रूषा, देख-रेख और पालन-पोषण तक ही अपने को सीमित रखना होता है । घर की चौखट उनकी लक्ष्मण रेखा है और उसके बाहर कदम रखना उनके लिए अनुचित है । **दूसरा वर्ग** वह है जो शिक्षित और आधुनिक होने का दंभ भरते हुए स्त्री को हर प्रकार की आजादी देने की वकालत करता है । हर प्रकार की आजादी से उसका मतलब यह बहुत कम है कि स्त्री अपने मामले में स्वयं ही निर्णय ले , वरन् अधिक यही है कि वह उन सब वर्जनाओं को तोड़े, जो परंपरागत गृहणी के लिए आवश्यक समझी जाती हैं । इस धारणा में कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ बुराइयां भी । अच्छाइयां इससे संबंधित हैं कि नारियों को परंपरा से चली आ रही रूढ़ियों और वर्जनाओं का ही कायल नहीं रहना चाहिए । उसे स्वतंत्र बुद्धि से सोचना भी चाहिए । स्वतंत्र बुद्धि के रूप में जिस रीति-नीति को प्रधानता दी जाती है, वह एक ऐसा उन्मुक्त नारी का चित्र प्रस्तुत करती है , जो रहन-सहन और व्यवहार में बहुत कुछ पश्चिमी जीवन की अनुगामी है । विवेक बुद्धि से लिए गए निर्णय और उन्हें क्रियान्वित करने का साहस यदि रूढ़ियों से न बंधने वाली नारी की विशेषता बनता तो महिलाएं सचमुच शक्ति स्वरूपा बनकर सामने आतीं, पर आधुनिक नारी पुराने परिवार की मात्र प्रतिद्वंद्वी प्रतिक्रिया बनती जा रही है , जिसे किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता है ।

परंपरा व्यामोह से मुक्त नारी से बहुत कुछ आशाएं की जाती हैं और की जानी भी चाहिए क्योंकि इस प्रकार उसकी योग्यता और क्षमता को परिवार की ही सेवा में लगे रह कर कुंद हो जाने की स्थिति से बचाया जा सकता है । महिलाओं की कार्य क्षमता और योग्यताओं से इंकार नहीं किया जा सकता । विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियाँ जो कुछ विशेष करके दिखा रही हैं । उसने यह भ्रांतिपूर्ण मान्यता झुठला दी है कि कार्य क्षमता और दक्षता के मामले में वे पुरुषों से कम हैं, बल्कि कई मामलों में तो उनके कीर्तिमान पुरुषों से भी ऊंचे हैं । यदि उन्हें घर के चौके-चूल्हे तक ही प्रतिबंधित कर दिया गया तो समाज उनसे मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाएगा । परंपरा व्यामोह के कारण अब भी योग्य स्त्रियाँ अपनी प्रतिभा को सड़ने दे रही हैं । उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है ।

शिक्षित और पढ़े- लिखे समुदाय की स्त्रियाँ घर में अपने बच्चों की देख-रेख की अपेक्षा नौकरी करना अधिक अच्छा समझती हैं । परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके यही सामान्य तः नौकरी करने का ध्येय रहता है, किंतु नौकरी करके वे पुरुषों की बराबरी करना प्रारंभ कर देती हैं । पुरुषों से प्रतिस्पर्धा तक ही बात होती तो भी कोई खास बात नहीं रहती । लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा प्रतिद्वंद्विता का भाव जब आजाता

है, तो पति-पत्नी के बीच स्नेह और प्रेम के मधुर सूत्र चटकने लगते हैं। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए तो गांव की स्त्रियां और मजदूर गृहणियां भी काम करती हैं, पर उनमें प्रतिद्वंद्विता जैसी कोई बात नहीं रहती। जबकि शिक्षित स्त्री प्रतिद्वंद्विता की भावना से प्रेरित होकर अपने बूते सब कुछ करने की होड़ लगाए रहती है। घर में चलने वाले इस प्रकार के संघर्ष और कलह का बच्चों के मन पर गलत प्रभाव पड़ता है। माँ की ममतामयी छत्र-छाया और स्नेह-वात्सल्य का अभाव उनकी हार्दिक अपेक्षाओं को तो पूरा नहीं करता बल्कि पति - पत्नी के बीच चलने वाला टकराव और संघर्ष उनमें कई कुंठाओं को भी जन्म देता है।

पुराने परिवारों में नारी के स्थान की हीन प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक नारी की मनोवृत्ति पुरुष के प्रतिशोध के आधार पर खड़ी होती है। पिछले समय की स्त्री को घर में रहने के लिए प्रतिबंधित कर उसे परिवार तक ही सीमिति रहने की परंपरा थी। तो आज की नारी बाहर कोही अपना कार्यक्षेत्र मानने के लिए उतारू है। इस प्रतिक्रिया का परिणाम कथित आधुनिक नारी को घर के प्रति पूर्ण उपेक्षा का रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पहले जहाँ शील एवं शुचिता को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता था वहीं स्वतंत्र विचार धारा के रूप में प्रत्यक्षतः उन्मुक्त जीवन भले ही न जिया जा रहा हो, पर बहुत कुछ वैसा हो रहा है जिससे नारी स्वयं को आकर्षण का केंद्र बनने के लिए लालयित दिखती है। रहन-सहन, साज-श्रृंगार, वेशभूषा, फैशन और आचार- व्यवहार में तथा कथित प्रगतिशील नारी सड़क चलते लोगों को अपनी ओर देखते पाना शान समझती है। फिल्म, विज्ञापन, पत्र-पत्रिकाएं, साहित्य और आधुनिक नारी पर वैचारिक गोष्ठियों में जो चित्र बनता है उसमें नारी के क मनीय रूप को ही अधिक मुखरता मिलती है। कहा भले ही कुछ भी जाता हो पर स्त्री को एक दर्शनीय और भोग्य वस्तु मानकर जो रूप आधुनिकता के नाम पर दिया जाता है उससे य हजरा भी नहीं लगता कि नारी स्वतंत्र हो रही है।

भ्रमंडलीकरण युग में हम सोचने और मानने को स्वयंसे विवश हैं कि पश्चिम हमसे आगे हैं। इसलिए यदि हम उनका अनुकरण करें तो उनके समान हम भी आगे हो सकते हैं। पश्चिम ने विज्ञान में प्रगति की और वहाँ अधिकांश खोजें हुई हैं। यह सही हो सकता है और यह भी सही हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने इसी कारण तरक्की की हो, परन्तु उन्हीं परिणामों को अनुकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रगतिशीलता या उन्नति के प्रयासों का अर्थ अनुकरण नहीं है, बल्कि अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार उनका तालमेल बिठाकर किए गए प्रयास ही प्रगति के मूल हैं। भारतीय परिवेश में पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण न खपने की वजहसे पुरानी स्त्रियाँ आधुनिक और उन्मुक्त महिलाओं को हास्यास्पद रूप में देखती हैं। संभवतः इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कथित आधुनिक स्त्री के मन में भी पुरानी स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखने के रूप में होती है।

शिक्षा एक विभूति है और शिक्षित विभूतिवान। यदि शिक्षित स्त्रियाँ अपनी क्षमता का सही उपयोग करें तो उनके लिए यह कर्तव्य बन जाता है कि वे परंपरा और रूढ़ियों के बोझ तले दबी भारतीय नारी को इस दुखद स्थिति से उबारने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करें, पर अनुकरणवृत्ति का अभिशाप कहेँ या आधुनिकता का दंभ, तथाकथित प्रगतिशील स्त्रियाँ उनकी ओर देखना भी नहीं चाहतीं। उनसे बात करना या उन्हें सहयोग देना तो दूर रहा। शिक्षित आधुनिक जहाँ परंपरा के अंधविरोध और निरंकुश प्रतिक्रिया से ग्रस्त है तो अशिक्षित परंपरा भक्त नारी चले आ रहे रीति-रिवाजों से चिपटे रहने में ही भलाई देखती है। इन दोनों भ्रांतियों को तोड़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता है यह उदार विवेक बरतने की, कि नारी प्रगतिशीलता के नाम पर नतो अंधानुकरण किया जाए, न ही पुरुष से प्रतिद्वंद्विता की जाए, वरन् दोनों के सघन सहयोग द्वारा समाज को

आगे बढ़ाने की आस्था से उनमहिलाओं को ऊंचा उठाने की कोशिश करें जो अति के पहले छोर पर जी रही हैं याजीनेको विवशहो रही हैं।

नारी के पराभव, पददलनकाकालअब लदगया है। उसके लिए हरक्षेत्र में प्रगति केद्वार खुल गयेहैं । भारतीय नारी भी इस सुअवसर का लाभ उठाने में पीछे नहीं है। यहसमाज के भाग्योदय काचिह्न है, किन्तु हमारे भाग्योदय काआधार पाश्चात्य का अंधानुकरण नहीं बनसकता। प्रायः ऐसा होता है कि लम्बे समय तक भूखकाटने केबाद भोजन केदर्शन होते हैं तो परिणाम काध्यान नहीं रहता। वर्षों के पद-दलनकोसहनकरने के बाद प्रगति कापथखुलामिलने पर प्रायः भटक जाना असम्भव नहीं होता।नारी यदि अपनी प्रकृति से विरुद्ध जाकर पुरुष प्रकृति का अंधानुकरण करेगी तो अंततः परिणाम उसके विपक्ष में ही होंगे।अतः यह आवश्यक है कि स्त्री-पुरुष के मध्य समान अधिकारों और स्वतंत्रता की बात तो की जाए, परंतु उनकी प्रकृति प्रदत्त विभिन्नताओं कोभी महत्त्व दिया जाए।महिलाएं पुरुषों के अंधानुकरण की अपेक्षा अपना विकास करें। पश्चिम में उस विघटन के लक्षण ही स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो गए हैं। जहाँ स्त्रियों ने पुरुषों का अंधानुकरण किया है जैसे-अमेरिका, ब्रिटेन और विकसित राष्ट्रों में अधिकांश युवा महिलाएं कुंठा और अवसाद से ग्रस्त हैं।पुरुष उपार्जन करता है इसलिए नारी भी उपार्जन करे, यहकोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नारी को जोमहत्त्वपूर्ण कार्य प्रकृति से मिलाहै, वहअपने आप में उसेमहत्त्वपूर्ण बना देता है।पुरुष कीप्रतिद्वन्द्विताको संघर्ष मानलेना एक भ्रान्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नारी भी उपार्जन करे, इसके स्थान पर यहदृष्टिकोण अधिक व्यापक है कि नारी काअपना स्वतंत्र व्यक्तित्व हो। महिलाएं परिवार में रहते हुए भी अपने व्यक्तित्व काविकास करसकतीहैं। जहां व्यक्तित्व काविकास होगया, वहां समयपड़ने पर उपार्जनकिया जा सकनाभी असंभव नहीं है। संगीत, साहित्य, कला, समाज सुधार, नवनिर्माण के अभिनवअभियान आदि ऐसी विधाएं हैं जिन्हें अपनाकर नारी पुरुष कीजननी वप्रकारान्तरमें समाज के सृष्टाकारूप उजागर कर सकतीहै। इसके लिए हमें स्त्री -पुरुष के मध्य समान अधिकारों के वितरण के साथ ही साथऐसे संतुलन की भी स्थापना करनी होगी जहाँ दोनों विकास के चरम पर पहुँचकर, आपसमें मिलकर मानव कीसम्पूर्णता के लक्ष्य मानवता एवं मानवाधिकारों को प्राप्त करसकें।

संदर्भ

- 1-युग निर्माण योजना – नवंबर 1998
- 2-संस्कृतमहाकाव्यों में नारी के अधिकारएवं कर्तव्य -डॉ०मंजूशर्मा
- 3-रिसर्च लिंक – दिसम्बर 2008
- 4-अनुसूचितजाति में महिला उत्पीड़न -डॉ०मंजूलता
- 5-दैनिक जागरण, 23 मार्च 2006, गुरुवासरीयजागरण
- 6-नारीशोषण:समस्याएं एवं समाधान – डॉ०राजकुमार
- 7-सिविलसर्विसेज क्रोनिकल, वर्ष 1998, जुलाई, पृष्ठ संख्या: 45-46



ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य की भूमिका : एक विश्लेषण

रचित कुमार यादव¹

प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। सर्वप्रथम स्वतन्त्र भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरुआत सामुदायिक विकास कार्यक्रमों द्वारा 02 अक्टूबर 1952 में की गयी थी। तत्पश्चात् 1969 में केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपने का फैसला किया। इस प्रकार का निर्णय इसलिए लिया गया कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों में निवासरत लोगों की जीवन शैली में गुणवत्तापरक एवं आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि हेतु राज्यों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं स्वशासन में सुधार के दृष्टिकोण से तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा पंचायत समितियों का गठन किया गया जिनमें प्रमुख रूप से दो समितियों का गठन हुआ, पहली बलवंतराय मेहता समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को हुआ वहीं पंचायती राज की कार्यपद्धति को सुधारने एवं अध्ययन के दृष्टिकोण से अशोक मेहता समिति का गठन 12 सितम्बर 1978 में किया गया। ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छ पानी और आर्थिक अवसरों जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को राज्यों द्वारा सरकार के माध्यम से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया था। इसी के आलोक में सम्पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण विकास की अवधारणा—

ग्रामीण विकास को ऐसी अवधारणा के रूप में जानते हैं जिसमें गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास से जोड़ा गया है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले मूल्यों एवं प्रतिमानों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर जैसे—भौतिकी, पर्यावरणीय, प्रौद्योगिकी, आर्थिकी, सामाजिक—सांस्कृतिक धरोहरों के कारकों के निष्कर्षों को ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्क्रियात्मक परिणामों को क्रमानुसार ग्रामीण विकास को प्रघटनात्मक विश्लेषण से समझ सकते हैं। विश्व बैंक¹ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक ऐसे अस्त्र के रूप में कार्य करते हैं, जो ग्रामीण वर्ग के लोगों के जीवन से गरीबी, भूखमरी, असमानता आदि सामाजिक समस्याओं को दूर करके योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण विकास को एक ऐसे विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें सामुदायिक रूप से लोगों के हितों को ध्यान रखा जाता है। ग्रामीण विकास में ऐसी योजनाओं को चलाया जाता है जिसका कि एकमात्र उद्देश्य होता है लोगों के जीवन को सरल एवं सुगम बनाना। राबर्ट चेम्बर्स के अनुसार —“एक विशेष समूह को विशेषतः ग्रामीण गरीब महिलाओं, कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को सामर्थ्यवान एवं सबल बनाने हेतु जो सामायिकी अपनाई जाती है जिससे जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन एवं लाभ पहुँचाने हेतु ग्रामीण विकास की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”²

¹शोध छात्र, समाजशास्त्र, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर.

दत्ता, आर. सी. के अनुसार— “ग्रामीण विकास का अर्थ न केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद औसत हिसाब में बढ़ोत्तरी से है बल्कि समाज में समानता लाना है। इसके कारण गरीबों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार जैसे विषयों पर अधिक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी।”³ आजाद, आर.एन. के अनुसार— “आर्थिक विकास की प्रक्रिया हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचनात्मक विकास करना, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास तथा विपणन जैसी द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं का विकास शामिल है।”⁴ लैली, उमा के अनुसार— “ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना है।”⁵

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ग्रामीण विकास एक ऐसा विकास है जिसमें योजनाओं के संचालन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उत्पादन में वृद्धि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समानता लाना एवं सामुदायिक भावना को बढ़ाना इत्यादि शामिल हैं।

ग्रामीण विकास एवं राज्य—

मानव समाज के विकास और उन्नति में राज्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा था। विकास की अवधारणा में राज्य का दायित्व उतना ही महत्वपूर्ण नहीं था, किन्तु जैसे समाज में आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक विकास होने लगा, वैसे-वैसे राज्य की सीमाएँ एवं उसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा उसमें शान्ति, सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रगति करने की आवश्यकता में वृद्धि हुई। तीसरी दुनिया के औपनिवेशिक राज्य जब स्वतंत्र हुए तो इनके पास पूँजी, टेक्नोलॉजी एवं ज्ञान का अभाव था और कोई ऐसा सशक्त वर्ग भी नहीं था जो विकास की बागडोर को सम्भाल सके। ऐसी स्थिति में राज्य ही विकास का मुख्य अभिकरण बना। इसलिए राज्य की भूमिका इन देशों में महत्वपूर्ण होकर उभरी। तीसरी दुनिया ने अधिकांश राष्ट्रों में योजनाबद्ध विकास की रूपरेखा तैयार करना तथा उनका संचालन करना राज्य का प्रमुख दायित्व हो गया।

देसाई, ए.आर.ने कहा कि आज तीसरी दुनिया में राज्य के पास आधा दर्जन ऐसे हथियार हैं जो विकास की लड़ाई में अहम् भूमिका निभा रहे हैं। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था एवं उसमें निहित संरचनात्मक विकास की दशाएँ राज्य की भूमिका निर्धारण हेतु पृष्ठभूमि तैयार करती दृष्टिगत हो रही है।⁶

योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका शक्ति संरचना तथा उत्पादन व्यवस्था के मध्यस्थ के रूप में विकसित हो रही है। भारत जैसे देश में ग्रामीण समाज के विकास की प्रक्रिया को राज्य द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में न तो पूँजी और न ही विशेष ज्ञान एवं ऐसा नेतृत्व भी नहीं है, जो स्वयं विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। इसलिए ऐसी अवस्था में राज्य द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा किया जाना आवश्यक है। वर्तमान समय में राज्य द्वारा हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा विहीन गरीब मजदूरों की दुर्दशा को कम किया जा सके इसके लिए राज्यों द्वारा समय-समय तमाम प्रकार के विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाता रहा है।

माइकल के अनुसार “ग्रामीण विकास में राज्य की भूमिका (जैसा कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय सहायता प्राप्त एजेन्सियों का समर्थन करता है) प्रेरित करना विकासशील देशों में प्रत्यक्ष रूप से विकास की गति को तेज करना, अनुभावनात्मक ज्ञान की माँग, संरचना एवं प्रक्रिया के बारे में सैद्धांतिक प्रारूप विकसित करना जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति में कुछ हस्तक्षेप कर सके।”⁷ मैक्लागलिन विश्लेषण करते हैं कि “राज्य ग्रामीण अभावों को सुझाव देने के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए कि राज्य सत्तावादी सफलतापूर्वक सार्वजनिक हितों को इन अभावों के मूल कारणों की ओर मोड़ सकते हैं

(जैसे-सम्पत्ति एवं अवसरों का वितरण)।⁸विकासशील देशों के समाज वैज्ञानिक इन माँगों के प्रत्युत्तरों को अच्छी तरह निर्धारित करते हैं।

हैरिस के अनुसार “राज्य द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कुछ समूहों एवं वर्गों के हितों को लाभ पहुँचाना है, अन्य दूसरों को नहीं।” स्वयं के लिए क्या माँग है या स्वयं के आडम्बर पूर्ण परिस्थितियों के लिए इसका प्रभाव वहाँ बहुत विभिन्न हो सकता है। ग्रामीण विकास राज्य की गतिविधियों का एक भाग है।⁹

क्लाक के अनुसार- “उपनिवेश से पूर्व भारतीय व्यवस्था एक ग्रामीण व्यवस्था थी। औपनिवेशिक काल में भारत के आर्थिक जीवन की मूल इकाई गाँवों के कुटीर उद्योग को तोड़कर एक राजकीय सामंती व्यवस्था की स्थापना की गयी। भारत में ब्रिटिश शासन के समय, ब्रिटिश शासकों की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य की इकाइयों के स्वरूप में बार-बार परिवर्तन होता रहा। कृषिगत उत्पादन औद्योगिक हो गया। पूँजीवाद उत्पादन के नवीन स्वरूप विकसित होने के साथ-साथ नए सामाजिक वर्ग एवं सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। 19वीं सदी के आरम्भ में राज्य जिन समस्याओं का सामना कर रहा था, उनमें एक स्थाई लगान निश्चित करना, एक जैसा कर निर्धारण एवं एक जैसी ग्रामीण व्यवस्था की स्थापना करना जो कि जमींदारी, उनके अधीन कार्य करने वाले कृषक मजदूरों की आय में वृद्धि कर सके इत्यादि प्रमुख था, किन्तु यह एक प्रमाणिकता है कि काश्तकारों एवं कृषकों, मजदूरों की स्थिति 1880 या 1990 तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ।”¹⁰

भारत में ब्रिटिश काल के शासन के समय राज्य की इकाइयों में परिवर्तन होता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का कृषिगत उत्पादन औद्योगिक हो गया जिसके परिणामस्वरूप पूँजीवाद उत्पादन के नवीन प्रकार के विकास से नए-नए सामाजिक वर्ग एवं सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। ब्रिटिश शासन काल में राज्य जिन समस्याओं का सामना कर रहा था उनमें एक स्थाई लगान निश्चित करना एवं ऐसी जमींदारी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें कि जमींदारों, उनके अधीन कार्य करने वाले कृषकों के मजदूरी की आय में वृद्धि कर सके। किन्तु यह एक प्रमाण है कि कृषक मजदूरों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ वरन् ब्रिटिश शासकों ने भूमि प्रतिस्थापन नियम के अन्तर्गत कृषि आय को एकत्रित करने वाले व्यक्ति को निजी तौर पर भूमि पति का दर्जा दे दिया। जिनका कार्य अधिक से अधिक आय एकत्रित करके राज्यों को देना था। जिससे एक नए जमींदारी वर्ग का उदय हुआ जिसका केवल कार्य था गरीब मजदूर जनता का शोषण करना, इन सबका परिणाम हुआ कि भारतीय किसान अत्यधिक ऋणी हो गया। स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण विकास के लिए राज्य की कोई दूरगामी दृष्टि नहीं और न ही उस समय की सरकार ने किसी नीति के तहत ठोस शुरुआत किया था। भारत में राज्य को साम्राज्यवादी व्यवस्था ने कमजोर कर दिया था। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर दिया था।

स्वतंत्र भारत को ग्रामीण क्षेत्रों का जो ढाँचा प्रदान किया उसमें सरकार द्वारा आर्थिक विषमता को दूर करके कृषि कार्य में सुविधा लागत की छूट, शिक्षा व स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था एवं समानता का अधिकार अनेक प्रकार कल्याणकारी अपेक्षाओं की पूर्ति की आशा राज्य से ही की जाने लगी। स्वतंत्र भारत में राज्य के सामने दो प्रकार के वर्ग थे- एक जो कृषि, खेती, कुटीर उद्योगों पर आश्रित थे। दूसरे जो नगरों एवं कस्बों में रहा करते थे। राज्य ने ग्रामीण विकास की नीति के अन्तर्गत ग्रामीण साधनों की उपलब्धता को आधार बनाकर विकास कार्यक्रमों का लाभ पहुँचाने का प्रयास किया। इन कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य यही था किसी तरह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण तबकों की दशा को सुधारा जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संचालित किया गया जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन प्रमुख था।

स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास कार्यक्रम –

स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 02 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी। इसके पश्चात् ग्रामीण विकास को गति देने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का कार्य किया गया। 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय को शुरु की गया। इसका मुख्य उद्देश्य समस्त प्रकार के विकास के साथ ही मूल रूप औद्योगिक विकास पर केन्द्रित था। इस दौरान 02 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में बलवंतराय मेहताजी के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। तत्कालीन सरकारों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण उद्योग परियोजना 1962, गहन कृषि कार्यक्रम 1964, किसानों का प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम 1966, ग्रामीण जनशक्ति 1969, सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम 1970, ग्रामीण रोजगार हेतु नगद योजना 1971, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 1971, काम के बदले अनाज 1977, मरुभूमि विकास योजना 1978, ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार प्रशिक्षण (Training of Rural Youth for Self Employment- Trysem 1979), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, समन्वित विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme), ग्रामीण क्षेत्र एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) 1982, इंदिरा आवास योजना 1985, फसल बीमा योजना 1986, भूमिहीन मजदूरों हेतु सामूहिक चेतना 1987, ग्रामीण कुटीर उद्योग 1988, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1988, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना 1990, महिला डेयरी योजना 1991, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना 1991, उन्नत किस्म के औजार टूलकिट योजना (सिस्ट्रा) 1992, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1993, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1994, इंदिरा महिला योजना 1995, प्राथमिक विद्यालयों हेतु मध्याह्न भोजन योजना 1995, स्वच्छ पेयजल योजना 1996, गंगा कल्याण योजना 1997, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना 1997, आश्रय आवासीय योजना 1997, स्वास्थ्य सखी योजना 1997, रोजगार छतरी योजना 1998, दम्पति शैक्षिक योजना 1998, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, अन्नपूर्णा योजना 1999, शिक्षा गारंटी योजना 1999, शिक्षा मित्र योजना 1999, जनश्री बीमा योजना 2000, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर, 2001, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना 2002, जनरक्षा बीमा योजना 2002, त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2002, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002, भारत निर्माण योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, वर्षा बीमा योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011।

इस शोध पत्र का मूल उद्देश्य 2014 के बाद की ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं के प्रभावी क्रियावयन से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करना है। इसी आलोकमें 2014 के बाद लायी गयी योजनाओं का विवरण निम्नवत है –

- 25 सितंबर, 2014 को प्रधानमंत्री जी द्वारा सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गयी। इसका उद्देश्य ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी देश के सभी घरों के विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है।
- मिशन इंद्र धनुष योजना दिसंबर 2014 में प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक कम से कम 90 प्रतिशत बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण करना है। जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण चरणों के दौरान छूट गए और टीकाकरण से वंचित रह गए उन बच्चों एवं महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण करना है।

- 28 अगस्त 2014 को भारत में बैंकिंग समावेशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री जन-धन योजना का प्रारम्भ किया गया। योजना का व्यावहारिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते खोलना एवं उनको सीधे जन योजनाओं से जोड़कर बिचौलियों की भूमिका का पूर्णतः समाप्त करना।
- भारत के विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य और भारत के एक निवेशस्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत 28 जुलाई 2014 को हुई। इसका उद्देश्य स्वेदेशी पशु नस्लों का विकास और संरक्षण करना है।
- 28 अगस्त 2014 को भारत में बैंकिंग समावेशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारम्भ किया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत नामक स्थान में बेटे बचाओं बेटे पढ़ाओं योजना का प्रारम्भ किया गया। इस योजना का परम उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षा को निश्चित करते हुए विद्यार्थी चयन में लैंगिक भेद को पूर्णतया समाप्त करना है।
- मेरा गाँव मेरा गौरव योजना का प्रारम्भ 2015 एक नई योजना प्रारम्भ की गई जिससे गाँव तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं आई.सी.ए.आर. के सभी संस्थानों के कृषि विशेषताओं को शामिल किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारम्भ 01 जुलाई 2015 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रति बंद अधिक फसल इसके तहत सूक्ष्म (Micro Irrigation) को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य उद्देश्य में सिंचाई में निवेश एकरूपता लाना, हर खेत को पानी के तहत कृषि योग्य बनाना है।
- प्रधानमंत्री उज्वला योजना का प्रारम्भ 01 मई 2016 को श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तरप्रदेश के बलिया जिले में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को रोकते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
- स्टार्ट-अप-इंडिया का प्रारम्भ 16 जनवरी, 2016 को एकल लाइसेंस विंडो सिस्टम को प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य व्यापारिक अनुभूतियाँ जल्दी और एक ही खिड़की पर प्रदान की जा सके। बिचौलियों की भूमिका का पूर्णतः समाप्त किया जा सके और सरकार की भूमिका केवल नीति निर्माण तक ही सीमित रहे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना का प्रारम्भ 20 नवंबर 2016 को आगरा में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रह रहे, ग्रामीण लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना का प्रारम्भ 13 जनवरी 2016 को किया गया इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और वेगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कृषि में किसानों की सबल प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना है।
- उदय योजना का प्रारम्भ 05 नवंबर 2017 को किया गया। जिसका उद्देश्य राज्यों में सस्ती और सुलभ 24x7 उपलब्ध कराने में डिस्कॉम कम्पनियों की वित्तीय सहायता करने का ध्येय है।

- आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का प्रारम्भ 2017 में किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन सुविधाओं का विकास करना है। इस योजना का दीन-दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हिस्से के रूपमें एक उपयोजना है।
- कृषक समृद्धि योजना का प्रारम्भ 27 मार्च, 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लिए कृषक समृद्धि योजना का गठन किया है। 'कृषक समृद्धि आयोग' के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे।
- आयुष्मान योजना का प्रारम्भ 23 सितम्बर 2018 को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 05 लाख प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपने बीमा का दस्तावेज देना होगा। इसके आधार पर अस्पताल उपचार के व्यय के बारे में बीमा कम्पनी को सूचित कर देगा और बीमार व्यक्ति के दस्तावेज के पुष्टि होते ही बिना पैसा दिये जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का प्रारम्भ 23 मई 2018 को उत्तर प्रदेश द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापार दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि के 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किये जाने के कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है। बढ़ी हुई बीमा की राशि 29 अक्टूबर 2017 से प्रभावी है।
- सम्पूर्ण योग ग्राम के तहत हर परिवार के एक सदस्य नियमित रूप से योग करने वाला होगा।
केंद्रिय आयुष मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से पहले देश भर के 500 गाँवों को 'संपूर्ण योगग्राम' बनाने का अभियान शुरू किया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) इस योजना की शुरुआत 04 नवम्बर, 2019 को आयोजित की गई। इसका उद्देश्य हर महीने की 09 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल निःशुल्क पैसा प्रदान करना है।
- किसान सम्मान निधि योजना का प्रारम्भ 24 फरवरी 2019 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर स्थित फर्टिलाइजर फैक्ट्री मैदान में आयोजित जनसभा में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारम्भ किया गया। किसानों के बैंक खाते में योजना की पहली किस्त रूप में 2-2 हजार रुपये डिजिटल स्थानान्तरित किया। इस योजना के अंतर्गत 02 हेक्टेयर तक के भूमि वाले किसानों को प्रति किसान प्रतिवर्ष 06 हजार रुपये 2-2 हजार रुपये 03 किस्तों में मिलेंगे।
- मुख्यमंत्री जन-आरोग्य अभियान 01 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुभारम्भ किया। इस अभियान के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित नहीं है।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत 11 जून 2019 को किया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60-70 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदत्त राशि का प्रति लाभार्थी 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय किया गया। यह व्यवस्था 01 जनवरी 2019 से ही लागू है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के अंतर्गत संचालित है। इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्यांश और 200 रुपये केंद्रांश शामिल है।

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 11 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या-सुमंगला योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य कन्याभ्रूण हत्या पर अंकुश व उनके विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह सहायता बालिका के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा तक समय-समय पर दी जायेगी।
- प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना- 09 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ किया गया तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2019-20 एवं आगामी वर्षों के लिए खरीफ एवं रबी के मौसम में लागू किया गया था।
- बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 11 नवंबर, 2019 को शुरू किया गया एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
- आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2 सितंबर, 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाना है।

निष्कर्ष एवं प्रभाव-

प्रस्तुत शोध पत्र 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य की भूमिका संबंधित तथ्यात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समय-समय पर चाहे वह स्वतंत्र भारत के पश्चात् हो या वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा गाँवों में निवासरत लोगों की जीवन शैली में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन दृष्टिगत तहो रहे है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विशेषकर गरीब तबकों की जीवन में गुणवत्ता परक परिवर्तन घटित होते प्रतीत हो रहे है। रोजगार परक कार्यक्रमों के संचालन से ग्रामीण लोगों को उनके क्षेत्र के आस-पास ही रोजगार प्राप्त होने के अवसर दृष्टिगत हो रहे है। अब शहरों की तरफ रोजगार हेतु पलायन कम हो रहे है। उन्हें अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, स्वच्छ पानी और आर्थिक अवसरों आदि जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण जनता को भरपूर रूप से प्राप्त हो रहे हैं।

इस प्रकार संपूर्ण विश्लेषण से यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि राज्य सरकारों के सजग प्रयासों के फलस्वरूप ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभाविता आई है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता के जीवन में बदलाव दिखाई दे रहा है।

सन्दर्भ

1. विश्व बैंक रिपोर्ट, भारत में ग्रामीण विकास, 2015, कालेज बुक डिपो, जयपुर पृ0 12.
2. चैम्बर्स, राबर्ट, 1974, Managing Rural Development, ideas and Experience from East Africa, Uppsala Scandinavian Institution of African Studies.
3. दत्त, सी0आर0, भारतमेंग्रामीणविकास, College Book, Depo, जयपुर, 2015.
4. आर0एन0, आजाद, 1986, Integrated Rural Development in Dynamics of Development, p. 420-426.
5. लैली, उमा, भारतमेंग्रामीणविकास, 2015, कालेजबुकडिपो, जयपुर, पृ0 12
6. देसाई, ए0आर0, Rural Sociology in India, 2019, Sage Publication.
7. माइकल, त्रिपाठी रमाशंकर, सिंह मार्कण्डेय, ग्रामीण विकास में राज्य की भूमिका अमाद पुर गाँव पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, 2001.
8. मैक्लागलिन, त्रिपाठी रमाशंकर, सिंह मार्कण्डेय, ग्रामीण विकास में राज्य की भूमिका अमादपुर गाँव पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, 2001
9. हैरिस, त्रिपाठी रमाशंकर, सिंह मार्कण्डेय, ग्रामीण विकास में राज्य की भूमिका, अमादपुर गाँव पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, 2001
10. क्लाक, त्रिपाठी रमाशंकर, सिंह मार्कण्डेय, ग्रामीण विकास में राज्य की भूमिका अमादपुर गाँव पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन |



साहित्य की सशक्त विधा : उपन्यास

डॉ० अतुल कुमार यादव

‘उपन्यास’ शब्द की व्युत्पत्ति ‘उप + न्यास’ से हुई है। ‘उप’ का अर्थ है ‘निकट’ और ‘न्यास’ का अर्थ है ‘रखी हुई वस्तु’। अर्थात् उपन्यास शब्द का मूल अर्थ है ‘निकट रखी हुई वस्तु’, किन्तु आधुनिक युग में ‘उपन्यास’ का प्रयोग साहित्य के एक ऐसे स्वरूप विशेष के लिए होता है, जिसमें एक दीर्घकथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। ‘भरतमुनि’ ने उपन्यास के लिए ‘उपपत्तिकृतोद्धारः’ तथा ‘प्रसादनम्’ आदि प्रस्तुत किये हैं, जिनका अर्थ होता है—‘किसी अर्थ को युक्तिपूर्णद्वारा से प्रस्तुत करने वाला तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला कथा साहित्य उपन्यास कहलाता है।’¹

आधुनिक काल में ‘उपन्यास’ शब्द अंग्रेजी के नॉवेल(Novel) के अर्थ में प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ है एक दीर्घ कथात्मक गद्य रचना। जिसके अन्तर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों का चित्रण किया जाता है। गुजराती में ‘नवल कथा’ मराठी में ‘कादम्बरी’ एवं बंगला में ‘उपन्यास’ शब्द का प्रयोग भी अंग्रेजी के ‘नॉवेल’ के अर्थ में ही किया जाता है। संभवतः ‘उपन्यास’ शब्द का प्रयोग हिन्दी साहित्य में ‘बंगला’ से ही माना जाता है।²

आधुनिक उपन्यास—साहित्य का जन्म यूरोप से स्वीकार किया जाता है। किन्तु यूरोप में उपन्यास का उद्भव स्वीकार करने से पहले भारत में जो प्राचीन काल से कथा—साहित्य की परंपरा चली आ रही है उसमें कहीं न कहीं उपन्यास का अस्तित्व विद्यमान है। सर्वप्रथम संस्कृत गद्य में लिखे गये पंचतंत्र, हितोपदेश, वैताल पंचविंशति, वृहत्कथा—मंजरी, स्वप्न वासवदत्त, कादम्बरी और दशकुमार चरितम् में हमें क्रमशः औपन्यासिकता का विकास मिलता है। बहुत से विद्वानों ने ‘कादम्बरी’ को भारत का पहला उपन्यास माना है, किन्तु औपन्यासिक तत्वों के आधार पर विश्लेषण करने पर इसमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव मिलता है। ‘कादम्बरी’ में अलौकिकता, भावात्मकता एवं अलंकारिकता का आग्रह इतना अधिक है कि उसे उपन्यास की ‘श्रेणी’ में नहीं रखा जा सकता। वस्तुतः मानवीय चरित्र के स्वाभाविक चित्रण, मनोवैज्ञानिक तथ्यों के उद्घाटन, यथार्थवादी दृष्टिकोण एवं शैली की स्वाभाविकता के आधार पर ‘दशकुमार—चरितम्’ को हम भारत का पहला ‘उपन्यास’ स्वीकार कर सकते हैं। उपन्यास का उद्भव यूरोप में रोमांटिक कथा साहित्य से हुआ जो मूलतः भारतीय प्रेमाख्यानों से प्रेरित था। रोमांटिक का अर्थ है, जिसमें प्रेम और साहस का निरूपण हो । संस्कृत के ‘स्वप्न वासवदत्ता’, ‘कादम्बरी’ और सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय पी० जी० कालेज, लालगंज, आजमगढ़।

‘दशकुमारचरित’ में प्रेम, साहस और धैर्य का ही चित्रण किया गया है। इस युग के भारतीय कथा-साहित्य में इन तत्वों की इतनी प्रधानता थी कि **आचार्य रुद्रट** ने कथा-साहित्य के लक्षण निर्धारित करते समय प्रेम और साहस को उसका आवश्यक लक्षण माना। यूरोप में रोमांटिक उपन्यासों का प्रचार सर्वप्रथम **इटली** से माना जाता है। 14 वीं शताब्दी के मध्य में इटली के लेखक **‘बोकेशियो’** ने ‘डी केमरान’ की रचना की जो व्यंग और विनोद से ओत-प्रोत थी। 17 वीं शती में स्पेन के लेखक **‘सरवन्ते’** ने **‘डान क्विकजोट’** की रचना की। आगे चलकर फ्रांस में रोमानी और यथार्थवादी कथा-साहित्य की बहुत उन्नति हुई। दूसरी ओर 17 वीं-18 वीं शती में इंग्लैण्ड में अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना हुई, जैसे—**सरफिलिप सिडनी** कृत **‘आर्केडिया’** (1850), जॉन बुनियन का **‘पिलग्रिम्स प्रोगेस’** (1684), डैनियल दैफो का **‘राबिन्सन क्रूसो’** (1719), जोनाथ स्विफ्ट का **‘गुलीवर्स ट्रेवल्स’** (1726) आदि। आगे चलकर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी व रूस में अनेक उच्च कोटि के उपन्यासों की रचनाएँ हुई, जिनमें **सेम्युअल रिचर्ड्सन** का **‘पामेला’** (1740), **हैनरी फील्डिंग** का **‘टाम जोन्स’** (1749), **आलिवर गोल्स स्मिथ** का **‘विकार ऑफ बेकफील्ड’**, **जेन आस्टिन** का **‘प्राइड एण्ड प्रेजुडिस’**, **सर वाल्टर स्कॉट** का **‘बेबर्ली नावेल्स’**, **चार्ल्स डिकेन्स** का **‘डेविड कॉपरफील्ड’**, **ब्रॉण्टी** का **‘जेक आयर’**, **थैकरे** का **‘वेनिटी फेयर’**, **जार्ज इलियट** का **‘एडम बीड’** आदि इंग्लैण्ड में प्रकाशित हुए। फ्रांस के उपन्यास-लेखकों में **वाल्टेयर**, **विक्टर ह्यूगो**, **बालजक**, **जार्ज सेण्ड**, **जोला**, **फलावेयर**, **अनातोले फ्रांस** आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त जर्मनी में **गटे** तथा रूस में **पुश्किन**, **गोगोल**, **लर्मातोफ** **तुर्गनेव**, **दास्ताएव्स्की**, **टालस्टॉय** जैसे महान् लेखकों ने उपन्यास विधा को समृद्ध किया।³

उपन्यास का उदय एक नई सभ्यता की तरह हुआ। यह सभ्यता अचानक से ही प्रस्फुटित नहीं हुई बल्कि यह सदियों की सामूहिक और समुचित चेतनाअजस्र धारा के रूप में प्रवाहमान रही है। समय के परिवर्तन के साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। इंसानी कल्पना और अनुभव करने की किसी उत्कंठ आकांक्षा का सीधा प्रतिफलन उपन्यास बना। जिस स्वतन्त्र भाव से सराबोर होकर उपन्यास की कलात्मक व्यापकता का स्वप्नबोध पैदा हुआ, वह मानवतावादी आंदोलन और पुनर्जागरण का अत्यन्त स्वाभाविक परिणाम था। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, विज्ञान का चमत्कारिक घोषणाएँ इसी व्यक्ति स्वतन्त्रता और साहस का परिणाम थे जिन्हें घटित होने में इसके बाद लगभग एक सदी की प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह प्रतीक्षा भी कोई रिक्त समयांश नहीं था। उपन्यास विधा ने तब से आज तक इंसान के भीतरी और बाहरी दुनिया को इस तरह उजागर किया है जैसे हर सांस शब्दों में दर्ज हो गई हो। हर वासना अपने पूरे उत्सव और व्यापार के साथ उपन्यासों की रेखाओं में उतर गई हो। प्रेम, ईर्ष्या, जन्म, मृत्यु, उत्सर्ग, आदर्श, बन्धन, साहस, बलिदान इतने अलग-अलग तरह सब कुछ प्रकट हुआ कि आज किसी भी चीजको परिभाषित करना केवल औपन्यासिक प्रयत्न के अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया लगता। जीने की इतनी दिशाएँ खोली हैं उपन्यास विधा ने कि प्रश्न चिन्ह कोई नहीं।⁴

सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और समीक्षक **ई.एम. फॉरस्टर** ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **‘आस्पेक्ट्स ऑफ उपन्यास’** में लिखा है, “मित्र! हाँ उपन्यास कहानी बयान करता है” कहानी कहने के लिए उपन्यासकार अपनी विलक्षण भाषा-शैली के माध्यम से उपन्यास के कथानक, वातावरण और विभिन्न चरित्रों का निर्माण करता है और साथ ही अपने जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति भी करता है। वस्तुतः उपन्यासकार अपने उपन्यास में एक पूरे संसार की रचना करता है जिसके प्रभाव से पाठक भी उसी संसार का भाग बन जाते हैं। प्रत्येक उपन्यास अपने आप में अद्भुत होता है, क्योंकि प्रत्येक उपन्यास में वर्णित संसार भिन्न होता है। विख्यात उपन्यासकार और विचारक **डी.एच.लारेंस** ने कहा था “उपन्यास जीवन का महान ग्रन्थ है।”⁵

अर्नेस्ट ए. बेकर ने उपन्यास को परिभाषित करते हुये कहा कि “उपन्यास गद्यबद्ध कथानक के माध्यम द्वारा जीवन तथा समाज की व्याख्या का सर्वोत्तम साधन है।”

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की दृष्टि में उपन्यास “मानव-जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का कार्य करता है, यत्न करता है। जिनसे मनुष्य का जीवन बनता है और जो इतिहास आदि की पहुँच के बाहर हैं।”⁶

डी.एच.लारेंस ने उपन्यास तथा उपन्यासकार दोनों को महत्वपूर्ण माना है उन्हीं के शब्दों में ‘उपन्यास जीवन की एक उज्ज्वल पुस्तक है। पुस्तकें जीवन नहीं हैं, वे सिर्फ हवा में थरथराहट पैदा करती हैं, लेकिन उपन्यास एक ऐसी थरथराहट है जो समूचे जीवित मनुष्य को कँपा सकती है। कविता, दर्शन, विज्ञान या किसी भी पुस्तक की थरथराहट से कहीं ज्यादा जबरदस्त उपन्यासकार की थरथराहट है।’⁷

युगोस्लावियाई उपन्यासकार **इवो आन्द्रिच**, जिन्हें उपन्यास(‘द ब्रिज ऑन द ड्रीन’) पर नोबेल पुरस्कार मिला था, अपनी डायरी में इन्होंने उपन्यास को लेकर मंतव्य दिए “यानी मनुष्य एक अजनबी है, अजनबी का जो भी सच्चे से सच्चा, गहरे से गहरा अर्थ होता है, उस अर्थ में। हर चीज जो यहाँ हुई है और उसके लिए हुई थी अब उसके हाथ से हमेशा-हमेशा के लिए टूट चुकी है और इतनातय है कि अब आगे ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो सकता जो उसका साथ दे सके— जिसे उससे छीनाजा सके। लोग.....उनकी कृतियाँ.....उनके शब्दसब उन सायों की तरह है जो सूरज के सिर पर आते ही गायब हो जाते हैं। आज से पहले मैंने कभी इस तरह महसूस नहीं किया, और जैसा कि कभी मेरे साथ होता था ऐसे क्षणों में, मुझमें एकाएकएक अपूर्व सम्पन्नता का अहसास जाग उठता है.....विशुद्ध आनंद की अनुभूति जिसका उत्स मेरे उस विचार से होता है। विचार जो मोमदीप की तैरती बत्ती की तरह मेरे अंदर चलता है।”⁸

मुंशी प्रेमचन्द के शब्दों में – “मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है। सब आदमियों के चरित्रों में भी बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएँ होती हैं। यही चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता अभिन्नत्व में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिन्नत्व-दिखाना उपन्यास का मूल कर्तव्य है।”

इस प्रकार उपन्यास विधा का स्वरूप विराट होता है। उपन्यास में साहित्य की सारी विधाओं की छवियों का सन्निवेश होता है। उपन्यास में कथा के साथ-ही-साथ काव्य की-सी भावुकता और संवेदना, निबन्ध की-सी चिन्तन मूलकता, नाटक की-सी संवाद योजना होती है और चरित्र अधिकांश रूप से अपना या औरों का विश्लेषण अपने कार्य-व्यापारों तथा पारस्परिक संवादों या स्वगत चिंतनों से करते रहते हैं। इसमें नाटक के रंगमंच-विधान की तरह परिवेश-विधान यानी देशकाल विधान होता है। इसीलिए आलोचकों ने उपन्यास को ‘जेबी थिएटर’ भी कहा है। नाटक, काव्य, कहानी या निबन्ध की तरह उपन्यास के विस्तार की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। वह जितना चाहे विस्तार ले सकता है और संगठित रूप से जीवन की जितनी भी व्यापकता चाहे समेट सकता है। अतः उपन्यास अपनी इसी विराटता के कारण आधुनिक काल की एक बहुतही शक्तिशाली और लोकप्रिय विधा है।

संदर्भ

1. गणपति चन्द्र गुप्त- साहित्यिक निबन्ध, पृ.सं.414
2. वही, पृ.सं.414
3. गणपति चन्द्र गुप्त –साहित्यिक निबन्ध, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद, पृ.सं. 417-418
4. सं. कृष्ण किशोर, अन्यथा पत्रिका, अंक 15, पृ.सं.

5. पृ.सं.211
6. ज्योतिष जोशी, उपन्यास की समकालीनता, पृ.सं. 18
7. ज्योतिष जोशी : उपन्यास की समकालीनता, पृ.सं. 22
8. वही, पृ.सं. 23



घेरण्ड संहिता: सम्पूर्ण परिचय

डॉ० दीपक कुमार प्रेमी^१

वर्तमान की व्यस्तता व आधुनिक दिनचर्या में स्वयं को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। स्वयं को एक व्याधिरहित व सबल काया प्रदान करना, स्वयं के लिए सबसे बड़ा व अद्भुत उपहार है। प्लेटो द्वारा कहे गये वक्तव्य 'एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है' की वैज्ञानिक परीक्षाओं के द्वारा भी सिद्ध हो चुकी है।

मनुष्य की आधुनिकता की अन्धी दौड़, अनुचित खान-पान व अनुशासन रहित जीवनचर्या के द्वारा उसके शरीर ने अनेक प्रकार के साध्यासाध्य रोग अभिशाप के रूप प्राप्त किये हैं, जिसका ताजातरीन उदाहरण कोरोना जैसी भयानक वैश्विक महामारी है। क्षय रोग, कर्क रोग व एड्स आदि जैसी भयानक बीमारियों से प्रतिवर्ष सम्पूर्ण विश्व में लाखों लोग काल-कवलित हो जाते हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों के अवलोकनोपरान्त इसके निवारण हेतु जब हम प्रयासरत होते हैं, तब हमारा प्राचीन ज्ञान-विज्ञान एक निरोगी काया व स्वस्थ मस्तिष्क के लिए एक योग-पद्धति के रूप में दृष्टिगोचर होता है, इसी योग-पद्धति को आधार बनाकर महर्षि घेरण्ड ने 'घेरण्ड संहिता' का प्रणयन किया है।

महर्षि घेरण्ड द्वारा प्रणीत घेरण्ड-संहिता हठयोग के तीन प्रमुख ग्रन्थों में से एक है। हठयोग से सम्बन्धित अन्य दो ग्रन्थ-हठयोग प्रदीपिका तथा शिव-संहिता हैं। घेरण्ड संहिता जनसाधारण के लिए व्यावहारिक योग बल लिखा गया साहित्य है।

इस ग्रन्थ में महर्षि घेरण्ड व राजा चण्डकपालि के बीच का संवाद वर्णित है, राजा चण्डकपालि महर्षि घेरण्ड के पास जाते हैं तथा प्रश्न पूछते हैं कि 'यह जो शरीर रूपी घट है, इसकी शुद्धि कैसे की जाये, इस शरीर का यदि उद्धार करना है, तो किस प्रकार से किया जाये?' इस प्रश्न को सुनकर महर्षि घेरण्ड राजा चण्डकपालि को शरीर शुद्धि, निरोग काया के बारे में उपदेश देते हैं। यही उपदेश घेरण्ड संहिता के नाम से जाना जाता है।

घेरण्ड संहिता के काल के विषय में विद्वानों में विमति है; परन्तु घेरण्ड संहिता की प्रथम प्रतियों से यह अनुमान किया जाता है कि यह सत्रहवीं (17) शताब्दी का ग्रन्थ है। इस संहिता की प्रथम प्रति सन् 1804 में प्राप्त हुई थी। महर्षि पताञ्जलि ने जहाँ अपने योग-सूत्र में अष्टाङ्ग योग की चर्चा की है, वहीं महर्षि घेरण्ड ने 353 श्लोकों के द्वारा सात अध्यायों में सप्तांग योग की चर्चा की है।

^१असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत) गांधी स्मारक त्रिवेणी पी० जी० कालेज बरदह - आजमगढ़

सप्ताङ्ग योग

घेरण्ड संहिता में योग को सबसे बड़ा बल मानते हुए तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिये इसका उपदेश किया गया है , इस ग्रन्थ में घेरण्ड मुनि द्वारा शरीर को घट की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसे 'घटस्थ योग' के नाम से भी जाना जाता है। घेरण्ड संहिता को 'सप्तसङ्ग योग' भी कहा जाता है ; क्योंकि इसके सात (7) अध्यायों में योग के सात साधनों-षट्कर्म , आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान व समाधि की चर्चा की गई है।

1. षट्कर्म-घेरण्ड संहिता में सर्वप्रथम शारीरिक शुद्धियों की चर्चा की गई है , जिन्हें षट्कर्म कहा जाता है। षट्कर्म का तात्पर्य छः (6) प्रकार के कर्मों से है-

धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिः लौलिकी त्राटकं तथा।

कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्॥12॥

अर्थात् धौति, वस्ति, नेति, लौलिकी (नौलि), त्राटक तथा कपालभाति-ये सभी छः कर्म महर्षि घेरण्ड द्वारा षट्कर्म माने गये हैं।

(1) धौति-धौति का तात्पर्य धोने से, स्वच्छता से या शोधन से है। घेरण्ड संहिता में चार प्रकार की धौति का वर्णन है-

अन्तर्धौतिर्दन्तधौतिर्हृद्दौतिर्मूलशोधनम्।

धौतिं चतुर्विधं कृत्वा घटं कुर्वन्ति निर्मलम्॥ 13॥

अर्थात् अन्तर्धौति, दन्तधौति, हृद्दौति और मूलशोधन-ये चार प्रकार की धौति करके घट (शरीर) को निर्मल किया जाता है।

(अ) अन्तर्धौति-

वातसारं वारिसारं वह्निसारं बहिष्कृतम्।

घटस्य निर्मलार्थाय ह्यन्तर्धौतिश्चतुर्विधम्॥

अर्थात् वातसार, वारिसार, वह्निसार तथा बहिष्कृत भेद से अन्तर्धौति चार प्रकार का होता है।

- वातसार का तात्पर्य है-

काकच्युवदास्येन पिवेद्वायुं शनैः शनैः।

चालयेदुदरं पश्चात्तद्वन्मना रेचयेच्छनैः॥ 15॥

अर्थात् कौवे की चोंच के समान दोनों होठों को करके धीरे-धीरे वात (वायु) को पीयें , फिर पेट में परिचालन कर रेचन करना ही वातसार है।

- वारिसार का तात्पर्य है-

आकण्ठं पूरयेद्वारि वक्त्रेण च पिबेच्छनैः।

चालयेदुदरेणैव च उदराद्रेचयेदधः॥ 17॥

अर्थात् मुख से धीरे-धीरे वारि (जल) पीते हुए कण्ठ तक भर लेना , फिर उदर को चलाकर जल को अधो (पायु) मार्ग से निकाल देना ही वारिसार है।

- वह्निसार का तात्पर्य है-

नाभिग्रन्थिं मेरुपृष्ठे शतवारं च कारयेत्।

अग्निसारमियं धौतोर्योगिनां योगसिद्धिदा॥ 19॥

अर्थात् प्राणवायु को मुंह से बाहर निकालकर नाभि को मेरुदण्ड के पृष्ठभाग में लगाना ही अग्निसार या वह्निसार है।

- बहिष्कृत का तात्पर्य है-

काकीमुद्रां शोधयित्वा पूरयेदुदरं मरुत्।

धारयेदर्धयामं तु चालयेदधोव्रम्ना॥ 21॥

अर्थात् कौवे की चोंच के समान होठों के द्वारा वायु-पान करके उदर को भरना तत्पश्चात् आधे प्रहर रुककर चालित करते हुए अधोमार्ग (पायुमार्ग) से निकालना ही बहिष्कृत है।

(ब) दन्तधौति-

दन्तमूलं जिह्वामूलं रन्ध्रं च कर्णयुग्मयोः।

कपालरन्ध्रं प.चैते दन्तधौतिर्विधीयते॥ 25॥

अर्थात् दन्तमूल, जिह्वामूल, दोनों कर्णरन्ध्र तथा कपालरन्ध्र के रूप से दन्तधौति के पाँच प्रकार हैं।

- दन्तमूल धौति का तात्पर्य है-

खादिरेण रसेनाथ शुद्धमृत्तिकया तथा।

मार्जयेद्दन्तमूलं च यावत्किल्बिषमाहरेत्॥ 26॥

अर्थात् जब तक किल्बिष (मैल) न छूटे तब तक खादिर के रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दाँतों की जड़ों को माँजना चाहिए।

- जिह्वामूल धौति का तात्पर्य है-

तर्जनीमध्यमानामा अङ्गुलित्रययोगतः।

वेषयेद्गलमध्ये तु मार्जयेत्किल्बिकामूलम्॥ 29॥

अर्थात् तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों को मिलाकर कण्ठ में डालकर जिह्वा की जड़ को स्वच्छ करना चाहिए। मक्खन लगाकर चिमटे से जीभ को पकड़कर बाहर खींचे।

- कर्णरन्ध्र धौति का तात्पर्य है-

तर्जन्यानामिका योगान्मार्जयेत् कर्णरन्ध्रयोः।

नित्यमभ्यास योगेन नादान्तरं प्रकाशयेत्॥ 32॥

अर्थात् तर्जनी और अनामिका को मिलाकर दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करनी चाहिए।

- कपालरन्ध्र धौति से तात्पर्य-

वृद्धाङ्गुष्ठेन दक्षेण मार्जयेद्भालरन्ध्रकम्।

एवमभ्यासयोगेन कफदोषं निवारयेत्॥ 33॥

अर्थात् दाहिने हाथ की अङ्गुलियों को मिलाकर कप की आकृति बनाकर पानी भरकर कपालरन्ध्र में तथा ब्रह्मरन्ध्र में थपकी देना चाहिए।

(स) हृदधौति-

हृदधौतिं त्रिविधा कुर्यादण्डवनवाससा॥35॥

हृद धौति तीन प्रकार से है-दण्ड धौति, वमन धौति, तथा वसन (वस्त्र) धौति।

- दण्डधौति का तात्पर्य है-

रम्भादण्डं हरिदण्डं वेत्रदण्डं तथैव च।

हृन्मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरेच्छनैः॥ 36॥

अर्थात् केले के मृदु भाग को, हल्दी के दण्ड को या बेंत को हृदय के मध्य में घुसाकर निकालना चाहिए।

नोट-यह हठयोग का विषय है, बिना योग्य गुरु के निर्देशन के यह हानिकारक हो सकता है।

- वमन धौति का तात्पर्य है-

भोजनान्ते पिबेद्वारि चाकण्ठं पूरितं सुधीः।

उध्वां दृष्टिं क्षणं कृत्वा तज्जलं वमयेत्पुनः॥38॥

अर्थात् भोजन के अन्त में कण्ठ पर्यन्त जल पीकर और फिर क्षणभर ऊपर की ओर देखते हुए जल-वमन (उल्टी) कर निकाल देना चाहिए।

- वसन धौति का तात्पर्य है-

चतुरंगुलविस्तारं सूक्ष्मवस्त्रं शनैर्ग्रसेत्।

पुनः प्रत्याहारेदेतत्प्रोच्यते धौतिकर्मकम्॥40॥

अर्थात् महीन वस्त्र की चार अङ्गुल चौड़ी पट्टी को धीरे से निगलना फिर इसे धीरे-धीरे बाहर निकालना चाहिए।

(द) मूलशोधन धौति का तात्पर्य है-

पीतमूलस्य दण्डेन मध्यमाङ्गुलिनाऽपि वा।

यत्नेन क्षालयेद्गुह्यं वारिणा च पुनःपुनः॥43॥

अर्थात् हल्दी की जड़ या मध्यमा अङ्गुली क द्वारा जल-योग से पायु का बार-बार प्रक्षालन (धोना) करना चाहिए।

(II) वस्ति-घेरण्ड संहिता में षट्कर्म के अन्तर्गत वर्णित दूसरा कर्म है-वस्ति। इसमें दो प्रकार के वस्ति कर्म का वर्णन है।

जलवस्तिः शुष्कवस्तिर्वस्ति च द्विविधौ स्मृतौ।

जलवस्तिं जले कुर्याच्छुष्कवस्तिं सदा क्षितौ॥45॥

अर्थात् वस्ति-कर्म दो प्रकार का है-जल वस्ति तथा स्थल (शुष्क) वस्ति , जल वस्ति जल में करनी चाहिए , स्थल वस्ति स्थल पर करनी चाहिए।

(अ) जल-वस्ति-

नाभिमग्नेजले पायुन्यस्तनालोत्कटासनः।

आकुचनं प्रसारं च जलवस्तिं समाचरेत्।।46।।

अर्थात् जल में नाभिपर्यन्त बैठकर उत्कट आसन लगाना चाहिए और गुह्य (पायु) प्रदेश का आकुचन , प्रसारण करना चाहिए।

(ब) शुष्क (स्थल) वस्ति-

पश्चिमोत्तानतो वस्तिं चालयित्वा शनैःशनैः।

अश्विनीमुद्रया पायुमाकुचयेत्प्रसारयेत्।।48।।

अर्थात् पश्चिमोत्तानासन में बैठकर नीचे के भाग में (पायु भाग में) अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का अकुचन व प्रसारण के द्वारा वस्ति का परिचालन करना चाहिए।

(III) नेति-षट्कर्म के अन्तर्गत वर्णित तृतीय कर्म नेति-कर्म है।

वितस्तिमानं सूक्ष्मसूत्रं नासानाले प्रवेशयेत्।

मुखान्निर्गयेत्पश्चात् प्रोच्यते नेतिकर्मकम्।।50।।

अर्थात् बलिस्तभर (आधा हाथ) लम्बा डोरा नासिका में घुसायें और मुख से बाहर निकाल दें , इसे नेतिकर्म कहते हैं।

नोट-घेरण्ड संहिता में महर्षि घेरण्ड ने केवल सूत्र-नेति की चर्चा की है , इसके अतिरिक्त अन्यान्य ग्रन्थों में जल नेति, घृत-नेति आदि की भी चर्चा की गई है।

(IV) लौलिकी (नौलि)-षट्कर्म के अन्तर्गत चतुर्थ कर्म नौलि या लौलिकी कर्म का वर्णन किया गया है। नौलि का अर्थ है, इधर-उधर घुमाना।

अमन्दवेगेन तुन्दं भ्रामयेदुभपाश्र्वयोः।।52।।

अर्थात् उदर (पेट) के दोनों पार्श्वों को अत्यन्त वेगपूर्वक घुमाना ही लौलिकी अर्थात् नौलि कर्म है।

(V) त्राटक-घेरण्ड संहिता में वर्णित षट्कर्म के अन्तर्गत पंचम कर्म त्राटक की चर्चा की गई है। यह एक शुद्धिकरण का कर्म है।

निमेषोन्मेषकं त्यक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत्।

पतन्ति यावदश्रूणि त्राटकं प्रोच्यते बुधैः।।53।।

अर्थात् निमेष-उन्मेष (पलकों का उठना-गिरना) को रोककर जब तक आँसू न गिरने लगे, तब तक सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखना ही त्राटक-कर्म है।

(VI) कपालभाति-घेरण्ड संहिता में षट्कर्म के अन्तर्गत षष्ठं कर्म कपालभाति की चर्चा की गई है।

वातक्रमेण व्युत्क्रमेण शीत्क्रमेण विशेषतः।

भालभातिं त्रिधा कुर्यात्कफदोषं निवारयेत्।55।।

अर्थात् वातक्रम, व्युत्क्रम तथा शीतक्रम भेद से कपालभाति तीन प्रकार की होती है , जिनके अभ्यास से कफदोष दूर होता है।

(अ) वातक्रम-

इड्या पूरयेद्वायुं रेचयेत्पिंगलया पुनः।

पिंगलय पूरयित्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत्।56।।

अर्थात् इडा (बायीं नासिका) से श्वाँस अन्दर लेना तथा पिंगला (दायीं नासिका) से श्वाँस बाहर निकाल देना पुनः पिंगला से श्वाँस लेकर इडा से बाहर निकालना ही वातक्रम कहा जाता है।

(ब) व्युत्क्रम-

नासाभ्यां जलमाकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत्।

पायं पायं व्युत्क्रमेण श्लेष्मादोषं निवारयेत्।58।।

अर्थात् नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा जल खींचना व मुख से निकाल देना तथा मुख से जल खींचकर नासिका से निकाल देना ही व्युत्क्रम है।

(स) शीतक्रम-

शीत्कृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासानालैर्विरेचयेत्।

एवमभ्यासयोगेन कामदेव समो भवेत्।59।।

अर्थात् शीत्कार करता हुआ साधक के मुख के द्वारा जल ग्रहण कर नासिका के द्वारा निकाल देना ही शीतक्रम है। इसके अभ्यास से साधक कामदेव के समान सुमनोहर हो जाता है।

इस प्रकार षट्कर्म (धौति, वस्ति, नेति, नौलि, त्राटक तथा कपालभाति) का सम्पूर्ण परिचय स्पष्ट हुआ। सप्तांग-योग में प्रथम अंग षट्कर्म की चर्चा के उपरान्त द्वितीय अंग आसन की चर्चा की गई है।

2-आसन-योग-सूत्र में 'स्थिरसुखमासनम्' कहा गया है, आसन एक दृढ़ता प्राप्ति का साधन है, इस संसार में जितने भी जीव-जन्तु हैं, उनके शरीर की भंगिमा (स्थिति) का अनुसरण करना आसन कहलाता है, भगवान् शिव ने सर्वप्रथम चैरासी लाख आसन बताये हैं, उनमें से चैरासी (84) श्रेष्ठ हैं, उन चैरासी आसनों में भी बत्तीस आसनों को विशिष्ट माना गया है।

आसन-भेद

सिद्धं पद्मं तथाभद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकम्।

सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च।3।।

मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च।

गोरक्षं पश्चिमोत्तानमुत्कटं सङ्कटं तथा।4।।

मयूरं कुक्कुटं कूर्म तथा चोत्तानकूर्मकम्।
उत्तानमण्डुकं वृक्ष मण्डुकं गरुणं वृषम्।५॥
शलभं मकरं चोष्ट्रं भुजङ्गं योगमासनम्।
द्वात्रिंशदासनान्येव मन्त्रे, सिद्धिप्रदानि च।६॥

अर्थात् सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, शवासन, गुप्तासन, मात्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, सङ्कटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तानकूर्मासन, उत्तानमंडुकासन, वृक्षासन, मण्डुकासन, गरुणासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजङ्गासन तथा योगासन ये 32 आसन मनुष्य को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं।

3-मुद्रा एवं बन्ध-महर्षि घेरण्ड द्वारा सप्ताङ्गयोग के अन्तर्गत तृतीय अङ्ग के रूप में मुद्रा एवं बन्ध का वर्णन किया गया है। यह स्थिरता प्राप्ति का एक साधन है। योग में मुद्राओं एवं बन्ध का स्थान आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर है; क्योंकि इनका अभ्यास हमारे प्राणमय व मनोमय कोश को प्रभावित करता है।

मुद्रा एवं बन्ध भेद

महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डियानं जलन्धरम्।
मूलबन्धो महाबन्धो महाबेधश्च खेचरी॥ 1॥
विपरीतकरणी योनिर्वज्रोणि शक्तिचालनी।
ताडागी माण्डुकी मुद्रा शाम्भवी प.चधारणा॥2॥
अश्विनी पाशिनी काकी मातङ्गी च भुजाङ्गिनी।
प.चविंशतिमुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिनाम्।३॥

अर्थात् महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डियान बन्ध, जलन्धरबन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, महावेध मुद्रा, खेचरीमुद्रा, विपरीतकरणीमुद्रा, योनिमुद्रा, वज्रोणि मुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा, ताडागी मुद्रा, माण्डुकी मुद्रा, शाम्भवी मुद्रा तथा प.चधारणा (प.चमहाभूत), अश्विनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा मातङ्गी मुद्रा तथा भुजाङ्गिनी मुद्रा-ये पच्चीस (25) साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं।

नोट-उपरोक्त मन्त्रों में 16 मुद्राओं, चार बन्धों तथा पाँच धारणाओं का वर्णन किया गया है।

4-प्रत्याहार-प्रत्याहार, धौर्यता का साधन है, तथा सप्ताङ्ग योग के अन्तर्गत चतुर्थ अङ्ग के रूप में इसकी चर्चा की गई है।

यतो यतो निश्चरति मनच.चलमस्थिरम्।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्।२॥

अर्थात् जहाँ-जहाँ यह च.चल मन विचरण करता है, वहीं-वहीं से लौटाने का प्रयत्न करते हुए, मन को आत्मा के वश में करना प्रत्याहार है।

5-प्राणायाम (कुम्भक)-घेरण्ड संहिता में वर्णित सप्ताङ्ग योग के अन्तर्गत पाँचवें अङ्ग के रूप में प्राणायाम की चर्चा की गई है, यह लाघवता की प्राप्ति का एक साधन है।

प्राणायाम के भेद

सहितः सूर्यभेदश्च उज्जायी शीतली तथा।

भस्त्रिका भ्रामरी मूच्छा केवली चाष्टकुम्भकाः॥४६॥

अर्थात् सहित प्राणायाम , सूर्यभेद प्राणायाम , उज्जायी प्राणायाम , शीतली प्राणायाम , भस्त्रिका प्राणायाम , भ्रामरी प्राणायाम, मूच्छा प्राणायाम तथा केवल प्राणायाम-ये कुम्भक अर्थात् प्राणायाम के आठ भेद हैं।

6-ध्यान-घेरण्ड संहिता में सप्ताङ्ग योग के अन्तर्गत षष्ठम् अङ्ग के रूप में ध्यान की चर्चा की गई है। यह प्रत्यक्षता का एक साधन है। यहाँ प्रत्यक्ष का तात्पर्य है-ग्रहणशीलता अर्थात् ग्रहण करने का स्वभाव।

ध्यान-भेद

स्थूलं ज्योतिस्था सूक्ष्मं ध्यानस्य त्रिविधं विदुः।

अर्थात् स्थूल ध्यान, ज्योतिध्यान तथा सूक्ष्मध्यान के भेद से ध्यान के तीन प्रकार कहे गये हैं।

(अ) स्थूल ध्यान-स्थूल ध्यान की दो विधियाँ हैं-हृदय या अनाहत चक्र पर ध्यान करना तथा ब्रह्मरन्ध्र या सहस्रार चक्र पर ध्यान करना।

(ब) ज्योतिध्यान-भौहो के मध्य-स्थित प्रणवात्मक , ज्योति पर ध्यान करना ही ज्योतिध्यान है। योगसूत्रानुसार प्रणव का तात्पर्य 'ऊँ' से है।

(स) सूक्ष्मध्यान-शाम्भवी-मुद्रा का अभ्यास करते हुए कुण्डलिनी का ध्यान करना ही सूक्ष्म-ध्यान कहलाता है।

(7) समाधि-महर्षि घेरण्ड द्वारा वर्णित सप्ताङ्ग-योग के अन्तर्गत अन्तिम अर्थात् सप्तम् अङ्ग के रूप में समाधि का वर्णन किया गया है। सप्ताङ्ग योग को सप्तसाधन के रूप में भी जाना जाता है, समाधि निर्लिप्तता का एक साधन है। निर्लिप्तता का तात्पर्य मन की अनासक्त अवस्था से है। जब ब्रह्माण्डीय चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का योग हो जाता है, तो वह अवस्था समाधि कहलाती है।

समाधि-भेद

शाम्भव्या चैव भ्रामर्या खेचर्या योनिमुद्रया।

ध्यानं नादं रसानन्दं लयसिद्धिश्चतुर्विधा॥

प.चथा भक्तियोगेन मनोमूच्छा च षड्विधा।

षड्विधोऽयं राजयोगः प्रत्येकमवधारयेत्॥

अर्थात् शाम्भवी, भ्रामरी, खेचरी तथा योनिमुद्रा आदि के द्वारा ध्यान-योग समाधि , नाद-योग समाधि, रसानन्द-योग समाधि, लय- सिद्धि-योग समाधि, भक्ति-योग समाधि तथा मनोमूच्छा-योग समाधि-इन छः (6) प्रकार की समाधियों की सिद्धि होती है। समाधि के कुल ये छः भेद हैं, जिन्हें राज-योग के नाम से भी कहा जाता है।

‘इति घेरण्डसंहिता सम्पूर्ण परिचयम्’

इस प्रकार महर्षि घेरण्ड ने राजा चण्डकपालि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मानव शरीर को घट के रूप में उपस्थापित करते हुए, घट शुद्धि के लिए सप्तसाधन की चर्चा की है। प्रथम षट्कर्म द्वारा शरीर शुद्धि की चर्चा की है , द्वितीय आसन द्वारा शारीरिक दृढ़ता की चर्चा की है, तृतीय मुद्रा द्वारा शरीर के भीतर प्राणशक्ति-प्रवाह-नियन्त्रण की चर्चा की है, चतुर्थ प्रत्याहार के द्वारा धैर्यता की चर्चा की है, पचम् प्राणायाम के द्वारा लाघवता प्राप्ति की चर्चा की है, षष्ठ ध्यान के द्वारा प्रत्यक्षता

की चर्चा की है तथा अन्त में सप्तम् अंग या साधन समाधि द्वारा मानसिक व भावनात्मक स्तरों को नियन्त्रित करके आध्यात्मिक अनुभूति को जाग्रत करने की चर्चा की है।

पूर्वोक्त बतायी गई घटस्थ योग की सारी प्रक्रियाएँ प्रारम्भ में किसी योग्य गुरु के निर्देशन में धीरे-धीरे सिद्ध करके साधक बनने के पश्चात् ही स्वतन्त्र रूप से करना चाहिए। महर्षि घेरण्ड द्वारा बताये गये, सप्तसाधनों के द्वारा मनुष्य तन व मन दोनों से ही निर्मल, दृढ़ व दिव्य दृष्टि वाला हो जाता है। जिस प्रकार से वर्षा का जल सूर्यातप से दग्ध पृथ्वी के ताप का हरण कर लेता है, उसी प्रकार से ये सप्तसाधन अस्त-व्यस्त व त्रस्त मानव मन व शरीर से व्याधि, दुर्बलता, अज्ञानता व आसक्ति का हरण कर लेते हैं।

सप्त साधनों के द्वारा एक निर्लेप व उत्कृष्ट मानव-सभ्यता का निर्माण सम्भव है।



आजमगढ़ नगर (उ० प्र०) में मलिन बस्तियों की समस्याएँ एवं नियोजन

डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप यादव

प्रस्तावना :

बीसवीं शताब्दी की प्रमुख घटनाओं में से तीव्र नगरीकरण एक वैश्विक घटना रही है। उक्त शताब्दी के प्रारम्भ में मात्र 14 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती थी जो शताब्दी के अन्त तक बढ़कर 50 प्रतिशत हो गयी।¹ इस अवधि में गाँवों में कृषि तथा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों की अपेक्षा कम लाभ तथा दूसरी ओर शहरों में रोजगार की सुविधा, नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उच्च जीवन स्तर के कारण गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या के तीव्र पलायन के कारण नगरीकरण की गति में तीव्रता रही है, जो आगे भी यथावत जारी रहने वाली है। इसीलिए अनुमान है कि नगरीकरण के इसी तीव्र वृद्धि दर के कारण वर्ष 2030 तक इसकी मात्रा 60 प्रतिशत तथा 2050 तक 70 प्रतिशत हो जायेगी।

नगरों की अवस्थिति न केवल सामाजिक-आर्थिक प्रगति का सूचक हो गया है, बल्कि क्षेत्र विशेष की आर्थिक सम्पन्नता एवं सामाजिक उन्नति का मापदण्ड भी माना जाने लगा है।² नगरों (विशेषकर बड़े) में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का संकेन्द्रण इतनी शीघ्रता और अनियंत्रित ढंग से हो रहा है कि नगरों में अपेक्षित नगरीय सुविधाओं का विकास न होने के कारण नगर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं, यथा-स्थान, आवास, स्वच्छ पेयजल, ईंधन, परिवहन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, खुले क्षेत्रों का अभाव, टोस, तरल एवं गैसीय अपशिष्टों का बेतहाशा उत्सर्जन एवं उनके वैज्ञानिक प्रबन्धन का अभाव, वही जल, भूमि, वायु, ध्वनि प्रदूषण तथा तापवर्षद्ध जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर नागरिक सुविधाओं से वंचित मलिन बस्तियों की संख्या एवं विस्तार बड़ी तीव्र गति से बढ़ा है।³

नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियाँ सामान्यतः नगर के बाहरी क्षेत्रों या पुराने बस्तियों में गन्दगी तथा अव्यवस्थित ढंग से सड़कों के किनारे मौजूद होती हैं तथा जहाँ पर मैले-कुचौले गरीब एवं दुराचारी प्रवर्षत्त के लोग बसे होते हैं। अतः ये वे आवासीय क्षेत्र हैं जहाँ के आवास टूटे-फूटे निम्न स्तर के तथा गन्दे एवं सुविधा विपन्न होते हैं, जहाँ पर रहना स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता तथा सामान्य सुख-सुविधाओं की दृष्टि से बहुत ही हानिकारण एवं खतरनाक होता है।⁴ उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्तियों में निवास करती है। प्रदेश के दस लाखीय नगरों (कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर) में भी दिन-प्रतिदिन मलिन बस्तियों की समस्या बढ़ती जा रही है। आजमगढ़ नगर भी इस समस्या से अछूता नहीं है। यह नगर इस क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक केन्द्र भी है।


अध्ययन का उद्देश्य : प्रस्तुत शोध प्रपत्र का मूल उद्देश्य आजमगढ़ नगर अवस्थित मलिन बस्तियों में व्याप्त प्रमुख 'असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, डी० ए० वी० पी० जी० कालेज आजमगढ़

समस्याओं का अध्ययन करते हुए मलिन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का निरूपण करके उन समस्याओं के निराकरण हेतु नियोजन एवं सुझाव प्रस्तावित करना है।

ऑकड़ा स्रोत एवं विधितंत्र : प्रस्तुत शोध प्रपत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक ऑकड़ों पर आधारित है। आजमगढ़ नगर में मलिन बस्तियोंकी स्थिति तथा उसकी जनसंख्या से सम्बन्धित ऑकड़ें जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) आजमगढ़ से प्राप्त किये गये हैं, जबकि मलिन बस्तियों की अवस्थिति, उनकी दशा, सुविधाएँ तथा समस्याओं से सम्बन्धित ऑकड़ों को मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण कर प्राथमिक ऑकड़े प्राप्त किया गया है। इस सर्वेक्षण के लिए नगरीय क्षेत्र में फैले 53 मलिन बस्तियों का सामान्य सर्वेक्षण किया गया है। तत्पश्चात समस्याओं से सम्बन्धित गहन अध्ययन के लिए 53 मलिन बस्तियों में से 10 मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण हेतु चयन किया गया है। प्रत्येक मलिन बस्ती के 35 परिवारों (कुल 350 परिवारों का सर्वेक्षण) से गहन पूछताछ कर प्रश्नावली को पूर्ण किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षित परिवारों के चयन में सदैव इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभी वर्गों, धर्मों, आय एवं आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके। सर्वेक्षण के पश्चात् ऑकड़ों को संगणक (Computer) में डालकर सारणीबद्ध किया गया है। प्राप्त निष्कर्षों की व्यापक समझ के लिए संगणकों के माध्यम से भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से **Manifold/Arcview GIS** साफ्टवेयर का उपयोग कर आरेखों एवं मानचित्रों का निर्माण किया गया है ताकि निष्कर्ष तथ्यगत एवं प्रभावयुक्त बन सके।

अध्ययन क्षेत्र : आजमगढ़ नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का राजनैतिक, प्रशासनिक, व्यवसायिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर है। जो तमसा नदी के पावन तट पर स्थित है। यह जनपद अनेक ऋषियों की पावन भूमि रही है। आजमगढ़ नगर तमसा (टोन्स) नदी के किनारे $26^{\circ} 03'$ उत्तरी अक्षांश एवं $83^{\circ} 11'$ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है (चित्र संख्या 1)। यह जनपद पूर्व में मऊ एवं गाजीपुर, पश्चिम में सुल्तानपुर एवं अम्बडेकर नगर, उत्तर में गोरखपुर तथा दक्षिण में जौनपुर के मध्य स्थित है। आजमगढ़ नगर तमसा (टोन्स) नदी के दोनो किनारो पर बसा हुआ होने के कारण नगरीय अवस्थापना में बाधित होती है।

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



(चित्र संख्या 1)

नगर के मलिन बस्तियों की समस्याएँ : नगर में अवस्थित मलिन बस्तियों में जहाँ एक तरफ नागरिक सुविधा सम्बन्धी समस्याएँ हैं वही दूसरी तरफ विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ विद्यमान है। प्राप्त अध्ययन से उन समस्याओं का विवेचन निम्नलिखित है-

आवासीय समस्याएँ : नगर के मलिन बस्तियों में आवासीय सुविधाओं की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है। इन बस्तियों में लगभग 40 प्रतिशत मकान मिश्रित है। जिनकी दीवाल पक्की ईट तथा छत खपरैल या टीन शेड के हैं। इसमें से अधिकांश मकानों के फर्श कच्चे हैं तथा इनकी छत ठीक न होने के कारण वर्षा के दिनों में उसमें पानी टपकता है। अतः उसमें रखे अधिकांश समान (अनाज, कपड़ा आदि) सड़ कर बेकार हो जाते हैं इस प्रकार के मिश्रित मकानों में सीलन वर्ष के अधिकांश महीनों (किसी-किसी मकानों में वर्ष भर) रहता है। इससे वह मकान कमजोर होने लगता है, वहीं दूसरी तरफ इसमें निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इन आवासों की हालत वर्षा के दिनों में पूरी तरह बिगड़ जाती है। कभी-कभी तो कुछ परिवारों को वर्षा के समय रात जागकर बितानी पड़ती है, क्योंकि आवास में वर्षा का पानी गिरता रहता है।

मलिन बस्तियों एवं उनके परिवारों के सर्वेक्षण से यह विदित हुआ है कि नगर की मलिन बस्तियों में पक्के मकान 52 प्रतिशत परिवार के पास है। इस पक्के मकानों की नींव बहुत ही कम गहरी, कमजोर तथा मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि ये प्रायः निम्न आय वर्ग के लोगों के द्वारा बनाया गया मकान है। इन लोगों के द्वारा मकान बनाने में कम से कम मूल्य के सामान जो निम्न कोटि के होते हैं, का प्रयोग किया गया है। अतः ऐसे मकानों के गिरने, टूटने, बरसात के दिनों में पानी के रिसने तथा सीलन आदि की समस्या हमेशा बनी रहती है। इन बस्तियों के मकानों में रोशनदान तथा खिड़कियों का भी अभाव है, फलतः प्रकाश एवं स्वच्छ हवा का मिलना मुश्किल है।

शुद्ध पेयजल की समस्या : नगर के मलिन बस्तियों में पेयजल की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। नगरीय व्यवस्था द्वारा पाइप से जलापूर्ति मात्र 08 मलिन बस्तियों में ही होती है। इन बस्तियों में भी बहुत कम लोगों ने इस जलापूर्ति का कनेक्शन लिया है। इन बस्तियों में सार्वजनिक टोटियों की भी बहुत कमी है। नगर के जिन बस्तियों में जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है उनमें इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प या साधारण हैण्डपम्प से ही लोग जल प्राप्त करते हैं। इन बस्तियों में अधिकांशतः एक मलिन बस्ती में चार-पाँच इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगे हैं, जिनमें से शायद ही कोई ऐसी मलिन बस्ती हो जिसमें इण्डिया मार्क हैण्डपम्पों की दशा ठीक हो। सभी मलिन बस्तियों में दो-तीन हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। किसी-किसी मलिन बस्ती में तो सभी के सभी इण्डिया मार्क हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि अधिकांश लोगों के हैण्डपम्प 30 फीट से अधिक गहरे नहीं हैं, क्योंकि इस महानगर की स्थिति तराई क्षेत्र में होने के कारण भूमिगत जल निकालना आसान है।

इस प्रकार के जल को पीने से अनेक प्रकार की जलजनित बीमारियों से इन बस्तियों के लोग प्रभावित रहते हैं, जो कभी-कभी घातक महामारी का रूप ले लेता है।

विद्युत आपूर्ति की समस्या : नगर के मलिन बस्तियों में वर्तमान समय में बहुत से परिवार अवैधानिक रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। ये लोग अपने आवासों में विद्युत की व्यवस्था अस्थाई रूप से कटिया डालकर रखे हैं तथा विद्युत का उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में (जैसे हीटर से खाना बनाना, कमरे में दिन-रात बल्ब को जलाये रखना तथा पंखे को भी हमेशा चलाना) करते हैं। फलतः विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है। मलिन बस्तियों में विद्युत आपूर्ति के समय ही अधिकांशतः परिवार के लोग हीटर पर खाना पकाते हैं। अतः जिस समय विद्युत आपूर्ति होती है उसी समय ये खाना बनाते हैं जिससे इन लोगों की कोई निश्चित दिनचर्या नहीं हो पाती है, फलतः शारीरिक क्रिया आदि प्रभावित होती है, जिससे ये लोग प्रायः बीमार भी पड़ते हैं।

सड़क सम्बन्धी समस्या : नगर के मध्यवर्ती भाग में स्थित मलिन बस्तियों में सड़कों की दशा तो अच्छी है अर्थात् पक्की सड़कें हैं, लेकिन इनमें संकरी गलियाँ होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है। नगर के बाहरी क्षेत्रों में अवस्थित मलिन बस्तियों में पक्की सड़कें बहुत ही कम हैं तथा कच्ची एवं ईट से निर्मित खडन्जा अधिक हैं। सामान्यतः इन सड़कों की दशा बहुत खराब होने से दुर्घटना आदि होने का डर रहता है।

शौचालय की समस्या : नगर के कुछ मलिन बस्तियों को छोड़कर किसी भी मलिन बस्ती में सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अतः ये लोग नाली-गली, सड़क के अगल-बगल, बेकार पड़ी भूमि, बंधे एवं रेलवे लाइन के किनारे शौच के लिए जाते हैं। जिससे गन्दगी तथा बीमारियाँ फैलना स्वाभाविक है। इन मलिन बस्तियों में जिन लोगों के पास शौचालय है उनमें से अधिकांश लोगों ने सोख्ता टैंक का ही निर्माण किया है तथा जगह की कमी के कारण अधिकांश परिवारों ने हैण्डपम्प के नजदीक ही टैंक का निर्माण करवाया है।

सफाई एवं जल निकास की समस्या : नगर के मलिन बस्तियों में पानी निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था नहीं है शेष मलिन बस्तियों में नालियों की व्यवस्था तो है, लेकिन उनकी दशा अच्छी नहीं है। इन बस्तियों की नालियाँ पक्की

तथा कच्ची दोनों ही प्रकार की हैं। मलिन बस्तियों में मौजूद नालियों में गन्दगी, पानी का रूकना तथा इनमें गन्दे पदार्थों के सड़ने से गन्दगी बनी रहती है। नगर के जिन मलिन बस्तियों में नालियां कच्ची हैं या मौजूद नहीं हैं उनमें नालियों का गन्दा जल सड़कों पर या घरों के बगल में ही लगा रहता है जिससे यहाँ गन्दगी आदि हमेशा ही बनी रहती है तथा बरसात के दिनों में इन बस्तियों में पानी भर जाता है, अतः आवागमन में भी बाधा आती है।

शिक्षा सम्बन्धी समस्या : नगर के मलिन बस्तियों में स्कूल की व्यवस्था केवल गिनती के लिए ही है। यदि इन विद्यालयों को शिक्षा की गुणवत्ता या सुविधाओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से देखा जाय तो वे बिल्कुल ही निम्न कोटि के विद्यालय साबित होते हैं। इसका प्रमुख कारण मलिन बस्तियों में गरीब परिवार का निवास करना होता है, जो बच्चों की शिक्षा में रुचि बहुत कम लेते हैं। नगर के जिन मलिन बस्तियों में विद्यालय मौजूद नहीं हैं या कुछ दूरी पर दूसरे मुहल्लों में स्थित हैं उनमें बहुत कम ही लोग बच्चों को पढ़ाने पर बल देते हैं। मलिन बस्तियों में अधिकांश परिवार बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान कम तथा उनकी कमाई पर ध्यान अधिक देते हैं, जो उनके भविष्य के साथ समस्या बन जाती है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या : नगर के गिने-चुने मलिन बस्तियों में ही स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं अर्थात् कुछ बस्तियों को छोड़कर नगर के अधिकांश मलिन बस्तियों में कोई अस्पताल, डिस्पेन्सरी, जच्चा-बच्चा केन्द्र या नर्सिंग होम नहीं है। नगर के दो-तिहाई मलिन बस्तियों में किसी भी तरह के कोई चिकित्सक मौजूद नहीं है, लेकिन इन बस्तियों में अप्रशिक्षित डाक्टर बहुत अधिक आते हैं। इन अप्रशिक्षित चिकित्सकों के पास एक तो जानकारी का अभाव होता है दूसरा ये नकली दवा को भी धड़ल्ले से बेचते हैं। फलतः कुछ रोगियों की हालत अधिक बिगड़ जाती है और उन्हें हार मानकर किसी अच्छे डाक्टर या अस्पतालों में जाना पड़ता है।

रोजगार की समस्या : नगर के मलिन बस्तियों में लोग अपने भरण-पोषण हेतु मजदूरी, रिक्शा चलाना, ठेला खींचना, दुकानों पर काम करना, छोटे-मोटे धन्धे करना, रद्दी इकट्ठा करना, लोहा आदि का स्क्रेप खरीदना तथा फल एवं सब्जी बेचना, कबाड़ चुनना आदि कार्य करते हैं। इनके कार्यों में श्रम अधिक तथा आय कम होती है जिससे कि ये लोग अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इन बस्तियों में महिलाएँ कुछ लोगों के घर जाकर झाड़ू-पोछा, चौका-बर्तन तथा कुछ महिलाएँ अस्पतालों में दाई का भी काम करती हैं। इन बस्तियों में लोगों के काम की अनिश्चितता, दुकानों पर रहने वाले लोगों को कम पैसे मिलना, नगर के साफ-सफाई आदि काम में कम वेतन मिलना, रोजगार अच्छा न होना, कमाने वाले लड़कों का अलग हो जाना तथा घर में आश्रित लोगों की अधिकता प्रमुख समस्या है, जिससे इनकी आय बहुत कम होती है। परिणामतः इनका जीवन स्तर निम्न तथा अभावों से भरा रहता है।

अन्य सामाजिक समस्याएँ : नगर के मलिन बस्तियों में शायद ही कोई ऐसा युवा पुरुष हो जो नशीले पदार्थों यथा-पान, बीड़ी, सिगरेट, सुर्ती, शराब में से किसी का सेवन न करता हो। सामान्यतः यहाँ पर इन उपरोक्त नशीले पदार्थों का सेवन कुछ महिलायें भी करती हैं। अतः बच्चे भी सभी काम छोटी उम्र में ही सीख जाते हैं। शराब का सेवन इन बस्तियों में रहने वाले पुरुष एवं बालकों के अतिरिक्त कुछ औरतें भी करती हैं। मलिन बस्तियों के लोग नशीले पदार्थों को खा-पीकर आपस में विवाद, गाली-गलौज, मारपीट करते हैं जिसका असर वहाँ के पूरे समाज पर पड़ता है। इन बस्तियों में लोक-लज्जा, शर्म आदि की कमी के कारण वेश्यावृत्ति का भी धंधा होता है जो कि समाज के लिए एक कलंक है। यहाँ के बच्चों के पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटका तथा अन्य मूल्यवान नशीले पदार्थों के आदी होने से इन पदार्थों का धंधा इन बस्तियों में फल-फूल रहा है।

मलिन बस्तियों में शराबियों/जुआरियों की तो भरमार है। यहाँ के बुजुर्गों की बात तो दूर बच्चे भी जुआ खेलने में रुचि रखते हैं। यहाँ के लोग दो-चार दिन काम करते हैं तथा कुछ दिन बैठकर जुआ खेलते हैं और फिर पैसा समाप्त

होने के पश्चात् काम पर जाते हैं। इससे इनकी आय तो प्रभावित होती ही है इनके परिवार में सामंजस्य नहीं रहता है। जिससे पूरे परिवार में हमेशा कलह होता रहता है। इन बस्तियों के कुछ लोग दिन भर जुआ खेलते हैं तथा रात-भर शराब पीते हैं। शराब पीने के पश्चात ये लोग घर में परिवार के लोगों विशेषकर पत्नी, बच्चों, माँ-बाप से तथा पास-पड़ोस से झगड़ा-विवाद करते हैं।

महानगर के मलिन बस्तियों का नियोजन : नगर के मलिन बस्तियों में व्याप्त समस्याओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इन मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है जिससे इसमें निवास करने वाले लोगों में से अधिकतर परिवार का जीवन स्तर निम्न श्रेणी का है। अतः इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक स्वस्थ नियोजन प्रणाली की आवश्यकता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को कम या समाप्त किया जा सके और मलिन बस्तियों को स्वस्थ तथा सुविधाजनक जीवन प्रदान किया जा सके।

पुनर्वास कार्यक्रम : जैसा कि यह उल्लिखित है कि मलिन बस्तियों में आवास एक महत्वपूर्ण समस्या है, यद्यपि मलिन बस्तियों को अचानक पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि कई चरणों में सतत् विकास कार्यक्रमों (पुनर्वास कार्यक्रम) को अपनाकर आवास की व्यवस्था किया जा सकता है। इसका तात्पर्य खाली स्थानों पर कम एवं मध्यम लागत के पक्के मकानों का निर्माण करके इन लोगों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि यह कार्य अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि मलिन बस्तियों के लोग जल्दी पुनर्स्थापित होने को तैयार नहीं होते हैं। इस समस्या का उत्तम उपाय यह है कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को इसी तर्ज पर विस्थापित किया जाय कि उन्हें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय वहन न करना पड़े। अतः इस तरह से धीरे-धीरे पूरे मलिन बस्ती को खाली कराया जा सकता है और इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है कि हमारा समाज भौतिक रूप के साथ-साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ा रहता है। पुनर्वास कार्यक्रम को सुचारु रूप से लागू करने में यह एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर सामने आता है।

शिक्षा सुधार कार्यक्रम : मलिन बस्तियों में शिक्षा का नितान्त अभाव दिखायी पड़ता है। अधिकांश बच्चे विभिन्न कारणों से स्कूल नहीं जा पाते हैं। इन मलिन बस्तियों में शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाकर बच्चों को स्कूल की तरफ उन्मुख किया जा सकता है, जिससे भविष्य में इन बस्तियों की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। इन मलिन बस्तियों में विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर जैसे मुफ्त में शिक्षा देना, किताब तथा स्लेट बांटना, दोपहर का भोजन, आदि देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन बस्तियों में ऐसे संस्थान भी खोलने की आवश्यकता है जो यहाँ के युवा लोगों को विभिन्न प्रकार के छोटे-मोटे रोजगार का प्रशिक्षण दे सकें। इसके साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को चलाकर यहाँ के बुजुर्ग लोगों को शिक्षा का महत्व एवं शिक्षा का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को बताकर इसके प्रति जागरूकता लायी जा सकती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता कार्यक्रम : हमारे समाज में विशेषकर गरीब तबके के लोग अन्धविश्वास की भावना से ग्रसित होते हैं। आज भी हमारे समाज में बच्चों को भगवान की देन माना जाता है तथा विभिन्न प्रकार के रोगों में डाक्टरों के पास जाने की बजाय ओझा से झाड़फूंक करवाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। लोगों को अन्धविश्वास के प्रति भ्रम को दूर कर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। सघन जागरूकता कार्यक्रम को संचालित करके इन मलिन बस्तियों में लोगों को व्यक्तिगत साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जा सकता है। आज भारत सरकार विभिन्न सूचना तंत्रों रेडियो, टेलीविजन, अखबार एवं न्यूज चैनल्स तथा इण्टरनेट के माध्यम से लोगों को

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही है। इन मलिन बस्तियों में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सम्बन्धी भित्ति चित्रों को दिखाकर एवं गोष्ठियाँ आयोजित करके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है।

समुचित जलापूर्ति की व्यवस्था : स्वच्छ जल को जीवन दायिनी माना जाता है, मलिन बस्तियों में उचित जलापूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के लोग दूषित एवं संक्रमित जल पीने को बाध्य हैं। अतः बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से अधिक हैण्डपम्पों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जल की आपूर्ति की व्यवस्था में भी सुधार लाकर जलापूर्ति बढ़ायी जा सकती है।

रोजगार सृजन कार्यक्रम आयोजन : युवा किसी भी देश या क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती होते हैं, बेरोजगारी की स्थिति में ये समाज में अराजकता को जन्म देते हैं। मलिन बस्तियों में बेरोजगारी का आलम अधिक होने के कारण यहाँ के युवा दिग्भ्रमित होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के अराजक कार्यों में लिप्त होते हैं। अतः इन मलिन बस्तियों में युवा कैम्पों को आयोजित करने के बाद इन लोगों को संगठित करके जिम्मेदार नागरिक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

मलिन बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक, प्रशासनिक, वैधानिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक भी है। इन समस्याओं से निपटारा करने में हमारी नगरपालिका अक्षम दिखती है। अतः इसके लिए सरकार की सहायता अति आवश्यक है। इन बस्तियों के लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है तथा इनको प्रशिक्षण देकर इन्हें कुशल श्रमिक बनाकर इनकी आय, कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में अभिवृद्धि की जा सकती है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्ति को उसका लाभ दिखाकर तथा सामाजिक कल्याण की योजनाओं को बढ़ावा देकर इन बस्तियों की दशा सुधारी जा सकती है। इन बस्तियों में कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा पर्याप्त मात्रा में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करके भी बहुत हद तक इनकी दशा सुधारी जा सकती है।

साफ-सफाई एवं जल निकास की व्यवस्था : मलिन बस्तियों में साफ-सफाई हेतु अतिरिक्त कर्मचारी नगर पालिका से लगाये जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ समय-समय पर इन बस्तियों में साफ-सफाई के लाभ को बताकर इनके अन्दर यदि जागरूकता पैदा किया जाय तो इस समस्या पर अंकुश लग सकता है। साफ-सफाई के लाभ तथा इसके प्रति इन बस्तियों के लोगों को जागरूक करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों तथा सरकारी तंत्र, नगर निगम के कुछ कर्मचारी तथा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक भी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं।

सस्ता विद्युत दर : मलिन बस्तियों में विद्युत दर सस्ता, कनेक्शन लेने के लिए वैधानिक प्रक्रिया को सरल बनाकर तथा विद्युत चोरी पकड़े जाने पर अधिक जुर्माना करके इन बस्तियों में विद्युत चोरी को रोका जा सकता है जिससे सम्पूर्ण नगर की विद्युत समस्या कुछ कम जो जायेगी।

निष्कर्ष : उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आजमगढ़ नगर में अवस्थित मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है। अतः इन बस्तियों में शिक्षा का स्तर ऊँचा करके, युवाओं को प्रोत्साहित करके, आवासों की समस्याओं को सुचारू रूप से दूर करके, पेयजल की व्यवस्था ठीक करके, साफ-सफाई को नियमित करके, युवाओं को रोजगार मुहैया कराके, जनसंख्या में जागरूकता पैदा करके मलिन बस्तियों की समस्या पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. सिंह, ओम प्रकाश (1987): नगरीय भूगोल, तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी।

2. Verma, S.S. (1986): Urban Land Use Inventory: Through Aerial Photo Interpretation Technique, Shiva Publisher, Gorakhpur, p. 3
3. वर्मा, चन्द्र मिलन (2007) : गोरखपुर महानगर में मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधायें, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, भूगोल विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, पृ०सं० 4।
4. Walker, M.L. (1938): Urban Blight and Slums, Cambridge Mass.
5. वर्मा, एस०एस०, सी०एम० एवं सिंह, एस० के० (2015) मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधायें गोरखपुर महानगर का एक प्रतीक अध्ययन, भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका, अंक-28, संख्या-2, जून 2015, पृ०सं० 13-191
6. वर्मा, एस०एस०, सी०एम० एवं सिंह, एस० के० (2015) : गोरखपुर महानगर के मलिन बस्तियों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप, जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च पर्सपेक्टिव, अंक-3, संख्या-1, जून 2015, पृ०सं० 44-521
- 7- Yadav, D.P.(2019): Waste Generation, Their Disposal and Environmental Impacts in Gorakhpur City: A Geographical Analysis, Unpublished Ph.D. Thesis , DDU Gorakhpur University.





Dr. Rishikesh Singh

Editor in Chief

**INDIAN JOURNAL OF SOCIAL
SCIENCES & SOCIETIES**

Publisher

FLASH PUBLICATION

Basant Bihar, Janaki Nagar Colony, Bahraich Road, Gonda (U.P.)

Mob. 9415458974